झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह

तिजोरी की चोरी

सरयू राय

सरयू राय

- 16 जुलाई 1951 को बिहार के शाहाबाद (वर्तमान में बक्सर) जिला के ग्राम खनीता के मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्म.
- प्राथमिक शिक्षा गाँव के स्कूल में, हाईस्कूल तक की शिक्षा प्रखण्ड मुख्यालय इटाढ़ी के मध्य एवं उच्चविद्यालय में.
- स्नातक (भौतिकी ऑनर्स) पटना साइंस कॉलेज से एवं स्नातकोत्तर (भौतिकी) पटना विश्वविद्यालय से.
- विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्पर्क. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एवं बिहार छात्र-जनआंदोलन (1974) में सक्रियता, आपातकाल (1975) के दौरान भूमिगत कार्य एवं भूमिगत पत्रिका लोकवाणी के संपादन एवं प्रसार में सहयोग.
- 1977 में संगठन मंत्री, जनता युवामोर्चा, बिहार के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य आरम्भ.
- 1979 – 'अफगनिस्तान पर रूस का हमला विरोधी समिति' का बिहार प्रदेश संयोजक.
- 1980 से 1984 के बीच बिहार प्रदेश जनता पार्टी का महामंत्री.
- 1985 – तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा गठित सात सदस्यीय चुनाव सुधार समिति का सदस्य.
- 1984 से 1992 तक सक्रिय राजनीति से अलग जे.पी. विचारमंच, खेतिहर मंच, सोन अंचल किसान संघर्ष समिति, जनमोर्चा आदि संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्य एवं स्वतंत्र पत्रकारिता, पटना के आयकर गोलंबर पर स्थापित जे.पी. प्रतिमा निर्माण समिति का संयोजक. सहकारिता नीति निर्धारण के लिये बनी राष्ट्रीय समिति का सदस्य.

झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह

तिजोरी की चोरी

सरयू राय

लेखक :
सरयू राय
सदस्य, झारखंड विधानसभा
जमशेदपुर पूर्व

प्रथम संस्करण
माघ पूर्णिमा
15 फरवरी 2022

© प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :
नेचर फाउंडेशन
सिदरौल, नामकुम, राँची

सहयोग राशि : ₹ 200/-

मुद्रक :
झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि.
6 'ए' गुरूनानक नगर
साकची, जमशेदपुर-831001

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	प्रस्तावना	5
02	पुस्तक के बारे में	13
03	खंड– 1 : झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह–2016	19
04	खंड– 2 : मुख्यमंत्री का अनुमोदन	24
05	खंड– 3 : टॉफी और टी–शर्ट की प्राप्ति एवं वितरण	31
06	खंड– 4 : चतुर्थ झारखंड विधानसभा में दो प्रश्न	36
07	खंड– 5 : पंचम झारखंड विधानसभा में दो प्रश्न	43
08	खंड– 6 : पंचम झारखंड विधानसभा में पाँचवा प्रश्न	50
09	खंड– 7 : पंचम झारखंड विधानसभा में छठवाँ प्रश्न	57
10	खंड– 8 : एसीबी जाँच की अनुशंसा	64
11	खंड– 9 : पब्लिक मनी– प्राईवेट एजेंडा	70
12	खंड– 10: टॉफी की संदेहास्पद आपूर्ति	76
13	खंड– 11: टी–शर्ट आपूर्ति का फर्जीवाड़ा	88
14	खंड– 12: विधानसभा समिति का जाँच प्रतिवेदन	94
15	उपसंहार	105
16	परिशिष्ट	113

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ सं.
01	जिलावार टी–शर्ट की वितरण विवरणी	115
02	जिलावार टॉफी पैकेट की वितरण विवरणी	116
03	मुख्यमंत्री को पत्र	117
04	कर आयुक्त पंजाब का पत्र सचिव झारखंड सरकार को	119
05	सहायक कर आयुक्त लुधियाना का पत्र	120
06	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का प्रतिवेदन	121
07	वाणिज्य–कर आयुक्त, झारखण्ड का पंजाब सरकार को पत्र	129
08	राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र.), जमशेदपुर का राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय को पत्र	130
09	सुनिधि चौहान के कार्यक्रम का परिपत्र	132
10	आर्चर इंटरटेंमेन्ट का भाव पत्र	133
11	मूल संचिका की छाया प्रति	134
12	कलाकारों की सुविधा संबंधी परिपत्र	136

❖❖❖

प्रस्तावना

15 नवंबर का दिन.

झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन.
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिन.
झारखंड राज्य की स्थापना का दिन.
झारखंडवासियों के लिये उत्सव का दिन.

उत्सव का दिन धूमधाम से मनाने का प्रचलन हमारी परम्परा में है. उत्सव घर–परिवार का हो, टोला–मुहल्ला का हो, समाज का हो, राज्य का हो, देश का हो इसे धूमधाम से मनाने की परिपाटी है. जैसी हैसियत, जैसा अवसर, वैसा धूमधाम. इसे समाज की स्वीकृति प्राप्त है. त्योहार या उत्सव का दिन जैसे–जैसे नजदीक आता है मन में उमंग, उत्साह हिलोरें लेने लगते हैं. पंथ कोई भी हो अपनी विशेषता के अनुरूप व्रत–त्योहार, खास दिन का उत्सव मनाने में जुट जाता है. अवसर के अनुरूप पथ्य–परहेज करता है, वर्जनाओं को निभाता है, विशेषताओं को उजागर करता है, सीमा–मर्यादा का पालन करता है. व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, देश त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर के अनुरूप खड़ा हो जाता है. माहौल समावेशी सहभागिता की भावना से भर जाता है.

होली–दिवाली, रामनवमी–जन्माष्टमी–महाशिवरात्री, ईद–बकरीद, बड़ा दिन–इस्टर, सरहुल–करम–टुसू आदि धार्मिक सांस्कृतिक त्योहारों की तरह ही 15 अगस्त–26 जनवरी–2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय दिवस एवं त्याग, तपस्या, संघर्ष, परिवर्तन के प्रतीक विभूतियों से जुड़े विशिष्ट दिवसों जैसे अनेक आयोजन भी हमारे राष्ट्र जीवन में हर साल आते हैं. एक परिपाटी बन गई है, इन्हें इनके विशिष्ट स्वरूप में मनाने की, आयोजित करने की. इनकी लंबी श्रृंखला है. त्योहार राष्ट्रीय हों, क्षेत्रीय हों, समाज विशेष के हों, किसी पंथ या समुदाय के हों विभिन्नता मे एकता एवं विविधता में परस्परानुकुलता की भाव–भावना के अनुरूप सरकार, समाज, नागरिक, पंथ, समुदाय सभी इसमें अपनी स्वाभाविक भूमिका स्वयं सुनिश्चित कर लेते हैं. लोकतंत्र के राष्ट्रीय उत्सव एवं राज्य उत्सव भी शनैः–शनैः परम्परा का रूप ले लेते हैं. जैसे–जैसे इनकी तिथियाँ नजदीक आते जाती हैं, वैसे–वैसे जनमानस के बीच इनके आयोजन के स्वरूप आकार लेने लगते हैं. भारत सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसे राजकीय आयोजनों के लिये स्थायी आदेश जारी कर रखा है, जिनमें आयोजन की विस्तृत रूपरेखा एवं प्रोटोकॉल निहित रहते हैं.

15 नवम्बर की तिथि झारखंड राज्य के संदर्भ में एक ऐसी ही ऐतिहासिक तिथि है. इसका आयोजन किस भाँति किया जाय, आयोजन से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कैसा संदेश जाय, 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह यह आयोजन भी शनैः–शनैः राज्य में एक परम्परा का स्वरूप ग्रहण कर ले, जनमानस को इसके साथ सकारात्मक एवं भावनात्मक जुड़ाव हो, इसके लिये सार्थक प्रयत्न करने की जरूरत है. राज्य बने 21 वर्ष से अधिक हो गया. अभी तक तो इतना ही हुआ है कि राज्य सरकार ने राज्य स्थापना समारोह के आयोजन के लिये एक परिपत्र निकाल रखा है. हर साल के वार्षिक बजट में एक निश्चित राशि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के बजट शीर्ष में डाल दी जाती है. राज्य सरकार का शासन, प्रशासन अपने हिसाब से आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करते हैं. अभी तक का अनुभव है कि यह आयोजन सरकारी आयोजन तक सीमित रह जाता है. जनता उन्मुक्त भाव से इसके साथ जुड़ नहीं पाती है. जन–सरोकार से सीधा संबंध नहीं होने तथा आयोजन का पूर्णतः सरकारीकरण हो जाने के फलस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों में नाना प्रकार की विसंगतियाँ घर कर लेती हैं.

कतिपय ऐसी ही विसंगतियाँ झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन के क्रम में भी परिलक्षित हुईं. झारखण्ड सरकार ने इस वर्ष के वार्षिक बजट में इसके लिये एक करोड़ रूपये का आवंटन किया था. राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजन के लिये हर साल 15 नवम्बर की तिथि निश्चित है. यह कोई आकस्मिक कार्यक्रम नहीं है. परन्तु राज्य सरकार का संबंधित विभाग निश्चिन्त भाव से हाथ–पर–हाथ धरे बैठा रहा. जब 15 नवम्बर की तिथि नजदीक आ गई तो सरकार की नींद खुली. आनन–फानन में आयोजन तिथि से मात्र 24 दिन पहले (21 अक्टूबर, 2016 को) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई. इस बैठक में लिये गये निर्णयों की अधिसूचना 26 अक्टूबर, 2016 को निर्गत हुई. तब तक आयोजन में मात्र 18–19 दिन शेष रह गये थे. तय हुआ कि राज्य स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन करना है. इसके लिये बजट में पूर्व आवंटित एक करोड़ रूपया की राशि पर्याप्त नहीं होगी. इसलिए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम ली जाय.

प्रस्ताव आया कि चुकि समय काफी कम रह गया है, इसलिये आयोजन के कार्यक्रमों को भव्य रूप में कराने के लिये जिन वस्तुओं एवं सामग्रियों का क्रय करना

है, जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सेवायें लेनी हैं, उसके लिये उनका चयन करना और राजकोष से व्यय करना निविदा के माध्यम से यानी राज्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संभव नहीं है. इसलिए इनका चयन मनोनयन के माध्यम से किया जाय और इसमें बाधा बनने वाली झारखंड वित्त नियमावली के प्रासंगिक नियम को शिथिल कर दिया जाय. यही हुआ भी. ऐसा करने का आदेश हुआ, मुख्यमंत्री स्तर से. वैसी सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति तथा उन सेवा प्रदाता व्यक्तियों एवं संस्थाओं का चयन करने के बारे में निर्णय 3 नवम्बर से लेकर 11 नवम्बर 2016 तक होते रहे, जिन्हें 15 नवम्बर 2016 की सुबह तक राज्य के दूर–दराज के स्थानों तक पहुँचाना था अथवा 15 नवम्बर 2016 की शाम तक के कार्यक्रम में जिनका उपयोग करना था. इससे धारणा बनी कि सबकुछ ठीक नहीं हो रहा है. नियमों को शिथिल करने की आड़ में गोलमाल हो रहा है. अफरा–तफरी में किये जा रहे आयोजन के तौर–तरीकों से यह धारणा बलवती हुई.

राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 का आयोजन संपन्न हो जाने के बाद झारखण्ड विधान सभा के दो माननीय सदस्यों ने इस बारे में सवाल उठाये. अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन के भीतर सवाल उठाकर सरकार से आयोजन की वस्तुस्थिति जानना चाहा. यदि तत्कालीन राज्य सरकार ने इनके प्रश्नों के आलोक में तथ्यों की छानबीन कर सदन के समक्ष सही जवाब रख दिया होता, कार्यक्रम क्रियान्वयन की विसंगतियों की पड़ताल कर ली होती, सरकारी निधि का अपव्यय करने वालों की शिनाख्त कर ली होती, दोषियों को चिन्हित कर लिया होता, इनके विरूद्ध दंड निर्धारित कर दिया होता तो इस मामले में उपजा संदेह दूर हो गया होता, 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो गया होता. परंतु ऐसा हो नहीं पाया. सरकार ने कार्यक्रम क्रियान्वयन के मामले में हुई अनियमितताओं को ढँकने–तोपने का प्रयास किया. प्रश्नों का सही उत्तर सदन पटल पर नहीं रखा. भ्रामक उत्तर से विधान सभा को गुमराह किया. दोषियों को बचाने का उपक्रम किया. कारण कि दोषियों के चेहरों में सत्ता और शासन के शीर्ष पर बैठे लोगों को अपना अक्स नजर आने लगा. जाँच की दिशा दूसरी ओर मोड़ दी गई. सरकार ने सदन से तथ्य छुपाकर और सदन को कुछ का कुछ बता कर इतिश्री कर लिया, पर मामला थम नहीं पाया.

इस बीच झारखंड विधान सभा का आम चुनाव हुआ. आम चुनाव के बाद सत्ता बदल गई. सरकार बदली तो संदर्भित सवाल नये सिरे से खडा हुये. मैने स्वयं इस बारे में विधान सभा में सवाल उठाया. पर बदली हुई सरकार में भी अधिकारियों का

रवैया नहीं बदला, पूर्ववत रहा. विधान सभा में मेरे सवालों का सही जवाब नहीं आया. मैंने इसकी शिकायत विधान सभा के माननीय अध्यक्ष से किया. माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने मेरी शिकायत की जाँच सदन की 'अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति' को सौंप दिया. समिति ने संबंधित विभागों के सचिवों एवं अन्य अधिकारियों को तलब किया, उनसे स्पष्टीकरण पूछा, उन्हें सच्चाई बताने के लिये निर्देश दिया, संबंधित कागजात उनसे माँगा. संबंधित विभागीय सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों ने समिति की पृच्छाओं का उत्तर देने में आनाकानी करना चाहा, पर यह सम्भव नहीं हुआ. अंतत: वे समिति को आवश्यक कागजात एवं अधिकांश सूचनायें देने के लिये बाध्य हो गये. समिति के सामने उन्होंने जितने कागजात दिये, उन कागजातों के विश्लेषण से मामले में नये सिरे से भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें सामने आईं, मामला परत–दर–परत उघरने लगा. सिद्ध हो गया कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन के अवसर पर प्रभात फेरी में शामिल होने वाले स्कूली बच्चों–बच्चियों को देने के लिये टी–शर्ट खरीदने और टॉफी खरीदने में भारी गोलमाल हुआ है. सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य बनाने के नाम पर पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान का गायन कार्यक्रम रखने में भी पद, प्रभाव, पैसे का दुरूपयोग हुआ है. नगर की विद्युत साज–सज्जा करने में बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची हुई है.

आयोजन के लिये वर्ष 2016–17 के बजट में एक करोड़ रूपया की निधि आवंटित थी. समारोह को भव्य बनाने के नाम पर आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रूपया अग्रिम लेने का निर्णय हुआ. समय कम होने और आयोजन की तात्कालिकता के नाम पर वित्तीय नियमावली के नियम–245 के आलोक में नियम–235 को शिथिल कर सारा व्यय मनोनयन के आधार पर तय की गई एजेंसियों से कराया गया, इसके लिए निविदा नहीं निकाली गयी. जिससे टॉफी खरीदना दिखाया गया, उसे 35 लाख रूपये का पूरा भुगतान बिना जाँच पड़ताल किये दे दिया गया, टॉफी की आपूर्ति भी दिखा दी गई. पर संबंधित कागजातों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर पता चला कि टॉफी की आपूर्ति करने वाले ने उस वर्ष न तो टॉफी खरीदा था और न ही सरकार सहित किसी अन्य को टॉफी बेचा था. मामला तूल पकड़ने लगा तो झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग ने टॉफी की बिक्री छुपाने के आरोप में आपूर्तिकर्ता पर 17,01,500 (सतरह लाख एक हजार) रूपये का अर्थदंड लगाकर विधान सभा समिति को सूचित कर दिया. विभाग ने अनियमितता की तह में जाने और दोषियों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम नहीं किया.

इसी प्रकार टी–शर्ट की अधिकांश आपूर्ति तो लगता है, कागज पर ही दिखा दी गई. लुधियाना से 5 करोड़ रूपये कीमत की 5 लाख टी–शर्ट राँची आई कैसे इसका कोई सबूत राज्य सरकार के पास नहीं है. 5 लाख टी–शर्ट के बंडल लुधियाना से राँची, धनबाद, जमशेदपुर पहुंचे कैसे ? सड़क मार्ग से आये या रेलवे मार्ग से आये ? ट्रक से आये तो रोड परमिट कहाँ है ? रेलवे से आये तो बिल्टी और परिवहन के दस्तावेज कहाँ है ? झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग के रिकार्ड में तो ऐसे कोई कागजात उपलब्ध हैं नहीं. टॉफी और टी–शर्ट की पावती रसीद भी प्रथम दृष्ट्या बनावटी लगती है. पावती रसीद में इन सामग्रियों की खेप का आधा हिस्सा 14 नवम्बर 2016 को राँची पहुँचा दिखाया गया है. और इसे 15 नवम्बर की अहले सुबह राज्य के दूर–दराज के विद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुँचना भी दिखा दिया गया है. विधान सभा समिति की सख्ती के बाद वाणिज्य–कर विभाग ने बताया कि टी–शर्ट की आपूर्ति के बारे में उनके पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है. पंजाब सरकार से आवश्यक जानकारियाँ माँगी गई हैं.

15 नवम्बर 2016 की अहले सुबह इन सामग्रियों को, यानी टी–शर्ट और टॉफी को राज्य के दूर–दराज के माध्यमिक विद्यालयों तक पहुँचना था ताकि वहाँ के विद्यार्थी टी–शर्ट पहन कर राज्य स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित प्रभात फेरी में भाग ले सकें और प्रभात फेरी समाप्त होने पर टॉफी का स्वाद ले सकें अथवा इसका पैकेट लेकर घर जा सकें. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को ये सामग्रियाँ दूर–दराज के स्कूलों तक 14 नवम्बर की रात तक पहुँचा देनी थी. 14 नवम्बर को दिन में आधा से अधिक टी–शर्ट के बंडल और टॉफी के पैकेट इन्हें राँची में मिले और इन्होंने सभी विद्यालयों में इन्हें पहुँचाया गया दिखा दिया है. विधान सभा की 'अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति' के सामने इनके द्वारा इस बारे में चतुराई से तैयार किया गया एक आपूर्ति प्रतिवेदन सौंपा गया. समिति ने इसका गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया तो पता चला कि इसमें तो फर्जीवाड़ा किया गया है. झारखंड सरकार ने जितने स्कूलों में टॉफी और टी–शर्ट भेजा दिखाया है और प्रखंड स्तर पर जितने विद्यालयों में इसे पाया दिखाया गया है, इन दोनों आँकड़ों में काफी अंतर है और विद्यालयों से ली गयी प्राप्ति रसीद बनावटी है.

टॉफी और टी–शर्ट की आपूर्ति के संबंध में कागजात सामने आये तो पता चला कि जिस एजेंसी से 5 लाख पैकेट टॉफी की खरीद करने और सरकारी तंत्र से उसे प्राप्त करने एवं वितरण करने की बात कही गई है, उस एजेंसी ने तो वर्ष 2016 में न कोई टॉफी किसी से खरीदा और न ही किसी को बेचा है. यह विवरण उस

एजेंसी द्वारा वाणिज्य–कर विभाग को दिये गये उसके वार्षिक व्यवसायिक रिपोर्ट में दर्ज है. इसी तरह लुधियाना से मंगाई गई टी–शर्ट की प्राप्ति भी 15 नवम्बर के पहले राँची में दिखा दी गई है और तदुपरांत विद्यालयों के छात्रों के बीच बाँट दी गई है. परंतु जब पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग द्वारा झारखण्ड के वाणिज्य–कर विभाग को इस बारे में भेजे गये ब्यौरा की तफ्तीश की गई तो पता चला कि जिस टी–शर्ट को पहनकर झारखण्ड के विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को 15 नवम्बर 2016 की सुबह प्रभात फेरी निकालनी थी, उस टी–शर्ट की सबसे बड़ी खेप लुधियाना से सड़क मार्ग द्वारा 15 नवम्बर 2016 को दोपहर बाद रवाना की गई है. रेल मार्ग से भेजी जाने वाली टी–शर्ट की खेप भी राँची भेजने के लिए 15 नवम्बर 2016 को लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर प्राप्त दिखाई गई है. सवाल है कि टी–शर्ट की जो खेप 15 नवम्बर को दोपहर बाद सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से पंजाब के लुधियाना से राँची के लिए चली, उसे 15 नवम्बर की सुबह पहन कर झारखण्ड के स्कूली छात्र–छात्राओं ने प्रभात फेरी कैसे किया होगा ? इस सवाल के जवाब से ही इस मामले में झारखण्ड सरकार द्वारा की गई फर्जीवाड़ा के तिलिस्म की पोल खुल जाती है.

पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम को राज्य स्थापना समारोह–2016 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के बीच में शामिल करने की कवायद तो बेहद रोचक है. 15 नवम्बर 2016 की शाम स्थापना दिवस समारोह स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले से तय था. इसका आयोजन झारखंड सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के जिम्मे था. इसमें सुनिधि चौहान का कार्यक्रम पाँच दिन पहले तक नहीं शामिल था. समारोह आयोजन के पाँच दिन पहले 9 नवम्बर, 2016 को एक बैठक तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई. मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए इसमें श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाया जाय. मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. अधिकारियों ने इस विषय को संचिका में एक से अधिक जगहों पर अंकित कर हर जगह इस पर मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त कर लिया. संबंधित संचिका में अंकित टिप्पणियों एवं मंतव्यों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने बैठक में सूचित किया कि सुनिधि चौहान का कार्यक्रम करने पर जितना व्यय होगा, उसका भुगतान अविलंब करना होगा. उन्होंने यह भी सूचित किया कि यह भुगतान किसके माध्यम से करना होगा ? इस मामले में वास्तविक भुगतान जितना होना था उससे काफी अधिक हुआ. भुगतान की प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण और राजकोष के अपव्यय का प्रमाण परिलक्षित हुआ.

उल्लेखनीय है कि जिस दिन 6 नवंबर 2016 को, श्रीमती सुनिधि चौहान को राज्य स्थापना दिवस समारोह में बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रखा, उसके तीन दिन पहले 6 नवंबर 2016 को सुनिधि चौहान का कार्यक्रम जमशेदपुर के सिदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में छठ व्रत के अवसर पर छठव्रतियों का मनोरंजन करने के लिए हुआ था. इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ही थे. इस कार्यक्रम के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रही तथाकथित सूर्य मंदिर समिति, सिदगोड़ा के प्रबंधकों द्वारा सुनिधि चौहान को कितना पारिश्रमिक का भुगतान किया गया और राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर हुए उनके कार्यक्रम के लिए उनको राज्य सरकार द्वारा कितना भुगतान हुआ, इसका तुलनात्मक ब्यौरा सामने आने पर पता चल जाएगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के संरक्षण में जमशेदपुर में हुए सुनिधि चौहान के निजी कार्यक्रम के व्यय का भुगतान अलग से हुआ था या इसका भुगतान भी सरकार के खजाना से ही कर दिया गया ? क्या जमशेदपुर में हुए सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के भुगतान का जुगाड़ करने की रणनीति के तहत ही उन्हें राज्य स्थापना दिवस समारोह–2016 कार्यक्रम में बुलाने का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था ?

यह प्रकरण झारखंड राज्य में विधायिका और कार्यपालिका के समसामयिक अंतर्संबंधों और कार्य प्रणाली पर चौंकाने वाली रौशनी डालता है. विधायिका हर साल राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पारित करती है. जिसके आधार पर राज्य सरकार की विभिन्न गतिविधियाँ परिचालित होती हैं. वस्तुतः कार्यपालिका वित्तीय एवं वैधानिक दायित्वों के निष्पादन में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है. परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यपालिका विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही जवाब देने से कतराने लगी है, उत्तर देने में टाल–मटोल करने लगी है, यहाँ तक कि भ्रामक उत्तर देकर विधायिका को गुमराह करने लगी है. जब तक मुँह में उंगली डालकर उगलवाने की जुगत नहीं लगाई जाती तब तक विधानसभा सदस्यों के प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने की कल्पना आज के संदर्भ में सरकार से नहीं की जा सकती. वर्तमान प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है. इस संदर्भ में विधायकों द्वारा विधानसभा में गंभीर प्रश्न पूछे गये. कुल 6 प्रश्न पूछे गये. पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्नों के जवाब में सरकार झारखंड राज्य स्थापना समारोह, 2016 के आयोजन में अनियमितता होने से इंकार करती रही. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे क्लीन चिट मिलना माना. सरकार ने पाँचवें और छठवें सवालों में परोक्ष रुप से

अनियमितता होना स्वीकार किया. अंततः विधानसभा की अनागत प्रश्न समिति ने अधिकारियों को सशरीर बुलाकर पूछताछ आरम्भ किया तब जाकर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का खुलासा हो पाया. इस जद्दोजहद में किसी कवि की यह पंक्ति याद आती रही कि **''झूठ पकड़ना भी तब मुश्किल होता है, जब सच भी साजिश में शामिल होता है.''**

15 नवम्बर को राज्य का स्थापना समारोह आयोजित करने की जो प्रक्रिया 2016 में अपनाई गई थी, कमोबेश वही प्रक्रिया 2017 में भी अपनाई गई. समय की कमी बताकर सरकार ने 2017 में भी सामग्रियों का क्रय एवं एजेंसियों का चयन मनोनयन के आधार पर ही किया. राज्य स्थापना दिवस समारोह की तिथि पूर्व निश्चित है, हर वर्ष के लिये यह 15 नवम्बर है. फिर भी 2016 की तरह ही 2017 में भी वित्तीय नियमावली का नियम–235 शिथिल किया गया और बिना निविदा निकाले आकस्मिकता एवं अल्प अवधि का हवाला देकर मनोनीत संस्थाओं से सामग्रियाँ खरीदी गईं. 2016 की ही तरह 2017 में भी टॉफी, टी–शर्ट आदि खरीदा गया. मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित करने के लिये 2016 में आर्चर्स इंटरटेनमेंट प्रा. लि. के माध्यम से गायिका सुनिधि चौहान को बुलाया गया था. 2017 में सलीम एवं सुलेमान मर्चेन्ट, c/o नीरव ठक्कर, मुंबई के माध्यम से किसी और को बुलाया गया. 2016 में टॉफी की खरीद सिदगोड़ा, जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राईजेज से की गई थी और 2017 में टॉफी जमशेदपुर के ही जुगसलाई स्थित माँ लक्ष्मी भंडार से खरीदी गई. 2016 में टी–शर्ट लुधियाना के कुडु फैब्रिक्स से उनके एजेन्ट जमशेदपुर के कदमा निवासी प्रकाश शर्मा के माध्यम से मँगाई थी तो 2017 में प्रकाश शर्मा की ही संस्था प्रतीक फेबनिट आदित्यपुर, जमशेदपुर से खरीदी गई.

इस आयोजन के बारे में राज्य की राजनीतिक राजधानी राँची में सरकार के शीर्ष स्तर पर लिये गये वित्तीय निर्णयों के लाभुकों की जमात का सीधा रिश्ता खुद–ब–खुद राज्य की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है. झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन के इन तिलिस्मों का उद्‌भेदन आँखे खोलने वाला है. इस आयोजन से लाभान्वित होने वालों के संदर्भ में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर तलाशने और इसमें निहित शंकाओं का समाधान करने का दायित्व मैं सुधी पाठकों के निर्मल विवेक पर छोड़ता हूँ.

(सरयू राय)

पुस्तक के बारे में

वोट देकर जनता अपने पसन्द की सरकार चुनती है. राजकाज चलाने की शपथ लेने के साथ ही सरकार चलाने वालों को हजारों करोड़ रूपया का सरकारी खजाना भी मिलता है. यह खजाना आम आदमी द्वारा अपने खून–पसीने की गाढ़ी कमाई से चुकाये जाने वाले टैक्स से भरता है. जनता एवं आर्थिक उपक्रमों से टैक्स वसूलने के लिये और इसे खर्च करने के लिए हमारे संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरुप वैधानिक व्यवस्थायें बनाई गई हैं, नियम–कानून बनाये गये हैं.

हमारे पूर्वज मनीषियों ने जनता पर टैक्स लगाने और इस टैक्स को वसूलने के संबंध में नैतिक मार्गदर्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि मधुमक्खी फूलों के पराग से रस लेकर मधु बनाती है, इस प्रक्रिया में फूलों और फुलवारी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचता है पर लोगों के रसास्वादन के लिए शहद का भंडार पैदा हो जाता है. जैसे भगवान सूर्य अपनी गर्मी से नदियों के, तालाबों के, समुद्र के जल को वाष्प के रूप में शनैः शनैः अवशोषित करते हैं और वही वाष्प बादल बनकर वर्षा के रूप में बरसता है तो इससे प्रकृति का संचालन होता है. सूर्य की रोशनी की उपलब्धता सबके लिए एक समान होती है. इसी प्रकार सरकार को जनता की कमाई से इस प्रकार टैक्स वसूलना चाहिए कि यह वसूली जनता को बोझ नहीं लगे और जब पाई–पाई का टैक्स इक्ट्ठा होकर हजारों करोड़ रूपया का खजाना बने तो इस खजाने से होने वाला व्यय भी जनहित में नियमों–कानूनों की सीमा मर्यादा के अधीन समभाव से किया जाना चाहिए, ताकि सुचारू रूप से सरकार इसका सदुपयोग जनहित एवं विकास के काम में सूर्य की रोशनी की तरह करे, इसका दुरूपयोग नहीं करे, खर्च करने में सीमायें–मर्यादायें न तोड़े, मनमानी नहीं करे, नियम–कानून को दरकिनार करने की धृष्टता नहीं करे, निहित स्वार्थियों के मंसूबे पूरा नहीं करे.

कोई सरकार या सरकार का मुखिया जब सरकारी खजाने में जमा जनता के पैसों को खर्च करने में मनमानी करता है, अपने स्वार्थ के अनुसार नियमों–कानूनों को तोड़ता–मरोड़ता है, इससे स्वजनों एवं निहित स्वार्थी तत्वों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका यह आचरण भ्रष्ट आचरण कहा जाता है. जो समाज ऐसे भ्रष्ट आचरण को नकारता है, नापसन्द करता है वह प्रगति करता है. जो व्यवस्था इसके लिए दोषियों को दंडित करती है वह ईमानदार ओर गतिशील मानी जाती है. परन्तु कालक्रम में सरकारी खजाने का संचालन करनेवालों की मनमर्जी बढ़ी है, नियमों के अनुपालन की विधिसम्मत प्रक्रिया में मनमाना बदलाव करने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है. जनता जिन्हें गद्दी पर बिठाती है, जनता से टैक्स की

वसूली करने और खजाना में जमा इस धन को खर्च करने की प्रक्रिया में उनका सामाजिक दायित्व ओझल होने लगा है. करारोपण के समय उनकी प्राथमिकता खजाना भरने की हो जाती है. वे यह नहीं सोचते कि अमुक कराधान से जनता पर या जनता के खास हिस्से पर कितना अनावश्यक बोझ बढ़ेगा. सरकारी खजाना से खर्च करने की बात आती है तो स्वयं को खजाने का स्वामी मानकर इसे खर्च करने में मनमर्जी करते हैं, संविधान के प्रावधान के अनुरूप बनाये गये नियमों–कानूनों को तोड़ते–मरोड़ते हैं, शिथिल करते हैं. अपवाद के रूप में अपातकालीन परिस्थिति में सरकारी खजाने से व्यय करने के लिए संविधान में छूट के जो प्रावधान किये गये हैं, उसे अपनी मनमानी करने का औजार बना लेते हैं.

यह पुस्तक झारखण्ड सरकार में वर्ष 2016 में हुई एक ऐसी ही वारदात का संक्षिप्त वृतान्त है. झारखण्ड की जनता ने दिसम्बर, 2014 में एक सरकार चुना. कालांतर में वह सरकार पूर्ण बहुमत और डबल इंजन वाली सरकार के रूप में मशहूर हुई. कुछ दिन बाद मुझे भी इस सरकार में शामिल होने का मौका दिया गया. मैंने सरकार में रहकर प्रशासन को जनहित में कार्य करने एवं लोक निधि के व्यय में पारदर्शिता लाने तथा राज्य में शासन का उच्च पद धारण करने वालों के आचरण में स्वच्छता लाने के लिए कतिपय प्रासंगिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया. उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा यह प्रकरण भी है, जिसका संक्षिप्त वृतान्त इस पुस्तक का विषय है. सरकारी पैसे को खर्च करने में मनमानी करने, नियम–कानून को धत्ता बताने, वित्तीय प्रावधानों को तोड़ने–मरोड़ने, जनहित की जगह व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने, निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने आदि का यह एक प्रामाणिक एवं अनोखा वृतान्त है. प्रमाण सहित विषयवस्तु को ध्यान में लाने के बावजूद सरकार द्वारा मामले पर लीपापोती करने, खामियों पर पर्दा डालने, दोषियों को संरक्षण देने, विधान सभा को गुमराह करने की कोशिशें इस मामले में हुईं. इनका जिक्र इस पुस्तक में यथास्थान किया गया है. सामान्य प्रशासन की ऐसी प्रवृति सुशासन की संभावना पर ग्रहण लगाने वाली है, जन भरोसा का गला घोंटने वाली है, जन–सरोकार के साथ धोखा करने वाली है और सबसे बढ़कर प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं फिजूलखर्ची को बढ़ावा देने वाली है.

जब सरकार चलाने वालों की नीयत नापाक हो जाती है तब शासन संचालन में कदम–कदम पर भ्रष्ट आचरण का बोलबाला हो जाता है. छोटे–बड़े सरकारी कार्यक्रमों को अवैध कमाई करने और निहित स्वार्थ साधने का जरिया बनाने की जुगत आरंभ हो जाती है. शासन के विभिन्न सोपानों पर बैठे अधीनस्थ अधिकारीगण सत्ताशीर्ष पर निर्णायक की भूमिका में आसीन व्यक्तियों के भ्रष्ट आचरण को

अपनाने या उस पर पर्दा डालने में लग जाते है. झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन में भव्यता लाने के नाम पर जिस प्रकार आनन–फानन में कार्यक्रम निर्धारित किये गये और उन कार्यक्रमों को अवैध कमाई का जरिया बनाया गया, उसका प्रामाणिक ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया है. कार्यक्रमों की रचना करने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक में नियम–कानून को जिस निर्ममता से तोड़ा–मरोड़ा गया और नियम–कानून तोड़ने वालों को सत्ता शीर्ष पर आसीन पदधारियों का जैसा संरक्षण मिला, उसकी चौंकाने वाली बानगी इस पुस्तक में है. सरकार बदल जाने पर भी शासन की तासीर पूर्ववत बनी रही. ''आप मेरी पीठ सहला दीजिए, समय आया तो मैं आपकी पीठ सहला दूँगा'' की भावना सरकारी तंत्र पर निर्लज्जता पूर्वक हावी हो जाय तो कार्यपालिका और विधायिका की कार्यप्रणाली एवं अंर्तसंबंधों पर किस भांति प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे जनहित कितना आहत होता है, इसकी एक झलक इस पुस्तक में मिलती है.

इस पुस्तक में प्रस्तावना और उपसंहार को छोड़कर कुल 12 खंड हैं. इसके अतिरिक्त पुस्तक में 12 परिशिष्ट हैं. सभी खंडों के विषयवस्तु को इस भांति संयोजित किया गया है कि पुस्तक के प्रवाह में रोचकता बनी रहे और पुस्तक का पाठ्यक्रम सुधी पाठकों के लिए क्लिष्ट नहीं प्रतीत हो. पुस्तक की विश्वसनीयता बनी रहे और इसका पाठन बोझिल नहीं लगे, इसलिए प्रमाणिक तथ्यों को परिशिष्ट के रूप में अलग से रक्षित किया गया है. ध्यान रखा गया है कि पुस्तक के एक खंड की पठन सामग्री का दोहराव किसी अन्य खंड में कम से कम हो. ऐसा दोहराव केवल वहीं हुआ है जहाँ विषयवस्तु को स्पष्ट करने के लिए इसकी बाध्यता थी.

पुस्तक के खंड–1 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन के संदर्भ में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर विभागीय संचिका में मुख्यमंत्री का विधिवत आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन है. तदुपरांत झारखंड वित्त नियमावली के नियम–235 को शिथिल कर मनोनयन के आधार पर आयोजन के लिए आवश्यक कार्यो के संपादन हेतु एजेंसियों के चयन पर जिस प्रक्रिया से प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया उसका उल्लेख खंड–2 में है. खंड–3 में सरकारी अधिकारियों की उस संदेहास्पद कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण है जिसके अनुसार राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर राज्य भर के विद्यालयों में प्रभात फेरी निकालने वाले विद्यार्थियों के बीच टॉफी और टी–शर्ट की प्राप्ति झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दिखाई गई है और उनका तथाकथित वितरण राज्य भर के विद्यालयों में रातों–रात किया गया है. टॉफी और टी–शर्ट की प्राप्ति एवं वितरण की प्रक्रिया के बारे में अनियमितताएं बरती जाने

की सूचनाएं सार्वजनिक होने लगी तो चतुर्थ झारखंड विधान सभा के दो माननीय सदस्यों श्री अरूप चटर्जी और श्री प्रदीप यादव ने बजट सत्र–2018 में इस बारे में सरकार से सवाल पूछा. सदन पटल पर सरकार ने जो उत्तर दिया वह उत्तर घोर असंतोषजनक था. इस प्रश्नोत्तर को पुस्तक के खंड–4 में स्थान दिया गया है.

इसके तुरंत बाद पंचम झारखंड विधान सभा के गठन के लिए आम चुनाव हुए. तदुपरांत गठित पंचम विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में मैंने इस विषय में ठोस सूचनाओं पर आधारित दो प्रश्न पूछा. एक प्रश्न का उत्तर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दिया और दूसरे का उत्तर वाणिज्य–कर विभाग ने दिया. चुनाव के बाद सरकार बदल गई थी, परन्तु विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली नहीं बदली थी. उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर भी घुमा–फिराकर दिया और कहा कि टॉफी और टी–शर्ट की आपूर्ति एवं वितरण में अनियमितताएं नहीं हुई है. मैंने सरकार के दोनों विभाग के इन उत्तरों पर असंतोष व्यक्त करते हुए माननीय विधान सभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मुझे इन प्रश्नों का सही उत्तर दिलायें. माननीय सभाध्यक्ष ने इस संदर्भ में पत्र के माध्यम से व्यक्त की गई मेरी जिज्ञासा पर अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए इसे विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेज दिया. इस संदर्भ में माननीय सभाध्यक्ष को प्रेषित मेरे पत्र से उत्पन्न परिस्थिति का जिक्र पुस्तक के खंड–5 में है.

इस बीच आलोच्य विषयवस्तु के बारे में मुझे कतिपय सूचनाएं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई. इनके आधार पर मैंने झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में वाणिज्य–कर विभाग से सवाल पूछा और बताया कि जिस फर्म से सरकार ने टॉफी प्राप्त किया है, उस फर्म ने 2016–17 में न तो किसी से टॉफी खरीदा है और न ही सरकार सहित किसी अन्य को टॉफी बेचा है. मेरे इस प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य–कर विभाग को स्वीकार करना पड़ा कि टॉफी की आपूर्ति में अनियमितता हुई है और विभाग ने आपूर्तिकर्त्ता पर 17 लाख 1 हजार 500 रूपये का अर्थदंड लगाया है. इस प्रकार सरकार ने विधान सभा पटल पर पहली बार इस प्रक्रिया में अनियमितता होने की बात स्वीकार किया, परन्तु इसके लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के बारे में मौन साध लिया. इस आशय का विस्तृत विवरण पुस्तक के खंड–6 में देखा जा सकता है.

टॉफी और टी–शर्ट की खरीद और वितरण में अनियमितता होने के अतिरिक्त झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर फिल्म जगत की पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में मैंने पुन: विधान सभा के षष्टम (मानसून) सत्र में

एक सवाल पूछा. इसके पूर्व इस संबंध में हुई अनियमितता की जाँच कराने के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री से लिखित अनुरोध कर चुका था. सरकार ने मेरे इस प्रश्न का भी गोल–मटोल जवाब सदन पटल पर दिया. पहले दिन मेरा प्रश्न माननीय सभाध्यक्ष के निदेशानुसार स्थगित कर दिया गया. इसका विवरण खण्ड–7 में है. उन्होंने इसका जवाब अगले दिन देने का निर्देश सरकार को दिया. मैंने इस संबंध में ठोस सूचनाएं पूरक प्रश्न के माध्यम से सदन पटल पर रखा तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री को इसका उत्तर देने के लिए खड़ा होना पड़ा और यह स्वीकार करना पड़ा कि अनियमितताओं के मद्दे नजर इसकी जाँच एसीबी अथवा सदन की विशेष समिति से कराने के लिये वे तैयार हैं. सदन यह निर्णय ले कि जाँच किस भांति करानी है. विहित संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय सभाध्यक्ष का नियमन हुआ कि इसकी जाँच भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराना श्रेयस्कर होगा. इस संबंध में विधान सभा में मेरे प्रश्न पर हुए वाद–विवाद का हू–ब–हू अंश पुस्तक के खंड–8 में उपलब्ध है.

पुस्तक के खंड–9 में श्रीमती सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में हुई घपलेबाजी का उल्लेख है. खण्ड– 10 और खण्ड–11 में टॉफी की संदेहास्पद आपूर्ति तथा टी–शर्ट की आपूर्ति में फर्जीवाड़ा का विस्तृत विवरण दिया गया है. इसके बाद विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति द्वारा टॉफी की आपूर्ति में घपला और टी–शर्ट की आपूर्ति में फर्जीवाड़ा की जाँच और अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया है. अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने इस संबंध में एक प्रतिवेदन पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र 2021 में तथा दूसरा प्रतिवेदन सभा के सप्तम (शीतकालीन) सत्र, 2021 में दिया. जाँचोपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस संबंध में सरकार द्वारा समिति को उपलब्ध कराये गये दस्तावेज ''फेक'' है, यानी फर्जी है. समिति ने इसकी जाँच एक उच्चस्तरीय समिति से कराने का निर्देश दिया. इतना सब होने के बाद अंतत: सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन में टॉफी और टी–शर्ट की खरीद में फर्जीवाड़ा हुआ है तथा श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में राजकीय खजाना का अपव्यय हुआ है. साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री के संरक्षण में जमशेदपुर में आयोजित श्रीमती सुनिधि चौहान के निजी कार्यक्रम का भुगतान भी सरकारी खजाना से कर दिया गया है. ऐसा करने के लिए ही आयोजन से मात्र पाँच दिन पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव के प्रस्ताव पर श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आनन–फानन में स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित सांस्कृतिक

कार्यक्रमों के बीच रख दिया गया. अंततः इसकी जाँच एसीबी से कराने का आदेश 3 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दे दिया, जिसका उल्लेख पुस्तक के खंड–12 में किया गया है.

पुस्तक हेतु विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सामाग्रियाँ उपलब्ध कराने में कई जागरूक व्यक्तियों ने सहयोग किया है. इस पुस्तक को कोविड की तीसरी लहर की अवधि में अंतिम रूप दिया गया. पुस्तक की सामग्रियों को मेरे आवासीय कार्यालय में बेतरतीब रक्षित संचिकाओं से बाहर निकाल कर इनका टंकन करने तथा इन्हें सिलसिलेवार सुव्यवस्थित करने का बोझिल काम मेरे निजी सहायक राजेश कुमार सिन्हा ने धैर्य पूर्वक किया है. इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है. इसके साथ ही झारखंड प्रिंटर्स के श्री बाला कुमार सिंह ने और श्री दीपक पारधी धन्यवाद के पात्र हैं. बालाजी ने टंकित सामग्रियों को पुस्तक के आकार में सुसज्जित करने में मनोयोग का परिचय दिया है तथा दीपक ने पुस्तक का मुख्य पृष्ठ डिजाईन किया है । इसके लिए ये दोनों ही व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं । झारखंड प्रिंटर्स ने पुस्तक के प्रकाशन की स्वीकृति देकर प्रकाशन का शीघ्र सुनिश्चित कर उसके लिए इन्हें धन्यवाद ! त्वरित गति से पुस्तक की छपाई किया है । इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

पुस्तक सामग्री पूर्णतः विश्वसनीय एवं प्रामाणिक दस्तावेजों पर आधारित है. तथ्यों के विश्लेषण के दौरान ध्यान रखा गया है कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं हो और संचिकाओं में अंकित तथ्यों को उद्धृत करने में वस्तुपरकता का संरक्षण हो, तथ्यों प्रस्तुतीकरण एकांगी नहीं होकर समावेशी हो और सही संदर्भ में हो । फिर भी इससे किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को ठेस पहुँची हो तो इसके लिए खेद है. विषयवस्तु को संशोधित करते समय इसका ध्यान भी रखा गया है कि यह पुस्तक प्रचार अथवा दुष्प्रचार का औजार नहीं बने बल्कि समसामयिक तथ्यों को जनसाधारण तक पहुँचाने का माध्यम बने। पारखी एवं सुधीजनों से पुस्तक की समालोचना सही परिप्रेक्ष्य में करने की अपेक्षा है। यह पुस्तक उनके लिए एक निश्छल संदेश है जो मुजफ्फर वारसी की निम्नांकित पंक्तियों में अभिव्यक्त मानसिकता के प्रतीक हैं कि ''औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता.''

– सरयू राय

❖❖❖

खण्ड–1

झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016

झारखंड राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष 15 नवम्बर को आयोजित किया जाता है. इसी दिन वर्ष 2000 में भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ. यह दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिन भी है. इस दिन आयोजित होने वाला समारोह या कोई अन्य आयोजन आकस्मिक आयोजन नहीं है. यह एक स्थायी आयोजन है जिसकी तिथि सुनिश्चित है और पूर्व निर्धारित है. इसलिये वर्ष 2016–17 के वार्षिक बजट में तत्कालीन सरकार ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिये एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया था. राज्य का बजट बनाते समय सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 2016 के इस आयोजन पर इस वर्ष एक करोड़ रूपया व्यय करना है।

जब राज्य स्थापना की तिथि नजदीक आई तो स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2016 को राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों की एक बड़ी बैठक राँची में बुलायी गई. बैठक में निर्णय हुआ कि 15 नवम्बर 2016 के दिन झारखंड राज्य का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाय. इस बैठक में लिये गये निर्णयों की विस्तृत अधिसूचना 26 अक्टूबर 2016 को निर्गत हुई. सरकार को लगा कि वार्षिक बजट में इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के लिये आवंटित एक करोड़ रूपये की राशि पर्याप्त नहीं है. बजट आवंटित करते समय सरकार ने राज्य स्थापना दिवस समारोह–2016 के लिये कार्यक्रम की जैसी रूपरेखा निर्धारित किया था वह राज्य स्थापना दिवस के 20 दिन पहले सरकार को भव्य नहीं प्रतीत हुई. 17वां राज्य स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन करने के लिये एक अलग खंड संचिका, संख्या– 04/म.म.स. (समारोह)–02/2015 (खंड–1), खोली गई. इस संचिका के माध्यम से झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के भव्य आयोजन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि की व्यवस्था करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई.

एक करोड़ रूपया का व्यय कर राज्य स्थापना दिवस समारोह–2016 का आयोजन करने के लिये किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की मंशा राज्य सरकार की थी इसका जिक्र तो नई खोली गई खंड संचिका में नहीं है, परंतु दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही का जो

ब्यौरा राज्य स्थापना दिवस के मात्र 18 दिन पहले 25 अक्टूबर 2016 को सरकार ने अधिसूचित किया, उसकी विस्तृत रूपरेखा खंड संचिका के पत्राचार पक्ष के पृष्ठ 6–1. पर मौजूद है. इस विस्तृत रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

- मुख्य समारोह राँची के मोराबादी मैदान में आयोजित किया जायेगा.
- इस अवसर पर दिनांक 13, 14 एवं 15 नवम्बर, 2016 को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा.
- जिला स्तर पर गीत, संगीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा. सभी उपायुक्त अपने–अपने जिलों से सबसे उत्कृष्ट एक कार्यक्रम को चयनित कर राज्य स्तर पर भेजेंगे जो दिनांक 15.11.2016 को मुख्य कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करेंगे. इनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को मुख्य कार्यक्रम के दौरान दिनांक 15.11.2016 को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा.
- दिनांक 12.11.2016 को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जायेगा.
- स्थापना दिवस के अवसर पर राँची में एक मेला लगाया जायेगा. इस मेले में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना विकास आयुक्त सुनिश्चित करेंगे.
- स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार के 9 विभागों से संबंधित स्वयं सहायता समूहों/कर्मियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी.
- उद्योग विभाग द्वारा बड़े गुब्बारों के साथ–साथ छोटे गुब्बारे प्रदर्शित किये जायेंगे, जिनमें मोमेन्टम झारखंड का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा. ये छोटे गुब्बारे बच्चों को उपलब्ध कराये जायेंगे.
- सरकारी भवनों यथा– राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस एवं महत्वपूर्ण चौक–चौराहों के साथ–साथ जिलों के प्रमुख सरकारी भवनों यथा समाहरणालय इत्यादि की विद्युत साज–सज्जा की जायेगी.
- मुख्य समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी.
- मुख्य समारोह स्थल पर सुरक्षा, शौचालय, सफाई, चिकित्सा, एम्बुलेंस, पेयजलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, उद्घोषणा, अग्निशमन, यातायात, मीडिया के लिये व्यवस्था की जाएगी.

- मुख्य समारोह स्थल तक जाने वाले पथों की मरम्मति एवं रंगाई आदि की जायेगी.
- सभी जिलों में महापुरूषों की प्रतिमाओं की सफाई की जायेगी, इनपर माल्यार्पण किया जाएगा तथा शहर की सफाई की जायेगी.
- मुख्य समारोह स्थल, राँची तक जाने वाले सभी मार्गो एवं पूरे शहर की सफाई की जायेगी.
- सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पूर्व की भाँति राज्य स्थापना दिवस के प्रात: स्थानीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकालने की व्यवस्था करायेंगे.
- माननीय मुख्यमंत्री के अभिभाषण की व्यवस्था की जायेगी.
- आकर्षक आतिशबाजी के साथ मुख्य कार्यक्रम का समापन होगा.

इस भव्य समारोह पर होने वाले अनुमानित व्यय के संबंध में अगले दिन 26.11.2016 को खंड संचिका में एक प्रस्ताव दिया गया. अनुमान लगाया गया कि उपर्युक्त कार्यक्रमों के भव्य क्रियान्वयन हेतु 10 से 12 करोड़ रूपया से अधिक की राशि की आवश्यकता होगी. चुकि राज्य के बजट में यह राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी व्यवस्था के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेना होगा. इसपर माननीय मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री का आदेश चाहिये. संचिका के आरम्भ में ही अंकित प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि ''इस अवसर पर प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले मध्य विद्यालयों के 5 लाख विद्यार्थियों को एक–एक टी–शर्ट और मिठाई का पैकेट भी उपलब्ध कराना है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था कराना है. विद्युत सज्जा कराना है. व्यवस्था के अनेकों कार्यक्रम कराने हैं. उपर्युक्त सभी कार्यक्रम काफी बड़े एवं व्यापक रूप से आयोजित किये जा रहे हैं. समारोह के आयोजन के लिये समय अत्यल्प है. अत: प्रस्ताव है कि राज्य स्थापना दिवस, 2016 के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अतिरिक्त 10 करोड़ रूपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर कार्यो का संपादन किया जाय.''

प्रस्ताव में यह भी अंकित किया गया है कि समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर करना होगा. इस हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम– 235 को नियम– 245 के अधीन शिथिल कर कार्य निष्पादन करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्राधिकृत किया जाय. इस

प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाय और वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का आदेश प्राप्त किया जाय. इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी दिया गया कि कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) नोडल विभाग के रूप में कार्य करे तथा सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समारोह के आयोजन में भूमिका निभाये.

संचिका पर यह प्रस्ताव 26.11.2016 को विशेष कार्य पदाधिकारी के स्तर से आरम्भ हआ. अति द्रुत गति से वरीय–कनीय नौ पदाधिकारियों के टेबुल पर से गुजरते हुये संचिका उसी दिन मुख्यमंत्री तक पहुँच गई और वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का आदेश हो गया. अगले दिन दिनांक 27.11.2016 को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के मसौदा पर भी मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हो गया. वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त होने के उपरांत संचिका मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को पृष्ठांकित कर दी गई.

संबंधित संचिका पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए एक स्वभारित टिप्पणी अंकित की गयी. मुख्य (वित्त) मंत्री श्री रघुवर दास ने इस विभागीय टिप्पणी के नीचे अपना हस्ताक्षर कर उसे संपुष्ट कर दिया. सक्षम पदाधिकारी की विभागीय टिप्पणी और उसे संपुष्ट करते हुए उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास का हस्ताक्षर निम्नवत है :–

मुख्य (वित्त) मंत्री

पृ. 1–2/टि. पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का प्रस्ताव कृपया देखा जाय ।

2. (क) विभाग का प्रस्ताव है कि राज्य स्थापना दिवस, 2016 के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अतिरिक्त 10 करोड़ रूपये की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर कार्यों का सम्पादन किया जाय ।

(ख) साथ ही समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेन्सी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के अधीन शिथिल कर कार्य निष्पादन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्राधिकृत किया जाय ।

3. स्थापना दिवस की महत्ता तथा वर्त्तमान में सीमित समय के आलोक में प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति दी जा सकती है ।

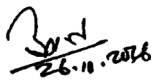

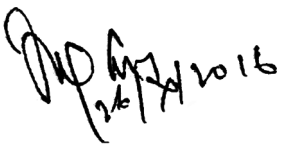

(रघुवर दास)

इस प्रकार मुख्यमंत्री के आदेश से ₹ 10 करोड़ का अग्रिम आकस्मिकता निधि से लेने तथा उसे मनोनयन के आधार पर चयनित व्यक्तियों, एजेंसियों के माध्यम से व्यय करने की इजाजत मिल गई. इसके बाद इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए संचिका मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भेज दी गई.

❖❖❖

खण्ड–2

मुख्यमंत्री का अनुमोदन

दिनांक 26.11.2016 को झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 का भव्य आयोजन करने के लिये झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़. रूपये अग्रिम लेने एवं समय की कमी के कारण इस अग्रिम निधि का व्यय मनोनयन के आधार पर करने के लिए कार्यकारी एजेन्सियों का चयन करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हो गया तो इसके बाद सरकारी अधिकारियों ने मनोनयन के आधार पर चयनित एजेंसियों के नाम पर तथा इन एजेंसियों को भुगतान करने के तौर–तरीकों पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ किया. मुख्यमंत्री के आदेश से सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को राज्य स्थापना दिवस, 2016 के सभी कार्यक्रम कराने के लिये नोडल विभाग तय किया गया. नोडल विभाग घोषित हो जाने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने संबंधित सभी कार्यों एवं कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिये राँची के उपायुक्त को जिम्मेदारी सौंप दिया. अर्थात सरकार के खजाना से आकस्मिकता निधि का 10 करोड़ रूपये अग्रिम मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के खाता में आयेगा, जहाँ पर पहले से ही बजट आवंटन का एक करोड़ रूपया रक्षित है. राँची के उपायुक्त स्थापना दिवस समारोह, 2016 के भव्य आयोजन के लिये काम करने वाली एजेंसियों का मनोनयन के आधार पर चयन करने की प्रक्रिया पूरा करेंगे और इस पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करेंगे. मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कार्यक्रम संपादित हो जाने के उपरांत एजेंसियाँ अपना व्यय विपत्र राँची के उपायुक्त को सौंपेंगीं. इनका भुगतान करने के लिये राँची के उपायुक्त विहित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से आवश्यक निधि की माँग करेंगे और प्राप्त करेंगे.

राँची के उपायुक्त ने अपने विवेक से या उपर के निर्देश से स्थापना दिवस समारोह, 2016 के विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये कार्यकारी एजेंसियों का चयन किया और विहित प्रक्रियानुसार इस पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया. संबंधित खंड संचिका के टिप्पणी पक्ष के विभिन्न पृष्ठों पर एवं पत्राचार पक्ष के विभिन्न पृष्ठों पर यथास्थान इसका विवरण अंकित एवं रक्षित है. संचिका में अंकित विवरण के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अवर सचिव ने दिनांक 03.11.2016 को विशेष कार्य पदाधिकारी को लिखा कि ''राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के सफल आयोजन हेतु समयाभाव एवं तात्कालिकता को

दृष्टिपात में रखते हुये यदि मान्य हो तो कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना से मनोनयन के आधार पर टी–शर्ट क्रय करने के लिये उसे ₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र अग्रिम उपलब्ध कराने तथा मेले के आयोजन हेतु अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को मनोनयन के आधार पर चयन करने हेतु उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रस्ताव पर उचित माध्यम से माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है.'' यह अनुमोदन प्राप्त भी हो गया.

संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ने यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी को भेजा और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया. प्रशाखा पदाधिकारी ने विशेष कार्य पदाधिकारी को संबोधित करते हुए संचिका पर जो लिखा वह हू–ब–हू निम्नवत उद्धृत है–

1. कृपया पृष्ठ 19–15/प. पर रक्षित उपायुक्त, राँची से प्राप्त पत्रों (अनुलग्नक सहित) का अवलोकन किया जा सकता है।

2. झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के सफल आयोजन हेतु उपायुक्त, राँची को प्रेषित विभागीय पत्रांक–1089, दिनांक 31.10.16 द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले बच्चों को एक–एक टी–शर्ट उपलब्ध कराने हेतु कुल– 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है. यह निर्देश संचिका के पत्राचार पक्ष के पृष्ठ 14–13 पर देखा जा सकता है.

3. पृष्ठ 19–18/प. पर रक्षित उपायुक्त, राँची के पत्रांक 776(ii)/नजा., दिनांक 02.11.2016 में उल्लिखित है कि उक्त 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट के क्रय हेतु कतिपय स्थानीय प्रतिष्ठानों से वार्ता की गई. वार्ता के क्रम में स्थानीय प्रतिष्ठानों ने इतने कम समय में टी–शर्ट आपूर्ति करने से इनकार किया. इसी क्रम में कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट (विभाग द्वारा निर्देशित स्लोगन अंकित करते हुए) उपलब्ध कराने पर सहमति देते हुए उनके कार्यालय में एक भाव पत्र समर्पित किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न है. यह पत्र संचिका के पत्राचार पक्ष के पृष्ठ 19–18 पर रक्षित है.

4. वर्णित परिस्थिति में कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना से 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट ₹ 5,00,00,000/– (पाँच करोड़) मात्र के लागत पर मनोनयन के आधार पर

क्रय करने तथा ₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र अग्रिम भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध उपायुक्त, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा किया गया है.

5. पृ. 17–15/प. पर रक्षित उपायुक्त, राँची का एक अन्य पत्र (पत्रांक 769 (ii) नजा., दिनांक 31.10.2016) झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर दिनांक 14–15 नवम्बर, 2016 को आयोजित किये जाने वाले विकास मेले के सफल आयोजन के संबंध में है. अल्प अवधि में संविदा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु संस्थान/एजेंसी के चयन में कठिनाई का हवाला देते हुए उन्होंने ''अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.'' से मनोनयन के आधार पर कार्य कराने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है. पत्र के साथ अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. का कोटेशन भी संलग्न है. इसमें उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की लागत कर सहित ₹ 90,73,500/– (नब्बे लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र दर्शायी गयी है.

6. विवेचित परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के सफल आयोजन हेतु समयाभाव एवं तात्कालिकता को दृष्टिपथ में रखते हुए यदि मान्य हो तो कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना से मनोनयन के आधार पर टी–शर्ट क्रय करने एवं उसे ₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र अग्रिम उपलब्ध कराने तथा मेले के आयोजन हेतु अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को मनोनयन के आधार पर चयन करने हेतु उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रस्ताव पर उचित माध्यम से माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है.

विशेष कार्य पदाधिकारी ने प्रशाखा पदाधिकारी की टिप्पणी पर अपना मंतव्य देते हुए इसे विभागीय सचिव को भेज दिया कि वे इस पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करें. विभागीय सचिव को संबोधित विशेष कार्य पदाधिकारी की संचिका पर प्रासंगिक टिप्पणी निम्नवत है :–

1. पूर्व पृष्ठ से कार्यालय टिप्पणी.
2. पत्राचार भाग पर रक्षित उपायुक्त, राँची के पत्रांक 776 (ii) नजा., दिनांक 02.11.2016 में उल्लिखित है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले बच्चों को उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 05 (पाँच) लाख टी–

शर्ट के क्रय हेतु कतिपय स्थानीय प्रतिष्ठानों से वार्ता की गई. वार्ता के क्रम में स्थानीय प्रतिष्ठानों ने इतने कम समय में टी–शर्ट आपूर्ति करने से इनकार किया. इसी क्रम में कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट (विभाग द्वारा निर्देशित स्लोगन अंकित करते हुए) उपलब्ध कराने पर सहमति देते हुए उनके कार्यालय में एक भाव पत्र भी समर्पित किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न है. वर्णित परिस्थिति में कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना से 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट ₹ 5,00,00,000/– (पाँच करोड़) मात्र के लागत पर मनोनयन के आधार पर क्रय करने तथा ₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र अग्रिम भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध उपायुक्त, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा किया गया है.

3. साथ ही पत्रांक 769(ii)/नजा., दिनांक 31.10.2016 द्वारा अल्प अवधि में संविदा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु संस्थान/एजेंसी के चयन में कठिनाई का हवाला देते हुए मेले के आयोजन हेतु अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को मनोनयन के आधार पर चयन करने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है. पत्र के साथ संलग्न अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के कोटेशन के आधार पर उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की लागत कर सहित ₹ 90,73,500/– (नब्बे लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र दर्शायी गयी है.

4. उल्लेखनीय है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के सफल आयोजन हेतु अतिरिक्त 10 (दस) करोड़ रूपये की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर कार्यों का सम्पादन कराने तथा समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेन्सी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु वित्त नियमावली के नियम–235 को नियम– 245 के अधीन शिथिल कर कार्य निष्पादन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

5. तदालोक में उपायुक्त, राँची से निम्नवत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :–

(क) उपायुक्त, राँची के पत्रांक–776 (ii) /नजा., दिनांक 02.11.2016

द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले बच्चों को कुल 05 (पाँच) लाख टी–शर्ट कुल ₹ 5,00,00,000/– (पाँच करोड़) मात्र की लागत पर उपलब्ध कराने हेतु कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना को मनोनयन के आधार पर चयन करने का प्रस्ताव दिया गया है.

(ख) उपायुक्त, राँची के पत्रांक 769 (ii) / नजा., दिनांक 31.10.2016 द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर विकास मेला आयोजित करने हेतु कुल ₹ 90,73,500/– (नब्बे लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र की लागत पर अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को मनोनयन के आधार पर चयन करने का प्रस्ताव दिया गया है.

तदनुसार उपायुक्त, राँची के प्रासंगिक पत्रों के आलोक में उपर्युक्त कंडिका–5 (क) एवं (ख) में अंकित प्रस्ताव एवं तदनुसार उक्त राशि का आवंटन उपायुक्त, राँची को उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है.

विभागीय सचिव ने इस प्रस्ताव से संबंधित इन टिप्पणियों के साथ संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दिया और इस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया.

इसके बाद एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्थापना दिवस के मात्र 5 दिन पहले दिनांक 09.11.2016 को हुई. इस बैठक में आदेश हुआ कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 पर आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिये प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान का कार्यक्रम 15.11.2016 की संध्या में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों के बाद रखा जाय. सवाल उठता है कि जब सब कुछ तय हो गया था तो इन कार्यक्रमों के बीच में सुनिधि चौहान कहाँ से और कैसे टपक पड़ीं ? सवाल का जवाब संचिका के इसी पन्ने पर आगे लिखा हुआ है.

लिखा हुआ है कि ''श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय से माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने दिया है. वरीय आप्त सचिव का यह प्रस्ताव भी है कि श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम मुम्बई के किसी 'आर्चर्स एंटरटेनमेंट प्रा. लि.' के माध्यम से कराया जाय. इस पर

44,27,500 (चौवालिस लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ) रूपये का व्यय होगा.'' यह प्रस्ताव चुकि मुख्यमंत्री के यहाँ से आया था और बैठक भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी तथा स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में मात्र 5 दिन रह गये थे. इसलिये इसके गुण–दोष विचार की जरुरत समझे बिना पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान के इस कार्यक्रम को पूर्व निर्धारित मनोरंजन के स्थानीय कार्यक्रमों के बीच ठूँस दिया गया.

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसके ठीक तीन दिन पहले 6 नवम्बर 2016 को छठ पूजा के अवसर पर श्रीमती सुनिधि चौहान का संगीत कार्यक्रम जमशेदपुर में तथाकथित सूर्य मंदिर समिति के तत्वावधान में छठ व्रतियों का मनोरंजन फिल्मी गीतों से करने के लिये हुआ था. इस तथाकथित सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक भी स्वयं मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे. संभवत: इस कार्यक्रम में श्रीमती चौहान की प्रस्तुति से प्रभावित होकर राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के लिये भी सुनिधि चौहान को बुलाने का प्रस्ताव उनके आप्त सचिव ने दिया और उन्होंने मान लिया. अब सवाल उठता है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह 15.11.2016 की संध्या वेला में संक्षिप्त गायन के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड सरकार ने सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर 55.50 लाख रूपया खर्च करने की मंजूरी दे दिया तो यह निर्णय होने के मात्र 3 दिन पूर्व छठ पूजा पर जमशेदपुर के सिदगोड़ा में हुए उनके विस्तृत गायन कार्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री के संरक्षण वाली सूर्य मंदिर समिति ने सुनिधि चौहान को कितना भुगतान किया ? यदि सूर्य मंदिर समिति ने सुनिधि चौहान को भुगतान नहीं किया तो क्या इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाकर सुनिधि चौहान को सरकारी खजाना से ही एकमुश्त भुगतान कर दिया गया? क्या इसी कारण से सुनिधि चौहान को स्थापना दिवस समारोह में बुलाया था । जिसका लिखित प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने दिया था, यानी मुख्यमंत्री ने अपने संरक्षण में हुए निजी कार्यक्रम के व्यय का भुगतान भी सरकारी खजाना से कर दिया? यदि ऐसा हुआ तो यह सरकारी तिजोरी की सुनियोजित चोरी है.

9 नवम्बर 2016 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ही एक और निर्णय हुआ. इस निर्णय का प्रस्ताव उपायुक्त, राँची की ओर से पत्रांक 816 (ii)/नजा., दिनांक 10.11.2016 द्वारा प्राप्त हुआ था जिसका उल्लेख 09.11.2016 को हुई बैठक के बाद जारी परिपत्र में है. यह प्रस्ताव राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर 2016 की अहले सुबह झारखंड के 10,000 मध्य विद्यालयों के विद्यार्थियों

द्वारा अपने–अपने विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों के बाद उनके बीच मिठाई के पैकेट/टॉफी के पैकेट बाँटने के बारे में था. इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रभात फेरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के बीच बाँटने के लिये इतने बड़े पैमाने पर टॉफी/मिठाई पैकेट की आपूर्ति इतने कम समय में करने के लिये कोई व्यवसायी तैयार नहीं है. मात्र एक व्यवसायी जमशेदपुर के सिदगोड़ा का ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' ही इसके लिये तैयार है. वह टॉफी का 5 लाख पैकेट तीन दिनों के भीतर दे देगा. इस पर प्रति पैकेट ₹ 6.96/– की दर से कुल व्यय ₹ 34,80,000 (चौंतीस लाख अस्सी हजार) आयेगा. इस पर खंड संचिका में माननीय मुख्यमंत्री का आदेश 11.11.2016 को हुआ.

इस प्रकार राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के भव्य आयोजन के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने वाली एजेंसियों का चयन मनोनयन के आधार पर कर लिया गया. ये एजेंसियाँ हैं :–

- **कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना :** यह संस्थान छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग डिजाईन का 5 लाख प्रिंटेड टी–शर्ट उपलब्ध करायेगा, जिसे पहनकर विद्यार्थी स्थापना दिवस समारोह के दिन अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालेंगे।
- **अजमानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., राँची :** यह संस्थान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए टेंट लगायेगा।
- **आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि., मुम्बई :** यह संस्थान 15 नवम्बर, 2016 की शाम होने वाले कार्यक्रम के लिए सुनिधि चौहान को बुलाएगा।
- **लल्ला इंटरप्राईजेज प्रा. लि., सिदगोड़ा जमशेदपुर :** यह संस्थान 15 नवम्बर की सुबह प्रभात फेरी निकालने वाले विद्यार्थियों के लिए टॉफी के पैकेट उपलब्ध करायेगा ।

इसके अतिरिक्त विद्युत साज–सज्जा, पथ निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार–प्रसार, छपाई तथा खेल–कूद आदि कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित विभागों ने मनोनयन के आधार पर नियुक्त की गई एजेंसियों से कराया. अधिकारियों ने मनोनयन से बहाल की गई एजेंसियों के निर्णयों पर मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया और निर्णयों की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री पर डाल दिया.

❖❖❖

खण्ड–3

टॉफी और टी–शर्ट की प्राप्ति एवं वितरण

झारखंड स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रभातफेरी में शामिल होने वाले राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को देने के लिये टी–शर्ट की खरीद मनोनयन के आधार पर ''लुधियाना के कुडु फैब्रिक्स'' से करने और टॉफी की खरीद ''जमशेदपुर के लल्ला इन्टरप्राईजेज'' से करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद इन सामग्रियों की खरीद की प्रक्रिया आरम्भ हो गई. कुडु फैक्रिक्स को ₹ 2 करोड़ अग्रिम दे दिया गया. कुडु फैब्रिक्स को ₹ 2 करोड़ अग्रिम देने के साथ ही 3 नवंबर 2016 को टी–शर्ट की आपूर्ति करने का आदेश दे दिया गया. आदेश में कहा गया है कि टी–शर्ट की खेप 11 नवंबर 2016 तक राँची पहुँच जानी चाहिए ताकि इसे दूरदराज के विद्यालयों तक समय पर पहुँचाया जा सके. इसी तरह टॉफी की आपूर्ति राँची में करने के लिए जमशेदपुर के लल्ला इन्टरप्राईजेज को 11 नवंबर 2016 को आदेश दे दिया गया. टी–शर्ट के बंडल और टॉफी के पैकेट की आपूर्ति उसे राँची में झारखंड परियोजना परिषद के नोडल अधिकारी को करनी थी.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मानें तो टी–शर्ट के बंडलों की खेप 12, 13 और 14 नवंबर 2016 को प्राप्त हो गई. टॉफी के पैकेट की खेप भी 13 और 14 नवंबर 2016 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पास पहुँच गई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल अधिकारी श्री रतन श्रीवास्तव ने परिषद के लेटरपैड पर टाइप कर इसकी प्राप्ति रसीद दे दी. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल पदाधिकारी, श्री रतन कुमार श्रीवास्तव द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद के अनुसार टी–शर्ट की आपूर्ति कुडू फैब्रिक्स के अधिकृत प्रतिनिधि प्रकाश शर्मा ने राँची में 12 और 14 नवम्बर, 2016 को तथा जमशेदपुर और धनबाद में 13 नवम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दिया. इसमें से सबसे अधिक संख्या में टी–शर्ट का बंडल उन्होंने राँची में 14 नवम्बर, 2016 को उपलब्ध कराया. कायदे से टी–शर्ट के बंडलों और टॉफी के पैकेटों की आपूर्ति 11 नवंबर 2016 तक राँची में करनी थी. परन्तु इनकी आपूर्ति जमशेदपुर और धनबाद में भी कर दी गयी. आश्चर्य तो यह है कि राँची बैठे–बैठे झारखंड सरकार परियोजना परिषद के नोडल अधिकारी रतन श्रीवास्तव ने ही जमशेदपुर और धनबाद में प्राप्त किये गये टॉफी के पैकेटों और टी–शर्ट के बंडलों की प्राप्ति रसीद भी एक ही साथ दे दिया.

श्री रतन श्रीवास्तव द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के लेटर पैड पर टंकित किया गया टी–शर्ट का प्राप्ति विवरण निम्नवत है :–

प्राप्ति रसीद :–

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू-कॉरपोरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी,
डोरण्डा, राँची - 834 024
☎0651- 2412028, Fax 0651-2410528
e-mail : jepcranchi1@gmail.com : Web:-jepc.nic.in

Receiving of T-Shirts

Received 419 Bundles of T-Shirts from M/s Kudu Fabrics, Rehan Road, (Turn Gahlewali), Ludhiana, Punjab, Pin- 141007 through his authorised representative Mr Prakash Sharma for free distribution amongst selected school children of all the 24 district of Jharkhand on the eve of Sthapna Diwas-2016. The details of T-Shirts received are as follows:-

1. Dated 12.11.2016 at Ranchi	: 156 bundel (each containing 1200 T-Shirt) = 187200 nos.
2. Dated 13.11.2016 at Jamshedpur	: 26 bundel (each containing 1000 T-shirt) = 26000 nos
3. Dated 13.11.2016 at Dhanbad	: 46 bundel (each containing 1200 T-shirt) = 55200 nos
4. Dated 14.11.2016 at Ranchi	: 191 bundel (each containing 1200 T-shirt) = 229200 nos
TOTAL	**: 419 bundel (containing 497600 T-Shirt)**
	Four Lakh Ninety Seven Thousand Six Hundered only

Date : 14.11.2016

(Ratan Shrivastava)
Nodal Officer, JEPC, Ranchi
Dir. Jharkhand Education Project Council, Ranchi

इसी प्रकार टॉफी की प्राप्ति रसीद भी श्री रतन श्रीवास्तव ने ही झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के लेटर पैड पर टाईप करके दे दिया. इसके अनुसार जमशेदपुर में 13 नवम्बर, 2016 को टॉफी का 100 बैग और 14 नवम्बर, 2016 को 2 बार करके टॉफी का 900 बैग उन्होंने प्राप्त किया। प्रत्येक बैग में टॉफी के 500 पैकेट थे. परंतु यह उल्लेख नहीं था कि टॉफी के एक पैकेट में कितनी टॉफियाँ है और ये टॉफियाँ किस ब्रांड की हैं. हालांकि लल्ला इन्टरप्राईजेज को टॉफी उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन पहले दिए गए आदेश में स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक पैकेट में

कम से कम दस टॉफियाँ रहेंगी। श्री रतन श्रीवास्तव द्वारा टॉफी पैकेट की प्राप्ति रसीद हू–ब–हू नीचे दी जा रही है :–

टॉफी की प्राप्ति रसीद :

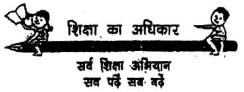

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी,
डोरण्डा, राँची - 834 024
☎0651- 2412028, Fax: 0651-2410528
e-mail : jepcranchi1@gmail.com : Web:-jepc.nic.in

Receiving of Toffee Packets

Received 1000 bags (each bag containing 500 packets) of Toffee from M/s Lalla Enterprises, CC8, Main Road, Sidhgora, Jamshedpur-831009, Jharkhand for distribution among school children of all the 24 districts of Jharkhand. The detail of Toffee received are as follows :-

13.11.2016 at Jamshedpur	: 100 bag (each bag 500 packets)
14.11.2016 at Ranchi	: 500 bag (each bag 500 packets)
14.11.2016 at Ranchi	: 400 bag (each bag 500 packets)
TOTAL	**: 1000 bag (each bag 500 packets)**

Date : 14.11.2016

14/11/2016
(Ratan Shrivastava)
Nodal Officer, JEPC, Ranchi
For Jharkhand Education Project Coun.

श्री रतन श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई टॉफी और टी–शर्ट की ये प्राप्ति रसीदें प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती हैं। लगता है कि दोनों ही प्राप्ति रसीदें 14 नवम्बर, 2016 की तिथि में एक ही पैड पर एक ही प्रारूप में टाईप करके दे दी गई हैं. ध्यान देने योग्य बात यह है कि टॉफी के कुल एक हजार बैग (प्रति बैग 500

पैकेट) में से 900 पैकेट की प्राप्ति राँची में 14 नवम्बर को दिखाई गई है. उसी प्रकार टी–शर्ट के कुल 449 बंडल में से 191 बंडल (प्रति बंडल 1200 टी–शर्ट) 14 नवम्बर, 2016 को राँची में प्राप्त किया हुआ दिखाया गया है. उल्लेखनीय है कि टॉफी और टी–शर्ट के इन बंडलों को राज्य के दूरदराज के विद्यालयों में भी 14 नवम्बर 2016 की रात्रि तक पहुँचाना सुनिश्चित करना था ताकि विद्यार्थी 15 नवम्बर की सुबह प्रभात फेरी के समय इनका उपयोग कर सकें. टॉफी और टी–शर्ट की प्राप्ति के बाद इनका वितरण भी राज्य के विद्यालयों में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से ही किया गया. जिस तरह से टॉफी और टी–शर्ट के बंडलों की आपूर्ति की रसीदें संदेहास्पद हैं, उसी तरह से आनन–फानन में इनको राज्य के विभिन्न विद्यालयों में पहुँचाने की प्रक्रिया का विवरण भी फर्जी और बनावटी प्रतीत हो रहे है.

15 नवम्बर 2016 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी में भाग लेने के लिये राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र–छात्राओं को देने के लिये निर्धारित संख्या में टी–शर्ट के बंडल एवं टॉफी के पैकेट की आपूर्ति राज्य के सुदूरवर्ती विद्यालयों तक करने की प्रक्रिया में अनियमितताओं का अम्बार है जिन्हें तोपने–ढकने का निष्फल प्रयास आँकड़ों को तोड़–मोड़ कर तैयार किये गये दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है. इन दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदेश स्तर से जिलों में एवं जिलों से प्रखंडों के विद्यालयों में प्रासंगिक सामग्रियों के वितरण के लिये स्कूलों की संख्या के संबंध में आँकड़ों का जो पुलिंदा सरकार द्वारा तैयार किये गये हैं, उनमें अंकित स्कूलों की संख्या में काफी अंतर है और बाद में जुटाई गई प्राप्ति रसीदों पर अधिकतर स्कूलों के शिक्षकों का हस्ताक्षर नहीं है. बल्कि इन रसीदों पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अभियंताओं एवं कर्मियों के हस्ताक्षर. यह रसीदें 2016 में नहीं बल्कि 2021 में बनाई गयी है, जब विधानसभा समिति ने टॉफी और टी–शर्ट की खरीद, प्राप्ति और वितरण फर्जीवाड़ा की जाँच शुरु किया. अनियमितता का यह आलम तो सरसरी तौर पर आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त नतीजों पर आधारित है, इसके विस्तार में जाकर गहन छानबीन करने से चौंकाने वाले नतीजे सामने आयेंगे.

आपूर्तिकर्ताओं से राज्य स्तर पर प्राप्त की गई सामग्रियों की प्राप्ति रसीदें संदेहास्पद हैं. एक ही अधिकारी ने राँची, जमशेदपुर, धनबाद में टी–शर्ट एवं टॉफियों के बंडल प्राप्त किया है और झारखंड शिक्षा परियोजना के लेटर पैड पर टाईप करके दे दिया है, जो संभव भी नहीं है और नियमानुकूल भी नहीं है. दस्तावेजों के

अवलोकन से पता चल रहा है कि सरकार ने टी–शर्ट आपूर्तिकर्ता के साथ आपूर्ति का स्थान, समय, भुगतान की शर्तों आदि के बारे में नियमानुकुल एग्रीमेंट तो किया है, परंतु इसका अनुपालन नहीं हुआ है. आपूर्तिकर्ता को हर हाल में इन सामग्रियों को 11 नवम्बर 2016 तक राँची में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के यहाँ पहुँचाना था. परंतु आपूर्ति 11 नवम्बर को नहीं हुई. 12 नवम्बर को 156 बंडल और 14 नवम्बर को 191 बंडल टी–शर्ट की आपूर्ति राँची में हुई दिखाया गया है. 13 नवम्बर को धनबाद में 46 बंडल और जमशेदपुर में 26 बंडल की आपूर्ति हुई है, जिसे राँची में ही प्राप्त हुआ दिखाया गया है. आपूर्ति की प्राप्ति के समय प्राप्तकर्ता द्वारा टी–शर्ट की प्रामाणिकता की जाँच के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है. टॉफी के आपूर्तिकर्ता के साथ तो लगता है कि आपूर्ति संबंधी कोई करार हुआ ही नहीं. आपूर्ति इनके मनमर्जी पर छोड़ दी गई. इन्होंने रांची में टॉफी के 900 पैकेट्स 14 नवम्बर को दिया है. इसके अतिरिक्त 13 नवम्बर को इन्होंने जमशेदपुर में 100 बैग टॉफी दिया जिसे राँची में प्राप्त दिखाया गया है. एक पैकेट में टॉफी की संख्या और प्रकार का उल्लेख प्राप्ति रसीद में नहीं है.

टॉफी और टी–शर्ट की आपूर्ति करने वाले मनोनयन के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त करने का एक संदेहास्पद कागजात बना लिया गया है, जिसपर आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि का प्रतिहस्ताक्षर नहीं हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपने मुख्यालय से राँची एवं अन्य स्थान तक आपूर्ति किन वाहनों से की ? वाहनों की पंजीयन संख्या क्या है ? वे किस राज्य में पंजीकृत हैं ? उन्होंने इन सामग्रियों के राज्य से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर से राज्य के अंदर आने–जाने और प्रासंगिक सामग्रियों के परिवहन का वैधानिक कागजात प्राप्त किया है या नहीं ? क्या बिना वैधानिक कागजात के ही उन्होंने इन सामग्रियों की आपूर्ति स्थान–स्थान पर किया है ? क्या इसे आवश्यक एवं आपात आपूर्ति मान कर सरकार ने इन वैधानिक औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया है ? और इनसे प्राप्त होने वाले टैक्स पर आपूर्तिकर्ता को छूट दे दिया है ? इन सामग्रियों के प्राप्तकर्ता द्वारा इस बारे में चुप्पी साध लेना संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है.

❖❖❖

खण्ड–4

चतुर्थ झारखंड विधान सभा में दो प्रश्न

झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के भव्य समारोह का समापन हो जाने के बाद मनोनयन के आधार पर चयनित एजेंसियों ने भुगतान के लिये अपना–अपना विपत्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया. कई पारखी लोगों ने, जिन्होंने समारोह के कार्यक्रमों को देखा था और इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी, जब इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की एवज में मनोनयन के आधार पर चयनित एजेंसियों द्वारा भुगतान के लिये समर्पित विपत्रों को देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया. इन्होंने पड़ताल शुरू की. जिस कार्यक्रम के लिये बजट में मात्र ₹ एक करोड़ निर्धारित था उसके आयोजन के लिये सरकार झारखंड आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त ₹ 10 करोड़ का अग्रिम लेने की पहल करे और इस धन को काफी कम समय में खर्च करने के लिये एजेंसियों का मनोनयन के आधार पर चयन करे और इन आपूर्तिकर्ता एजेंसियों ने आपूर्ति के बारे में जो कह दिया उसे हू–ब–हू मान लें तो इसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिस पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

इस पर सवाल उठाया झारखंड विधान सभा के दो माननीय सदस्यों, श्री अरूप चटर्जी और श्री प्रदीप यादव ने. इन्होंने चतुर्थ झारखंड विधान सभा के द्वादशवें बजट सत्र–2018 में इस बारे में अलग–अलग अल्प सूचित प्रश्न पूछा. ये प्रश्न निम्नवत हैं :–

माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी का अल्प सूचित प्रश्न

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में ₹ 4,96,37,925/– (चार करोड़, छियान्बे लाख, सैंतीस हजार नौ सौ, पच्चीस रूपये) मात्र के टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद की 28.12.2016 की बैठक में प्रदान की गई ?

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की निविदा नहीं की गई, बल्कि मनोनयन के आधार पर कुडू फैब्रिक्स लुधियाना एवं लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर से ₹ 4,96,37,925/– (चार करोड़, छियान्बे लाख, सैंतीस हजार, नौ सौ, पच्चीस रूपये) मात्र का क्रय किया गया जिसकी आपत्ति महालेखाकार द्वारा भी की गई है ?

प्रश्न 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खरीदारी में हुई अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारियों के

विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?

माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव का अल्प सूचित प्रश्न

प्रश्न 1. क्या यह सही है कि 17वें स्थापना दिवस मनाने के नाम पर केवल राँची जिला के प्रभातफेरी में शामिल बच्चों को टॉफी खिलाने के नाम पर 33.61 लाख रूपये का खर्च दिखाया गया है ?

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि 17वें एवं 18वें स्थापना दिवस मनाने के नाम पर पूरे राज्य में कुल खर्च 180 करोड़ रूपये से भी ज्यादा है ?

प्रश्न 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस फिजुलखर्ची एवं लूट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

माननीय विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर सभा पटल पर देने के लिये 29.01.2018 की तिथि तय किया और इस निर्देश के साथ विधान सभा सचिवालय ने दोनों ही अल्पसूचित प्रश्नों को जवाब देने के लिए सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भेज दिया. झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संसदीय प्रभाग ने उत्तर सामग्री प्राप्त करने के लिये इन प्रश्नों को सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को भेज दिया. उपायुक्तों एवं संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया और इन उत्तरों को अनुमोदित करने के लिये संचिका संसदीय कार्य मंत्री के पास भेज दिया. उस समय मैं झारखंड सरकार के संसदीय कार्य विभाग का मंत्री था. माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर वाली संचिका संसदीय कार्य विभाग में दिनांक 20.01.2018 को आई. उत्तर पढ़ने के बाद मैंने तत्कालीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सचिव को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और प्रश्न की बारीकियों पर उनसे विचार–विमर्श किया. तब श्री एस.के.जी. रहाटे सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सचिव थे.

माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी ने अपने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जो जानकारियाँ राज्य सरकार से माँगा था, उसका उत्तर सरकार ने अपने हिसाब से दिया था. यह उत्तर और इसके बाद सभा में उठ सकने वाले पूरक प्रश्नों के उत्तर के बारे में कतिपय कागजात संचिका में संलग्न तो थे, मगर वे पर्याप्त नहीं थे. मैंने

विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि वे विभिन्न जिलों से इस बारे में पुख्ता जानकारियाँ मांगें. ये जानकारियाँ आ जाएं तब प्रश्नोत्तर के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाय. विभागीय सचिव दुबारा संचिका लेकर मेरे समक्ष नहीं आये. यानी मैंने जिन बिंदुओं पर पूरक जानकारियाँ माँगा था, वे उपलब्ध नहीं हो पाईं. नतीजा हुआ कि सरकार के स्तर से माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी के प्रश्नों का सही उत्तर मंत्री स्तर से अनुमोदित नहीं हो पाया. बिना अनुमोदन के ही इन्हें निर्धारित तिथि को सदन में परिचारित कर दिया गया. माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी के प्रश्न और सरकार द्वारा दिया गया इनका प्रस्तावित उत्तर निम्नवत है :–

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में ₹ 4,96,37,925/– (चार करोड़, छियान्बे लाख, सैंतीस हजार नौ सौ, पच्चीस रूपये) मात्र के टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद की 28.12.2016 की बैठक में प्रदान की गई ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

विदित हो कि दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रमश: टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय पर हुए व्यय हेतु ₹ 4,65,00,000/– एवं ₹ 33,61,125/– अर्थात कुल राशि ₹ 4,98,61,125/– (चार करोड़ अन्ठानबे लाख एकसठ हजार एक सौ पच्चीस) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है.

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की निविदा नहीं की गई, बल्कि मनोनयन के आधार पर कुडू फैब्रिक्स लुधियाना एवं लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर से ₹ 4,96,37,925/– (चार करोड़, छियान्बे लाख, सैंतीस हजार नौ सौ, पच्चीस रूपये) मात्र का क्रय किया गया जिसकी आपत्ति महालेखाकार द्वारा भी की गई है?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

1. विदित हो कि समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यो के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु वित्त नियमावली के नियम–235 को नियम–245 के अधीन शिथिल करने के प्रस्ताव पर भी दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है.
2. महालेखाकार द्वारा आपत्ति की सूचना अप्राप्त है.

प्रश्न 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खरीदारी में हुई अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर : उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है. अत: इसकी जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता है.

श्री अरूप चटर्जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विधान सभा को बता दिया कि टॉफी, टी–शर्ट का वितरण प्रभात फेरी में शामिल राज्य भर के स्कूली विद्यार्थियों के बीच कर दिया गया है और इस पर महालेखाकार द्वारा आपत्ति की जानकारी नहीं मिली है. सरकार ने माना कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, इसलिए इसकी जाँच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. विधान सभा में यह सवाल आता तो माननीय सदस्यगण विभिन्न प्रकार के पूरक प्रश्न पूछते. जैसे सामग्रियों का क्रय, उनकी आपूर्ति, उनका वितरण कैसे हुआ ? परिवहन के दस्तावेज, राज्य को मिलने वाला टैक्स, वितरण के विपत्र आदि के बारे मे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे. ऐसे संभावित प्रश्नों के बारे में उत्तर सामग्रियाँ संचिका में मौजूद नहीं थी. इन जानकारियों के अभाव में अधिकारियों की सूचनाओं के भरोसे उत्तर प्रारूप का अनुमोदन करना मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ.

इस बीच माननीय सदस्य, प्रदीप यादव द्वारा पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न भी विधान सभा सचिवालय द्वारा उत्तर के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में पहुँच गया. सरकार ने यह प्रश्न सभी जिलों के उपायुक्तों के पास उत्तर एवं पूरक प्रश्न की सामग्रियाँ शीघ्र मंगाने हेतु भेज दिया. उपायुक्तों का उत्तर संलग्न करते हुये विभाग ने सरकार का उत्तर प्रारूप अनुमोदित करने के आग्रह सहित संसदीय कार्य मंत्री के पास उपस्थापित कर दिया. यह संचिका मेरे पास 28.01.2018 को आई. अगले दिन 29.01.2018 को पूर्वाह्न 11 बजे यह प्रश्न पूछे जाने के लिये विधान सभा में सूचीबद्ध था. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव के सवाल में राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 और 2017 दोनों वर्षों में आयोजित कार्यक्रमों पर सवाल किया गया था. सरकार ने संक्षिप्त उत्तर में इतना ही बताया था कि वर्ष 2016 के स्थापना दिवस समारोह पर कुल ₹ 9,59,87,371/– (नौ करोड़, उनसठ लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ इकहतर) और 2017 के समारोह पर कुल ₹ 12,63,68,314/ – (बारह करोड़, तिरसठ लाख, अड़सठ हजार, तीन सौ चौदह) यानी कुल ₹

22,23,55,685/– (बाईस करोड़, तेईस लाख, पचपन हजार, छः सौ पचासी) खर्च हुये थे. इसके अतिरिक्त कोई सूचना अथवा पूरक प्रश्नों के संभावित उत्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इस प्रश्न का संख्या द्वारा तैयार किया गया उत्तर भी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना सदन में वितरित कर दिया गया.

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य का अल्पसूचित प्रश्न और सरकार का प्रस्तावित उत्तर निम्नवत हैं :–

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि 17वें स्थापना दिवस मनाने के नाम पर केवल राँची जिला के प्रभातफेरी में शामिल बच्चों को टॉफी खिलाने के नाम पर 33.61 लाख रूपये का खर्च दिखाया गया है ?

उत्तर : अस्वीकारात्मक.

विदित हो कि राज्य के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर राँची सहित पूरे राज्य में आयोजित प्रभात फेरी में सम्मिलित बच्चों के लिए टॉफी पर रूपये 33.61 लाख का व्यय हुआ है ।

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि 17वें एवं 18वें स्थापना दिवस मनाने के नाम पर पूरे राज्य में कुल खर्च 150 करोड़ रूपये से भी ज्यादा है ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

विदित हो कि 17वें स्थापना दिवस समारोह में कुल व्यय रूपये 9,59,87,371/– तथा 18वें स्थापना दिवस समारोह में कुल व्यय रूपये 12,63,68,314 (2,63,90,200 संभावित सहित) अर्थात 17वें एवं 18वें स्थापना दिवस पर कुल रूपये 22,23,55,658/– (बाईस करोड़ तेईस लाख पचपन हजार छः सौ पच्चासी) मात्र की राशि खर्च हुआ है.

प्रश्न 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस फिजुलखर्ची एवं लूट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर : वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में वर्णित है.

इस प्रश्न के उत्तर के साथ झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा भेजी गई इस प्रश्न के उत्तर की सामग्री थी, जिसमें बताया गया था कि स्थापना दिवस समारोह के लिये राज्य सरकार ने कितनी धन राशि जिलों को भेजी थी और कितनी राशि इन्होंने खर्च की. परंतु सरकार ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के लिए राज्य स्तर पर खरीदी गई सामग्रियों का विवरण नहीं दिया था. इस बारे में प्रासंगिक

संचिका में केवल इतना ही दर्ज था कि जिस तरह राज्य स्थापना समारोह– 2016 में वित्तीय नियमावली की धारा– 235 के प्रावधानों को धारा– 245 के तहत शिथिल कर सारे व्यय मनोनयन के आधार पर चयनित एजेंसियों द्वारा किये गये, उसी तरह से राज्य स्थापना दिवस समारोह– 2017 में भी व्यय हुआ. दोनों ही वर्षों के राज्य स्थापना समारोह के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठकें हुईं. बैठक में निर्णय हुआ कि राज्य का स्थापना दिवस समीप है, समय का अभाव है. इतने कम समय में निविदा प्रकाशित कर क्रय करना संभव नहीं है. इसलिये वितीय नियमावली की कंडिका– 245 में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये इसकी कंडिका– 235 को शिथिल कर दिया जाय. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि झारखंड आकस्मिकता निधि से करोड़ों रूपये निकाल लिये जाएं और मनोनयन के आधार पर चयनित एजेंसियों द्वारा आवंटित निधि व्यय कर भव्य समारोह का आयोजन कर लिया जाय. इस प्रकार राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 पर 9.60 करोड़ रूपये खर्च किये गये और 2017 में आयोजित इसी कार्यक्रम में 12.64 करोड़ रूपये खर्च किये गये. दोनों ही वर्षो में टॉफियाँ खरीदी गईं, टी–शर्ट खरीदे गये, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम हुये. ये सभी खरीद और कार्यक्रम मनोनयन के आधार पर तय की गई एजेंसियों ने किया और कराया.

वर्ष 2016 में 17वें और वर्ष 2017–18वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन पर विभिन्न जिलों में हुये व्यय की तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित तालिका में अंकित है.

क्र.	जिला	17वें स्थापना दिवस	18वें स्थापना दिवस
1	गिरिडीह	1,66,434/–	2,98,573/–
2	चतरा	1,99,353/–	2,63,222/–
3	लातेहार	3,00,000/–	1,90,000/–
4	धनबाद	28,350/–	1,90,467/–
5	कोडरमा	2,00,000/–	2,75,953/–
6	हजारीबाग	2,40,000/–	2,40,000/–
7	गोड्डा	2,00,000/–	3,00,000/–
8	पलामू	5,73,211/–	3,70,000/–
9	जामताड़ा	2,00,000/–	2,43,317/–
10	साहेबगंज	4,85,086/–	5,79,184/–
11	पूर्वी सिंहभूम	4,40,000/–	3,93,690/–

12	देवघर	1,84,798/–	1,01,988/–
13	दुमका	1,60,795/–	2,99,749/–
14	सरायकेला–खरसावाँ	89,657/–	3,00,000/–
15	पाकुड़	61,238/–	10,742/–
16	सिमडेगा	1,89,720/–	54,370/–
17	राँची	7,00,79,153/–	4,09,00,656/–
18	लोहरदगा	2,00,000/–	2,96,874/–
19	रामगढ़	2,00,000/–	3,90,000/–
20	गढ़वा	2,40,000/–	2,88,192/–
21	पश्चिमी सिंहभूम	8,89,213/–	11,10,550/–
22	बोकारो	2,39,613/–	90,000/–
23	गुमला	4,00,000/–	3,00,000/–
24	खूँटी	2,00,000/–	1,25,000/–
ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत साज–सज्जा एवं एलईडी स्क्रीन मॉनिटर हेतु		1,98,20,750/–	4,09,50,770/–
कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग		—	3,77,08,379/–
कुल योग		9,59,87,371/–	12,62,71,676/–

एक समय था कि जब विधान सभा में कोई सदस्य प्रश्न करता था तो संबंधित विभागों में हड़कम्प मच जाता था कि अब मामला सरकार के संज्ञान में आ गया है. मामले की जाँच कर सरकार विधान सभा में सही उत्तर देती थी. जो दोषी पाया जाता था सरकार उन पर कार्रवाई करती थी और इसकी सूचना विधान सभा में दे दी जाती थी. परंतु विगत कुछ वर्षो से स्थिति बदल गई है. सरकारें गलतियों पर पर्दा डालने लगी हैं. विधान सभा से तथ्य छुपाने का दुस्साहस करने लगी हैं. विधान सभा को गुमराह करने लगी हैं. विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले कतिपय गंभीर मामलों में प्रश्न का तात्पर्य तो होता है राँची के बारे में पर सरकार का उत्तर आता है कराँची के बारे में. माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी और माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव के इन सवालों के सरकारी उत्तर के संबंध में भी ऐसा ही हुआ.

❖❖❖

खंड–5

पंचम झारखंड विधान–सभा में मेरे दो प्रश्न

माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी और माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने चतुर्थ झारखंड विधान सभा के द्वादशवें (बजट) सत्र में जो प्रश्न किये थे, उनका समाधानकारक उत्तर तत्कालीन झारखंड सरकार ने नहीं दिया. 2019 के दिसंबर में यह सरकार बदल गई. विधान सभा चुनाव के 28 दिसंबर 2019 को नई सरकार बनी. जनवरी 2020 में नई विधान सभा गठित हुई. इस बार मैं जमशेदपुर पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ. इसके पहले मैं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ करता था. परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि मुझे अपनी परम्परागत विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरूद्ध चुनाव लड़ने पर विवश होना पड़ा. श्री अरूप चटर्जी धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व झारखंड विधान सभा में करते थे. वे मार्क्सवादी को–ऑर्डिनेशन कमिटि नामक वामपंथी विचार धारा वाली राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं. परंतु 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में वे पंचम विधानसभा के लिये निर्वाचित नहीं हो सके. श्री प्रदीप यादव गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट विधान सभा क्षेत्र से पुन: विधानसभा सदस्य चुन कर आ गये.

इन दोनों माननीय सदस्यों ने वर्ष 2018 में पुस्तक के खंड–4 में वर्णित सवाल चतुर्थ झारखंड विधान सभा के द्वादशवें (बजट) सत्र में किया था. होता यह है कि विधानसभा का कोई माननीय सदस्य जब विधान सभा में सरकार से प्रश्न पूछता है तो सभा अध्यक्ष के आदेश से यह प्रश्न सरकार के संबंधित विभाग को उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ भेज दिया जाता है. विभाग के सचिव विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों से उपलब्ध तथ्यपूर्ण सामग्री के आधार पर प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं और उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिये प्रभारी मंत्री के समक्ष उस तिथि से पहले उपस्थापित करते हैं, जिस तिथि को विधान सभा में उत्तर देने के लिये यह प्रश्न सूचीबद्ध रहता है. चुकि विधान सभा में प्रश्न का उत्तर विभाग के मंत्री को या किसी प्रभारी मंत्री को देना होता है, इसलिये विभाग के सचिव तैयार उत्तर के विभिन्न पहलुओं मंत्री या अधिकृत मंत्री के साथ गहन विमर्श करते हैं और उन्हें उत्तर सामग्री से संतुष्ट करते हैं. विधानसभा में

प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जा सकने वाले संभावित पूरक प्रश्नों और इनके उत्तरों के बारे में भी विभागीय सचिव संबंधित मंत्री या प्रभारी मंत्री को जानकारी देते हैं. एक बार कोई प्रश्न विधानसभा में आ जाता है और विधायकों के बीच परिचारित हो जाता है तो पक्ष–विपक्ष का कोई भी विधान सभा सदस्य (सरकार के मंत्रियों को छोड़कर) इस पर पूरक प्रश्न पूछ सकता है. इसलिये किसी प्रश्न में किसी माननीय सदस्य ने सही बात उठाया है तो सरकार अपने उत्तर के क्रम में उसे मान लेती है. यदि भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायत किसी प्रश्न में रहती है तो सरकार को उस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराते समय विभाग के सचिव का कर्तव्य होता है कि वे दोषी व्यक्तियों पर कारवाई की अनुशंसा करें और उत्तर देने वाले मंत्री उत्तर देते समय विधानसभा को इस बारे में सूचित कर दें.

जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रश्न पूछने वाला माननीय सदस्य या पूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं और सरकार भी झुकने के लिये तैयार नहीं होती है तो विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों पर गहन विचार विमर्श के लिये इसे विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंप देते हैं या इसकी तह में जाने के लिये विधानसभा की विशेष जाँच समिति का गठन कर देते हैं. विधानसभा में पूछे जाने के लिये सूचीबद्ध प्रश्नों में से जिन पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो पाती है, उन प्रश्नों को माननीय सभा अध्यक्ष विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेज देते हैं, जहाँ इसपर गहन चर्चा होती है. उत्तर सामग्री तैयार करने वाले सरकारी अधिकारी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए बुलाये जाते हैं और गहन विमर्श के बाद उनसे प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त किया जाता है. माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये जो प्रश्न अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न के रूप में पूछे जाने के लिये सूचीबद्ध नहीं हो पाते हैं, उन्हें माननीय सभा अध्यक्ष अतारांकित प्रश्न समिति को सौंप देते है. यह समिति ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरकार से लेती है और प्रतिवेदन के रूप में इन उत्तरों को विधान सभा में उपस्थापित करती है. इस प्रकार माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा विधानसभा में उठाये गये विभिन्न श्रेणी के सवालों का उत्तर देना सरकार का दायित्व हो जाता है. किसी प्रश्न पर यदि सरकार सदन को आश्वासन देती है तो वह प्रश्न विधानसभा के आश्वासन समिति के पास चला जाता है. आश्वासन समिति सरकार से यह आश्वासन पूरा कराने की प्रक्रिया आरम्भ करती है. यदि कोई तात्कालिक समस्या प्रश्न के रूप

में नहीं उठायी जा सकी तो माननीय सदस्य उन्हें शून्य काल की सूचना के रूप में या निवेदन के रूप में उठाते हैं. विधानसभा की शून्यकाल समिति और निवेदन समिति उनपर विचार करती है और इस बारे में विधान सभा को प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराती है. कतिपय अविलंबनीय महत्व के प्रश्न को सदस्यगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाते है. जिन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का उत्तर सदन में नहीं हो पाता है, उन्हें माननीय सभा अध्यक्ष प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को विचारार्थ सुपुर्द कर देते हैं.

परंतु विपक्ष के श्री अरूप चटर्जी और श्री प्रदीप यादव द्वारा पूछे गये उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के साथ ऐसा नहीं हुआ. इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करते समय और उत्तर को सदन पटल पर रखते समय सरकार ने अनियमितताओं की तह में जाकर दोषियों की शिनाख्त करने का प्रयास नहीं किया और एक गम्भीर भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया.

2020 के जनवरी महीने में झारखण्ड की पाँचवी विधान सभा का गठन हुआ और मार्च 2020 में पंचम विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र आहुत हुआ तो मैंने पंचम विधान सभा के बजट सत्र में एक प्रश्न मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से और एक प्रश्न वाणिज्य–कर विभाग से इस बारे में किया. मेरे दोनों ही प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुये और सरकार का उत्तर के लिये एक ही दिन दिनांक 02.03.2020 को विधानसभा में सूचीबद्ध हुये. सरकार के दोनों विभागों ने मेरे प्रश्नों का लिखित उत्तर दे दिया परंतु सभा में इस पर विचार नहीं हो सका. उस दिन विपक्ष के हंगामा के कारण प्रश्न काल पूरी तरह बाधित हो गया. माननीय सभाध्यक्ष ने सदन को पूर्वाह्न 11.05 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे तक स्थगित कर दिया. कई माननीय सदस्यों ने कयास लगाया कि मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर से पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती, इसलिये विपक्ष ने हो–हल्ला कर प्रश्न काल को ही स्थगित करा दिया. हालाँकि मुझे उनके इस तर्क में दम नजर नहीं आया. फिर भी अफवाह के रूप में यह गपशप विधायकों और पत्रकारों के बीच दिन भर चलता रहा. प्रश्न काल स्थगित भले हो गया परंतु सरकार ने मेरे दोनों प्रश्नों का अलग–अलग लिखित उत्तर दे दिया था, जो माननीय विधान सभा सदस्यों के बीच वितरित भी हो गया था. परंतु विपक्ष के हंगामा के कारण विधान सभा का प्रश्न काल स्थगित हो गया और इन पर चर्चा नहीं हो सकी और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके. मेरे दोनों प्रश्न और इनपर झारखंड सरकार का लिखित उत्तर निम्नवत है :–

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के दौरान प्रभात फेरी निकालने वाले राज्य के स्कूली बच्चों के बीच बाँटने के लिए करीब 5 लाख टी–शर्ट की खरीद कुडू फैब्रिक्स, विधान रोड, लुधियाना, पंजाब से की गई थी?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के दौरान प्रभात फेरी निकालने वाले राज्य के स्कूली बच्चों के बीच बाँटने के लिए कुडू फैब्रिक्स, रेहान रोड, लुधियाना, पंजाब से कुल 4,97,600 टी–शर्ट की खरीद की गई थी.

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त करीब 5 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के टी–शर्ट की खरीद कुडु फैब्रिक्स, विधान रोड, लुधियाना, पंजाब से बिना निविदा निकाले की गई थी ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

1. विदित हो कि समयाभाव एवं आपूर्ति किये जाने वाले टी–शर्ट की संख्या एवं निविदा के माध्यम से ससमय क्रय किये जाने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए कुडू फैब्रिक्स, रेहान रोड, लुधियाना, पंजाब का उपयुक्तता एवं सक्षमता के आधार पर मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए पाँच लाख टी–शर्ट की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था. स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में मनोनयन के आधार पर चयन करने हेतु वित्त नियमावली के नियम–235 को नियम–245 के अधीन शिथिल करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है.

प्रश्न 3. क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी मात्रा में टी–शर्ट की आपूर्ति किन वाहनों से लुधियाना से झारखण्ड के विभिन्न स्थलों तक हुई और किस विद्यालय में कितने टी–शर्ट किस माध्यम से भेजे गये, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

1. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार वस्तुस्थिति यह है कि–

(i) कुडु फेब्रिक्स, रेहान रोड, लुधियाना, पंजाब के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 12.11.2016 को राँची में 156 बंडल (1,87,200 टी–शर्ट), दिनांक 13.11.2016 को जमशेदपुर में 26 बंडल (26,000 टी–शर्ट) एवं धनबाद में 46 बंडल (55,200 टी–शर्ट) तथा दिनांक 14.11.2016 को राँची में 191 बंडल (2,29,200 टी–शर्ट) अर्थात कुल 4,97,600 टी–शर्ट की आपूर्ति की गई.

(ii) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ज्ञापांक–JEPC/571 दिनांक 29.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची द्वारा वितरण कार्य हेतु जिला स्कूल, राँची के परिसर में व्यवस्था की गई. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये टी–शर्ट को दिनांक 12.11.2016 एवं 14.11.2016 को जिलों से आये प्रतिनिधियों को वितरित किया गया. जिलों द्वारा सामग्री अपने वाहन एवं खर्चे पर अपने जिलों में ले जाया गया. विभिन्न तिथियों को जिलावार वितरित किये गये टी–शर्ट और टॉफी का विवरण क्रमशः पुस्तक के परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर है ।

प्रश्न 4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस अनियमितता की जाँच तथा दोषी अधिकारियों एवं आपूर्तिकर्त्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर : वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में वर्णित है.

वाणिज्य–कर विभाग से पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर भी विधानसभा सचिवालय द्वारा सभा के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था । उत्तर में वाणिज्य कर विभाग ने बताया था कि टॉफी की आपूर्ति करने वाले व्यवसायी ने इस पर देय टैक्स (वैट) का भुगतान कर दिया है इसलिये किसी के विरुद्ध कारवाई करने की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में विधानसभा पटल पर रखा गया प्रासंगिक प्रश्नोत्तर निम्नवत हैं –

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने के लिए राज्य के विद्यालयों

के विद्यार्थियों के बीच चॉकलेट वितरण करने हेतु सिदगोड़ा, जमशेदपुर की एक व्यवसायी फर्म ''लल्ला इन्टरप्राईजेज'' से बिना निविदा के करीब 33 लाख 61 हजार रूपये की चॉकलेट खरीदी गयी थी, जिसपर वाणिज्य–कर (VAT) का भुगतान संबंधित फर्म ने नहीं किया है ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

वाणिज्य–कर उपायुक्त, जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2020 के अनुसार सर्वश्री लल्ला इन्टरप्राईजेज, टिन–20600808882, सिदगोड़ा, जमशेदपुर के द्वारा झारखण्ड स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर जिला उपायुक्त, राँची को माह नवम्बर 2016 में कुल 33,61,125.00 रूपये के चॉकलेट की आपूर्ति की गई है, जिसमें 14.5 प्रतिशत की दर से 4,24,125.00 रूपये कर की राशि शामिल है.

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि ''लल्ला इन्टरप्राईजेज'' पर वाणिज्यकर (VAT) का भुगतान नहीं करने के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ?

उत्तर : व्यवसायी फर्म द्वारा विवरणी में दर्शायी गई बिक्री के विरूद्ध देय वैट का भुगतान किया गया है.

प्रश्न 3. क्या यह बात सही है कि ''लल्ला इन्टरप्राईजेज'' द्वारा आपूर्ति किये गये चॉकलेट किस ब्रांड के थे और उन्हें कहाँ से खरीदा गया था, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है ?

उत्तर : सर्वश्री लल्ला इन्टरप्राईजेज, जमशेदपुर द्वारा आपूर्ति किए गए चॉकलेट Anand Candy, Mix Candy jar, Masalchi Packets, Eclairs packets, Eclair Jar, Red eclairs packets आदि ब्रांड के हैं जो सर्वश्री माँ लक्ष्मी भंडार, जुगसलाई, जमशेदपुर, टिन–20581100355 से खरीदा गया था.

प्रश्न 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आपूर्तिकर्त्ता एवं विभागीय अधिकारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर : वाणिज्य–कर अंचल, जमशेदपुर के पदाधिकारियों द्वारा मामले की जाँच की गई है. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा विवरणियाँ

दाखिल करते हुए देय वैट का भुगतान किया गया है. ऐसी स्थिति में किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

सरकार द्वारा मेरे उपर्युक्त दोनों प्रश्नों का विधानसभा में दिये गये उत्तर सही नहीं थे. विधान सभा बदल गई, सरकार बदल गई, मंत्री बदल गये पर उन अधिकारियों का मन–मिजाज नहीं बदला, जिन्होंने मेरे प्रश्नों के गलत उत्तर को, तथ्य छुपाने वाले उत्तर को, श्री हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री से अनुमोदित करा लिया और सरकार ने यह उत्तर विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया गया जिसे विधान सभा सचिवालय के सभी माननीय सदस्यों के बीच वितरित भी कर दिया गया. विपक्ष के हंगामा के चलते प्रश्न काल स्थगित हो जाने के कारण विधान सभा में मेरे प्रश्न पर वाद–विवाद नहीं हो पाया तो मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और बताया कि किस प्रकार सरकार ने मेरे प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है और तथ्य छुपाकर विधानसभा को गुमराह किया है. सरकार का यह कृत्य विधानसभा की अवमानना है और राज्यहित एवं जनहित के एक मामले में सरकार से वस्तुस्थिति जानने के विधायक के अधिकार का हनन है. माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा को प्रेषित मेरा यह पत्र इस पुस्तक के खंड–12, पृष्ठ 94 पर देखा जा सकता है.

माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने संदर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच करने और इनपर समुचित कारवाई की अनुशंसा करने के लिये मेरे इस पत्र को विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के पास भेज दिया.

❖❖❖

खंड–6

विधान सभा में पाँचवा प्रश्न

विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने मेरे पत्र के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से स्पष्टीकरण माँगा. वाणिज्य–कर विभाग ने इसके आलोक में 31.03.2021 को समिति के समक्ष एक प्रतिवेदन सौंपा. प्रतिवेदन में विभाग ने स्वीकार किया कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्य माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को प्रभात फेरी के समय दिये जाने वाले 5 लाख टी–शर्टों एवं 5 लाख टॉफियों के पैकेट की खरीद में अनियमितता हुई है. इसके लिए टॉफी की आपूर्ति करने वाले व्यवसायी सिदगोड़ा, जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राईजेज पर वाणिज्य–कर विभाग ने 17 लाख 1 हजार 5 सौ रूपये का अर्थदंड लगाया है और टी–शर्टो की आपूर्ति करने वाले लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स द्वारा की गयी आपूर्ति की वैधता की जाँच आरम्भ कर दिया है. वस्तुत: यह मामला केवल अर्थ दंड लगा देने और आपूर्ति की वैधता की जाँच कर लेने तक सीमित नहीं है. यह मामला एक सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है. इसमें वित्तीय नियमों को तोड़–मरोड़ कर सरकारी खजाना को चपत लगाने की सुनियोजित साजिश शामिल है. इस मामले का केवल व्यवसायिक पक्ष ही नहीं है, इसका आपराधिक पक्ष भी है, जिसमें सत्ता शीर्ष पर काबिज किरदारों की सक्रिय भूमिका है.

मैंने पंचम झारखंड विधान–सभा के पंचम (बजट) सत्र में इस बारे में एक अल्पसूचित प्रश्न पूछा. यह प्रश्न विधान सभा में उत्तर देने के लिये 22–3–2021 को सूचीबद्ध हुआ. सरकार ने मेरे प्रश्न का लिखित उत्तर दिया. मेरा प्रश्न और सरकार द्वारा दिया गया इसका उत्तर निम्नवत है :–

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस–2016 के दिन स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच वितरण के लिये टॉफी की आपूर्ति लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर ने तथा ₹ 5 करोड़ का टी–शर्ट की आपूर्ति कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना ने किया था ?

उत्तर : स्वीकारात्मक.

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि लल्ला इंटरप्राईजेज ने वाणिज्य–कर विभाग को इस मद में 14.5 प्रतिशत वैट का भुगतान कर दिया है, परंतु उसने वाणिज्य–कर विभाग को सौंपी गई क्रय–विक्रय की वार्षिक विवरणी में

टॉफी के क्रय या विक्रय का उल्लेख नहीं है और न ही इसने विभाग से रोड परमिट लिया है ?

उत्तर : स्वीकारात्मक.

वाणिज्य–कर विभाग के जमशेदपुर अंचल के पदाधिकारियों द्वारा संपूर्ण मामले की जाँच की गई. जाँचोपरांत सर्वश्री लल्ला इन्टरप्राईजेज के विरूद्ध JVAT Act, 2005 की धारा–40 एवं JVAT Rules 2006 के नियम 42(2) के उल्लंघन हेतु विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी. सुनवाई के क्रम में लेखा पुस्त एवं दाखिल विवरणियों में विसंगतियों, कैंडी टॉफी की बिक्री छिपाई गयी मानते हुए तथा राज्यान्तर्गत मालों के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र (रोड परमिट) के संव्यवहार नहीं करने के कारण धारा 40 एवं नियम 66 के अन्तर्गत अर्थदण्ड सहित कुल कर की राशि ₹ 17,01,500/– अधिरोपित किया गया है.

प्रश्न 3. क्या यह बात सही है कि कुडु फैब्रिक्स ने भी लुधियाना से राँची, धनबाद, जमशेदपुर में टी–शर्ट आपूर्ति करने के लिये झारखंड सहित अन्य राज्यों से रोड परमिट नहीं लिया है?

उत्तर : सर्वश्री कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना, टिन– 03711004631, पंजाब में निबंधित है. इस व्यवसायी को झारखण्ड राज्य में रोड परमिट निर्गत नहीं किया गया है. अन्य राज्यों में उक्त व्यवसायी को रोड परमिट निर्गमन एवं उनके द्वारा निर्गत Invoice के सत्यापन हेतु वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड द्वारा पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न 4. उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन फर्जी आपूर्तिकर्ताओं तथा इन्हें संरक्षण देनेवालों के विरूद्ध कारवाई करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर : वाणिज्य–कर विभाग के जमशेदपुर के पदाधिकारियों द्वारा मामले की जाँच की गई है और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड सहित करारोपण किया गया है. पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से सर्वश्री कुडू फैब्रिक्स द्वारा की गई टी–शर्ट की आपूर्ति से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है.

मेरे उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में सरकार के वाणिज्य–कर विभाग ने विधानसभा में दिनांक 22.03.2021 को जो उत्तर दिया, वही उत्तर उन्होंने विधान सभा की

अनागत क्रियान्वयन समिति के समक्ष 31.03.2021 को दिया. यह उत्तर मेरे उपर्युक्त प्रश्न की कंडिका–2, 3 और 4 में अंकित है. इस विषय में झारखंड विधानसभा में पूछा गया यह पाँचवा प्रश्न था. पहला प्रश्न 2018 के बजट सत्र में माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी ने और दूसरा प्रश्न विधान–सभा के उसी सत्र में माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने पूछा था. दोनों ही प्रश्न विधान सभा में 29.01.2018 को सरकार के उत्तर के लिये सूचीबद्ध थे. इसके बाद पंचम विधानसभा के बजट सत्र– 2020 में मैंने दो प्रश्न पूछा था. मैंने एक प्रश्न वाणिज्य–कर विभाग से और दूसरा प्रश्न मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पूछा था. दोनों ही प्रश्न विधान सभा में सरकार के उत्तर के लिये 02.03.2020 के लिये सूचीबद्ध थे. इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सरकार ने गोल–मटोल दिया था. यह स्वीकार नहीं किया था कि टॉफी और टी–शर्ट की आपूर्ति में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है.

2018 में विधान–सभा में प्रश्नों का उत्तर देने वाली सरकार वही थी, जिसने टॉफी, टी–शर्ट की खरीद एवं आपूर्ति में सुनियोजित तरीका से अनियमिततायें की थी. परंतु 2020 में तो सरकार बदल गई थी. इस सरकार में भी अधिकारियों ने मेरे दो प्रश्नों का वही घिसा–पिटा उत्तर दिया. इन्होंने ''है लाश वही सिर्फ कफन बदला है या नई बोतल में पुरानी शराब'' वाली कहावत चरितार्थ किया था. इसीलिये मैंने माननीय सभा अध्यक्ष से इस मामले की गहन जाँच करने का आग्रह किया और माननीय सभा अध्यक्ष ने मेरे दो प्रश्नों को और सरकार द्वारा दिये गये इनके गोल–मटोल उत्तरों को जाँच के लिये विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेज दिया.

इसके बाद इस मामले में पूछे गये पाँचवें प्रश्न के उत्तर में 22–3–2021 को सरकार ने टॉफी और टी–शर्ट की खरीद में अनियमितता की बात तो स्वीकार किया, परंतु अपने विभाग के दायरे में इसे व्यवसायिक अनियमितता मानकर टॉफी आपूर्ति में हुई अनियमितता पर अर्थदंड लगाने और पंजाब सरकार से टी–शर्ट आपूर्ति के व्यवसायिक पहलुओं की जाँच करने के लिये पंजाब सरकार से आग्रह करने तक ही सीमित रही. जबकि इस मामले का आपराधिक पहलू भी है. सामग्रियों की खरीद में जानबूझ कर भ्रष्टाचार किया गया है । इसलिये मैंने इस मामले की आपराधिक पहलू की गहन जाँच करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा. यह पत्र स्वत: स्पष्ट है. दिनांक 30.03.2021 को मुख्यमंत्री को प्रेषित मेरा पत्र निम्नवत है :–

पत्रांक : आ.का. (मु.मं.)/02/43/21 **दिनांक : 30.03.2021**

माननीय मुख्यमंत्री,

झारखण्ड सरकार, राँची.

महाशय,

आप अवगत है कि पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा पूछे गये अल्पूसचित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य स्थापना दिवस–2016 के अवसर पर स्कूली बच्चों के बीच प्रभात फेरी के अवसर पर बाँटने के लिये 5 करोड़ रूपये की टी–शर्ट और 35 लाख रूपये की टॉफी की खरीद में अनियमितता हुई है तथा टॉफी की आपूर्ति करनेवाले जमशेदपुर के ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' पर वाणिज्य–कर विभाग ने 17 लाख 1 हजार 5 सौ रूपये का जुर्माना इस कारण से लगाया है कि उक्त अवधि में ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' के हिसाब–किताब में न तो टॉफी की खरीद का जिक्र है और न टॉफी के बिक्री का जिक्र है.

इसी तरह इस अवसर पर पंजाब के लुधियाना से ''मेसर्स कुडू फैब्रिक्स'' द्वारा आपूर्ति किये गये 5 लाख टी–शर्ट किन वाहनों से लाये गये, इसकी जानकारी भी सरकार को नहीं है। इसका भी पता झारखण्ड सरकार को नहीं है कि पंजाब सरकार ने लुधियाना से राँची लाने के लिये टी–शर्ट लदे किसी ट्रक को रोड परमिट दिया है या नहीं ? सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि झारखण्ड की सीमा में इस ट्रक के प्रवेश करने एवं रांची तक आने के लिये झारखण्ड सरकार ने ''कुडू फैब्रिक्स'' को कोई रोड परमिट जारी नहीं किया है. यानी कुल मिलाकर टॉफी एवं टी–शर्ट की आपूर्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है.

महोदय, राज्य स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर केवल टॉफी और टी–शर्ट की खरीद एवं आपूर्ति में ही भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अन्य मदों में भी घपला हुआ है. सुनिधि चौहान नामक फिल्मी पार्श्व गायिका के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर करीब 55 लाख रूपये से अधिक का व्यय सरकार द्वारा दिखाया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2016 के अतिरिक्त सुनिधि चौहान का कार्यक्रम 6 नवंबर, 2016 को छठ पूजा के अवसर पर जमशेदपुर में भी हुआ था. जाँच का विषय है कि क्या इस निजी कार्यक्रम का खर्च भी सुनिधि चौहान के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हुये सरकारी कार्यक्रम के खर्च में ही जोड़ दिया गया. ज्ञात हो कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ही जमशेदपुर सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम के आयोजक थे.

राज्य स्थापना दिवस, 2016 का कार्यक्रम हर साल 15 नवम्बर को आयोजित किया जाता है. यह एक स्थायी कार्यक्रम है. इसकी तैयारी आनन–फानन में 20 दिनों के भीतर किये जाने तथा इसके लिये टॉफी, टी–शर्ट, सुनिधि चौहान का कार्यक्रम, जर्मन हैंगर, पूरे राँची शहर एवं कार्यक्रम स्थल पर साज–सज्जा की व्यवस्था में हुये खर्च को आकस्मिक खर्च बताने तथा इसके लिये राज्य वित्तीय नियमावली की धारा–245 के अधीन धारा–235 के प्रावधानों को शिथिल कर विभिन्न आईटम के लिये मनोनयन के आधार पर कार्यादेश देने का कोई तुक नहीं है. परन्तु 2016 में तत्कालीन सरकार ने ऐसा ही किया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिनांक 21.10.2016 को और 9.11.2016 को लिया गया. इस बारे में निम्नांकित बिन्दु गौर किये जाने योग्य है:–

1. 15 नवम्बर, 2016 को आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिये आयोजन से मात्र 24 दिन पहले दिनांक 21.10.2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तय हुआ कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों के बच्चों द्वारा 15 नवम्बर की सुबह प्रभात फेरी निकाला जाये और इस अवसर पर बच्चों को एक टी–शर्ट और एक मिठाई का पैकेट दिया जाये.
2. आयोजन से मात्र 19 दिन पहले दिनांक 26.10.2016 को आयोजन पर होने वाले खर्च के लिये आपूतिकर्ताओं का चयन मनोनयन के आधार पर करने के लिये नियम–245 के अधीन नियम–235 को शिथिल करने के प्रस्ताव पर सहमति के लिये संचिका वित्त विभाग को प्रेषित की गई. इसमें भी जिक्र है कि प्रभात फेरी के बाद नाश्ता के लिये छात्रों को मिठाई का पैकेट दिया जाये.
3. दिनांक 28.10.2016 को आकस्मिक निधि से ₹ 10 करोड़ अग्रिम लेने की संचिका वित्त विभाग को बढ़ाई गयी. तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी थे, ने इसे अनुमोदित किया उनका हस्ताक्षर इस पर है. कार्यक्रम आयोजन के करीब पाँच दिन पूर्व 09.11.2016 को ₹ 3 करोड़ की निकासी का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया और 11 नवम्बर, 2016 को पहली बार मिठाई के साथ–साथ टॉफी (मिठाई/टॉफी) की खरीद का जिक्र जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राईजेज से करने का निर्णय हुआ.
4. दिनांक 10.11.2016 को मिठाई/टॉफी की आपूर्ति करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र स्थित ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' का मनोनयन

करने के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव को पत्र भेजा गया कि वे ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' से टॉफी एवं मिठाई क्रय करने की अनुमति दें. इस पर 11.11.2016 को आदेश हुआ. इसके दो दिन बाद से ही 13 एवं 14 नवम्बर, 2016 को ''लल्ला इंटरप्राईजेज'' द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना को टॉफी की आपूर्ति जमशेदपुर और राँची में कर दी गई और 12, 13 एवं 14 नवंबर 2016 को 'कुडू फैब्रिक्स' द्वारा टी–शर्ट की आपूर्ति जमशेदपुर, राँची और धनबाद में कर दी गयी, जबकि आपूर्ति केवल राँची में ही करनी थी. 14 नवम्बर को आधे से अधिक टी–शर्ट और टॉफी की आपूर्ति राँची में दिखाई गई और 15 नवम्बर की सुबह प्रभात फेरी में भाग लेनेवाले बच्चों को देने के लिए टी–शर्ट और टॉफी की यह खेप राज्य के दूर–दराज स्थानों के विद्यालयों में उपलब्ध करा देने का दावा किया गया.

टॉफी और टी–शर्ट की खेप एक ही रात में राज्य के दूर–दराज के स्कूलों में किस माध्यम से पहुँचा दी गयी, यह एक रहस्य से कम नहीं है. इतना ही नहीं राज्य सरकार द्वारा राज्य के जितने विद्यालयों में टॉफी और टी–शर्ट उपलब्ध कराने का ब्योरा दिया गया है और विभिन्न जिलों से प्रखण्डों में जितने विद्यालयों में टॉफी और टी–शर्ट पहुँचाने के आँकड़े दिये गये है, उनकी संख्या में करीब 9 हजार विद्यालयों का अंतर है. यानी इस काम के लिए राज्य मुख्यालय द्वारा दी गयी विद्यालयों की संख्या प्रखण्ड मुख्यालय द्वारा बतायी गयी विद्यालयों की संख्या से करीब 9 हजार अधिक है। यह इसलिए है कि विधानसभा में प्रश्न होने के बाद आनन–फानन में टॉफी और टी–शर्ट वितरण का हिसाब–किताब फर्जी तरीके से तैयार किया गया. एक ही प्रकार के कम्प्यूटर जनित फार्मेट में प्राप्ति रसीदें तैयार की गई हैं, जिनपर किया हुआ हस्ताक्षर भी मिलता जुलता प्रतीत होता है, मानो यह हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति ने एक ही कलम से एक ही दिन किया है.

महोदय, भ्रष्टाचार का यह मामला केवल टॉफी और टी–शर्ट की आपूर्ति तथा सुनिधि चौहान के कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगाये गये टेंटनुमा जर्मन हैंगर, शहर की साज–सज्जा, राँची में सड़कों की मरम्मति और राँची शहर में बिजली के हजारों पोल पर की गई विद्युत साज–सज्जा की व्यवस्था आदि सभी कार्यक्रमों के लिये आपूर्तिकर्ताओं का चयन निविदा के आधार पर न होकर मनोनयन के आधार पर हुआ है. इस भ्रष्टाचार एवं अनियमितता में राज्य के वाणिज्य–कर विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं

समन्वय विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग आदि भी शामिल हैं. इसलिये इस मामले की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा किसी अन्य बाह्य एजेंसी से कराये जाने की आवश्यकता है. एक दिन के कार्यक्रम के लिए ₹ 10 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने और इसके लिए एजेंसियों का चयन मनोनयन के आधार पर करने के पीछे की साजिश की गहन जाँच जरूरी है.

इसके अतिरिक्त यह मामला वित्तीय नियमावली के नियम–245 के अधीन नियम–235 को शिथिल करने के प्रावधान के दुरूपयोग से भी जुड़ा है. भ्रष्टाचार का यह मामला सीधे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास से जुड़ा हुआ है, जिनकी संलिप्तता इस मामले में कदम–कदम पर दिखायी पड़ती है.

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में राज्यहित एवं जनहित के इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने तथा जाँचोपरांत दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कदम उठाने की कृपा करेंगे.

सधन्यवाद,

भवदीय

ह./–

(सरयू राय)

मेरे उपर्युक्त पत्र पर मुख्यमंत्री द्वारा कोई कारवाई नहीं हुई तो मैंने दिनांक 25.6.2021 को उन्हें फिर एक पत्र भेजा. विषय की गंभीरता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया कि यह मामला मेनहर्ट घोटाला से भी अधिक गंभीर है. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने एक वर्ष पूर्व मेनहर्ट घोटाला करने की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दिया है. इस विषय में मैंने लम्हों की खता नामक एक पुस्तक भी लिखा है. मेरा यह पत्र पुस्तक के परिशिष्ट–3 पर स्थित है.

अभी तक यह मामला केवल टॉफी और टी–शर्ट आपूर्ति में घोटाला तक ही सीमित था. माननीय मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र में इस मामले के फलक का विस्तार पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान के कार्यक्रम तथा अन्य अनियमितताओं तक हो गया.

❖❖❖

खण्ड–7

विधानसभा में छठवाँ प्रश्न

जिस तरह से झारखंड राज्य स्थापना दिवस, 2016 के लिए टॉफी और टी–शर्ट की खरीद में अनियमितता हुई, उसी तरह से इस समारोह के अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे गीत–संगीत के कार्यक्रमों के बीच अंतिम समय में श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम ठूँस दिये जाने में भी हुई अनियमितता की जानकारी मुझे मिली. प्राप्त सूचनाओं का प्राथमिक विश्लेषण करने के उपरांत मैं आश्वस्त हो गया कि श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में सुनियोजित फर्जीवाड़ा हुआ है तो मैंने दिनांक 04.07.2021 को मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दिया. इस पत्र के साथ मैंने संबंधित संचिका में अंकित मंत्रिमडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी की टिप्पणी को भी संलग्न किया और उपायुक्त राँची के कार्यालय से इस संबंध में सौंपे गये विपत्रों का भुगतान करने के लिए मांगे गये अनुमति का ब्यौरा भी संलग्न किया। सुलभ संदर्भ हेतु यह पत्र नीचे दिया जा रहा है :–

पत्रांक आ.का.(मु.मं.)/02/72/21, दिनांक 04.07.2021

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड, सरकार।

विषय : तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम की आड़ में सरकारी खजाना के पैसे से अपने निजी कार्यक्रम में हुए व्यय का भुगतान करने के भ्रष्ट आचरण की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराने के संबंध में ।

महोदय,

झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन में पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाने से संबंधित सरकार की एक संचिका के तीन पृष्ठ और इस संबंध में राँची के उपायुक्त का एक पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ. इनपर अंकित टिप्पणी और इस संदर्भ में राँची के उपायुक्त का संलग्न पत्र स्वत: स्पष्ट है. संचिका में विभागीय सचिव की टिप्पणी और विभाग को प्रेषित उपायुक्त, राँची के पत्र में अंकित विवरण तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के भ्रष्ट आचरण की

एक बानगी है. टॉफी, टी–शर्ट घोटाला की तरह ही यह प्रकरण राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम की आड़ में श्रीमती सुनिधि चौहान के जमशेदपुर में हुए एक गैर–सरकारी कार्यक्रम, जिसके संरक्षक श्री रघुवर दास स्वयं थे, में हुए व्यय का भुगतान सरकारी खजाना से करने की साजिश के बारे में है.

6 नवम्बर, 2016 को छठ का पवित्र पर्व था. जमशेदपुर की सूर्य मंदिर समिति ने छठ पर्व की संध्या में फिल्मी गीत गाने वाली पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाकर गीत–संगीत की महफिल सजाया था. झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक और सर्वेसर्वा थे.

इस कार्यक्रम के तीन दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के निर्देश पर राँची में एक बैठक बुलायी गई. यह बैठक श्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई. बैठक 15 नवम्बर 2016 को आयोजित होनेवाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा के बहाने बुलाई गयी. संचिका के संलग्न पृष्ठ पर विभागीय सचिव की टिप्पणी में अंकित विवरण के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने प्रस्ताव रखा कि स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम को अधिक भव्य बनाने के लिये इसमें श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाया जाय. कला संस्कृति विभाग के कार्यक्रम के बाद उनका कार्यक्रम रखा जाय. उन्हें बुलाने का जिम्मा आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. नामक एक संस्था को दी जाय. इस प्रस्ताव के अनुसार सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कुल 44,27,500/– रूपया व्यय होगा. प्रस्ताव पर निर्णय हो गया. फाईल पर मुख्यमंत्री की सहमति हो गई. वे आईं भी और थोड़ा बहुत गाई भी. इसके लिये आर्चर इंटरटेनमेंट को प्राथमिकता के आधार पर 44,27,500/– रूपये का त्वरित भुगतान भी हो गया. अग्रिम भुगतान करने की संचिका पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी हो गया.

बाद में उपायुक्त, राँची ने पत्रांक 921(ii)/नजा., दिनांक 13.12.2016 द्वारा सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर हुए व्यय का हिसाब भेजा तो पता चला कि इसके लिये तय कुल व्यय 44,27,500/– रूपये की जगह कुल व्यय 55,25,281/– रूपया हुआ है. 44,27,500/– रूपये तो आर्चर इंटरटेनमेंट ने सुनिधि चौहान के नाम पर सीधे सरकार से ले लिया. इसमें से सुनिधि चौहान को कितना मिला कहना मुश्किल है, यह जाँच का विषय है. श्रीमती सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर हुए कुल व्यय पर उपायुक्त, राँची ने मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर लिया.

इसके अलावा सुनिधि चौहान के संगियों के रहने, खाने–पीने, घुमने–फिरने पर कुल 3,54,549/– रू. खर्च हुआ. इसमें चार ट्रेवेल एजेन्टों पर हुआ खर्च 58,525/– रूपया है. इस खर्च का विस्तृत ब्योरा उपायुक्त, राँची द्वारा सरकार को प्रेषित पत्र में है. संक्षेप में कहा जाय तो आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. तथा होटल रेडिशन ब्लू में इनके और संगियों के ठहरने और कार्यक्रम में इनके आने–जाने के जहाज भाड़ा आदि पर कुल मिलाकर 55,25,281/– रूपया व्यय हुआ. आश्चर्यजनक व्यय इनके घुमने–फिरने पर दिखाया गया है. चार ट्रेवेल एजेंसियों से इसके लिये गाड़ियाँ ली गई. इन पर 58,525/– रूपया व्यय हुआ. इन्हें कहाँ–कहाँ घुमाया गया पता नहीं. इनके हवाई जहाज के टिकट पर 7,42,172/– रूपया खर्च हुआ है. जाँच से पता चलेगा कि सुनिधि चौहान के सहायक संगी कितने थे, जिनपर यह व्यय हुआ.

दोनों आयोजनों – पहला, जमशेदपुर में 6 नवम्बर, 2016 को हुए सूर्य मंदिर समिति के सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के आयोजन और दूसरा, राँची में 15 नवम्बर, 2016 को हुए झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हुए सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के आयोजन – के मुख्य कर्ताधर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ही थे. सुनिधि चौहान के राँची कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 55,25,281/– रूपये सरकार की तरफ से खर्च हुए. इसका ब्योरा तो सरकार की संबंधित संचिका और उपायुक्त, राँची के पत्र में है. परंतु छठ पर्व के दिन जमशेदपुर में सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कितना खर्च हुआ, यह जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मांगी जानी चाहिये. वे ही जमशेदपुर के श्रीमती सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के आयोजक थे.

राँची में स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम पर सुनिधि चौहान और संगियों के एक शाम के कार्यक्रम के लिये खाने–पीने, आने–जाने में जितना व्यय दिखाया गया है, उतना व्यय होना संभव नहीं है. सवाल उठता है कि :–

1. क्या सुनिधि चौहान के जमशेदपुर के कार्यक्रम पर हुए व्यय को भी राँची के कार्यक्रम में जोड़कर उसका भुगतान सरकारी निधि से करा दिया गया ?
2. संभव है कि 6 नवम्बर की रात जमशेदपुर का प्रोग्राम करके श्रीमती सुनिधि चौहान 7 नवम्बर को भले ही चली गई हों और फिर 15 नवम्बर को पुन: आ गई हों परंतु उनके कतिपय संगी 15 नवम्बर के स्थापना दिवस प्रोग्राम तक के लिये राँची/जमशेदपुर में ही रह गये हो और सरकारी सुविधा का इस्तेमाल

करते रहे हो. क्या सरकार द्वारा चार ट्रेवेल एजेंसियों को किया गया 58,525/ – रूपये का भुगतान इसकी ओर संकेत नहीं करता है? क्या होटल रेडिशन ब्लू को किया गया भारी भुगतान इस संभावना की ओर इशारा नहीं करता है ?

3. सुनिधि चौहान का कार्यक्रम जमशेदपुर में 6 नवम्बर की रात में हुआ. तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास वहाँ उपस्थित थे. क्या इस कार्यक्रम का भुगतान सरकारी खजाना से कराने के लिये ही उन्होंने स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के नाम पर 9 नवम्बर, 2016 को राँची में बैठक बुलाया और उनके वरीय आप्त सचिव ने श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाने का लिखित प्रस्ताव बैठक में दिया ?

4. आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. की 15 नवम्बर, 2016 के इस आयोजन में क्या भूमिका थी? क्या इसी संस्था के माध्यम से सुनिधि चौहान का प्रोग्राम 6 नवम्बर, 2016 को जमशेदपुर के लिये भी लिया गया था और 15 नवम्बर, 2016 को राँची के लिये भी?

5. यदि सुनिधि चौहान के कार्यक्रम का पूरा भुगतान सीधे आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. को हुआ तो इसमें से इन्होंने सुनिधि चौहान को कितनी राशि दिया ?

6. मैंने मुम्बई स्थित अपने सूत्रों से पता किया तो पता चला कि श्रीमती सुनिधि चौहान ऐसे एक दिन के कार्यक्रम के लिये 8 से 10 लाख रूपये का भुगतान लेती हैं. फिर एक शाम के उनके प्रोग्राम के लिये आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. जैसे बिचौलिये संपर्क संस्था को 44,27,500/– रूपया देने का क्या तुक है ?

7. यदि जमशेदपुर और राँची के दोनों कार्यक्रमों का एकमुश्त भुगतान श्रीमती सुनिधि चौहान को होता तब भी यह भुगतान अधिकतम 20 लाख रूपये के आसपास ही होता. पर यहाँ यह भुगतान 44,27,500/– रूपया कैसे हो गया ?

8. क्या आर्चर इंटरट्नमेंट प्रा. लि. के अतिरिक्त भी कुछ अन्य लोगों ने इसमें बिचौलिया की भूमिका निभाया है और कट मनी लिया है ?

9. कौन हैं ये लोग जिन्होंने इस मामले में माल महाराज का और मिर्जा खेलें होली वाली कहावत चरितार्थ किया है ?

महोदय, ये लोग जो भी हों परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की

सीधी संलिप्तता और समर्थन के बिना उनका ऐसा खेल करना संभव नहीं हुआ होगा. यह एक सुविचारित षड्यंत्र है, सरकारी धन का उपयोग अपने निजी आयोजन में कर लेने की साजिश है. जाँच होने पर मामले की परत–दर–परत का उद्‌भेदन होगा. धार्मिक स्थलों और कार्यक्रमों की बिसात पर काली कमाई की चौपड़ की गोटियाँ सजाने का यह एक ज्वलंत उदाहरण है.

महोदय, सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठकर सरकारी धन का दुरूपयोग करने की साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने एवं दोषियों को दंडित करने के लिये इस मामले की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अथवा सी.बी.आई से कराने का निर्देश देने की कृपा करेंगे. यह जनहित में, राज्य हित में और समाज–संस्कृति के हित में होगा.

सादर,

भवदीय

ह./–

(सरयू राय)

करीब दो माह का समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने झारखण्ड विधान सभा के षष्ट्म (मानसून) सत्र में एक अल्पसूचित प्रश्न इस संख्या में पूछा, इस प्रकरण में विधान सभा में पूछा जानेवाला यह छठवाँ प्रश्न था. इस प्रश्न के उत्तर में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग ने प्रश्न की कंडिका–1 और कंडिका–3 का उत्तर दिया है कि प्रश्न आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है. परन्तु कंडिका–2 (जिसमें मैंने सिदगोड़ा, जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में श्रीमती सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम के बारे में पूछा था) और कंडिका–4, जिसमें मैंने कार्यक्रम पर अत्यधिक व्यय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगा था पर विभाग ने अपने उत्तर में मौन साध लिया. मेरा यह प्रश्न और सरकार द्वारा दिया गया इसका उत्तर निम्नवत है :–

प्रश्न 1. क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में गायिका सुनिधि चौहान को बुलाने का निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2016 को हुई बैठक में दिया गया, जिसपर उनके वरीय आप्त सचिव ने विभाग को प्रस्ताव दिया कि इस कार्यक्रम पर रू. 44,37,250/– व्यय होगा ?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2016 को हुई बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में उनके वरीय आप्त सचिव के माध्यम से Archers Entertainment Private Limited द्वारा रू. 44,27,500/– (चौवालीस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ) मात्र पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु भाव पत्र प्राप्त हुआ. (Archers Entertainment Private Limited से प्राप्त भाव पत्र की छायाप्रति संलग्न).

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि सुनिधि चौहान का गायन सूर्यमंदिर समिति, सिदगोड़ा, जमशेदपुर में दिनांक 06.11.2016 की शाम हुआ था, जिसके संरक्षक तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री थे?

उत्तर : संबंधित नहीं है.

प्रश्न 3. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना समारोह, 2016 में सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कुल रू. 55,22,281/– व्यय हुआ, जो स्वीकृत व्यय रू. 44,27,500/– से रू. 10,94,781/– अधिक है?

उत्तर : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक.

वस्तुस्थिति यह है कि–

i) Archers Entertainment Private Limited से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार रू. 44,27,500/– पर सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु Archers Entertainment Private Limited का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए विभागीय पत्रांक–1423, दिनांक 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची को रू. 44,27,500/– मात्र पर कार्यक्रम का आयोजन करने, तत्संबंधी राशि का भुगतान करने एवं Archers Entertainment Private Limited के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था होटल रैडिसन ब्लू, राँची में करने का निदेश दिया गया.

(ii) उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची द्वारा Archers Entertainment Private Limited से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार कार्यक्रम हेतु रू. 44,27,500/– मात्र का भुगतान किया गया है.

(iii) Archers Entertainment Private Limited के मुख्य कलाकार एवं

सहायक कलाकार के आवासन एवं भोजनादि पर रू. 2,97,084/–, वाहन की व्यवस्था पर रू. 58,525/– तथा उनके एयर टिकट पर रू. 7,42,172/– अर्थात कुल रू. 10,97,791/– (दस लाख सन्तानवे हजार सात सौ इक्यानबे) मात्र का व्यय हुआ है. अर्थात सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु कुल रू. 55,25,291/– (पचपन लाख पच्चीस हजार दो सौ इक्यानबे) मात्र का भुगतान उपायुक्त, राँची द्वारा किया गया है (उपायुक्त, राँची का पत्रांक–921 (ii)/नजा., दिनांक 13.12.2016 की छायाप्रति संलग्न).

(iii) कार्योंपरांत उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर करने के प्रस्ताव, कराये गये विभिन्न कार्यों एवं उनपर व्यय हुई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् के दिनांक 28.12.2016 को हुई बैठक में प्रदान की गयी है.

प्रश्न 4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुनिधि चौहान के दिनांक 06.11.2016 के जमशेदपुर कार्यक्रम पर हुए व्यय की तुलना में स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम पर अत्यधिक व्यय करने के जिम्मेदार व्यक्ति पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है, नहीं तो क्यों ?

उत्तर : वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में वर्णित है.

सरकार का उपर्युक्त उत्तर संतोषजनक नहीं था. माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने इस प्रश्न को उस दिन स्थगित कर दिया और इसका उत्तर देने के लिए अगले दिन यानी 07.09.2021 की तिथि निर्धारित कर दिया.

❖❖❖

खण्ड–8

एसीबी जाँच की अनुशंसा

पाँचवीं झारखंड विधान सभा के षष्टम (मानसून) सत्र के तीसरे दिन, दिनांक 07.09.2021 को पूर्वाह्न 11 बजे विधान सभा का सत्र आरंभ हुआ तो गत दिन का मेरा स्थगित प्रश्न उस दिन की कार्यवाही में पहले क्रमांक पर था. विधान सभा की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्ष का शोर–शराबा आरंभ हो गया. शोर–शराबा नहीं थमा तो कुछ देर के पश्चात माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने मुझे अपना प्रश्न रखने के लिए पुकारा. माननीय सभाध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर मैंने अपना प्रश्न खंडश: सदन के सामने रख दिया, जो निम्नवत है :–

प्रश्न का खंड–1 :

क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में गायिका सुनिधि चौहान को बुलाने का निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2016 को हुई बैठक में दिया गया, जिसपर उनके वरीय आप्त सचिव ने विभाग को प्रस्ताव दिया कि इस कार्यक्रम पर रू. 44,27,250/– व्यय होगा ?

प्रश्न का खंड–2 :

क्या बात सही है कि सुनिधि चौहान का गायन सूर्य मंदिर समिति, सिदगोड़ा जमशेदपुर में दिनांक–06.11.2016 की शाम हुआ था, जिसके संरक्षक तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री थे ?

प्रश्न का खंड–3 :

क्या बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कुल ₹ 55,22,281/– व्यय हुआ, जो स्वीकृत व्यय ₹ 44,27,500/– से ₹ 10,94,781/– अधिक है ?

मेरे प्रश्न के तीनों खंडों को विधान सभा पटल पर क्रमवार चर्चा के लिए रखे जाने के बाद सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर ही सदन में पुनः पढ़ दिया, जिसका सार संक्षेप निम्नवत है :–

मेरे प्रश्न के खंड–1 के उत्तर में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है. वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री

की अध्यक्षता में दिनांक–09.11.2016 को हुई बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में उनके वरीय आप्त सचिव के माध्यम से. Archers Entertainment Private Limited द्वारा ₹ 44,27,500/– (चौवालीस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ) मात्र पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु भाव पत्र प्राप्त हुआ था.

मेरे प्रश्न के खंड–2 के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह प्रश्न विषयवस्तु से संबंधित नहीं है. मेरे प्रश्न के खंड–3 के उत्तर में उन्होंने कहा कि उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है. वस्तुस्थिति यह है कि ''Archers Entertainment Private Limited से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार ₹ 44,27,500/– पर सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु Archers Entertainment Private Limited का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए विभागीय पत्रांक–1423, दिनांक 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची को ₹ 44,27,500/– मात्र पर कार्यक्रम का आयोजन करने, तत्संबंधी राशि का भुगतान करने एवं Archers Entertainment Private Limited के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था होटल रैडिसन ब्लू, राँची में करने का निदेश दिया गया था.आगे उन्होंने कहा कि उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची द्वारा Archers Entertainment Private Limited से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार कार्यक्रम हेतु ₹ 44,27,500/– मात्र का भुगतान किया गया''.

जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर समाप्त हुआ तब भी सदन शोर–शराबे में डुबा हुआ था. माननीय सभा अध्यक्ष ने मुझे सरकार के लिखित उत्तर पर पूरक प्रश्न पूछने के लिये पुकारा. उसके बाद की सदन की कार्यवाही का विवरण हू–ब–हू निम्नवत हैं :–

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सरयू राय अपना पूरक प्रश्न पूछे.

श्री सरयू राय : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का उत्तर है इसमें तथ्य छुपाये गये हैं। भ्रामक उत्तर दिया गया है.

अध्यक्ष : चलिये हो गया.

श्री सरयू राय : महोदय, माननीय मंत्री जी को मैंने सभी दस्तावेज दे दिया है. एक ही व्यक्ति, सुनिधि चौहान का एक प्रोग्राम 6 नवम्बर को जमशेदपुर में कराते हैं और वही व्यक्ति तीन दिन बाद 9 नवम्बर के दिन उनका दूसरा प्रोग्राम राँची में 15 नवम्बर को होना तय करते हैं. महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि दिनांक 6 नवम्बर को

जमशेदपुर में हुए प्रोग्राम के लिये आयोजकों द्वारा श्रीमती सुनिधि चौहान को कितना पैसा दिया गया ? क्योंकि इसके तीन दिन बाद 09 नवम्बर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी तय करते हैं कि 44 लाख रुपये उनको झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए उन्हें सरकार देगी. मेरा प्रश्न यही है कि 06 नवम्बर 2016 को जमशेदपुर में हुए प्रोग्राम के लिए उन्हें कितना पैसा दिया गया? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी कहते है कि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है. क्यों संबंधित नहीं है महोदय? मैंने मंत्री जी को कागजात दे दिया है, जिससे दोनों कार्यक्रमों के आयोजकों के बीच के संबंध का पता चल जाता है.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी.

श्री आलमगीर आलम (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, खण्ड–1 में ये साफ कहा गया है कि Archers Entertainment Private Limited द्वारा 44,27,500/– रूपये का एग्रीमेंट किया गया था और उसका पैसा पेमेंट कर दिया गया है. बाकी इनका कहना है कि होटल और ट्रांसपोर्ट तथा एयर टिकट ये सारा लगाकर कुल व्यय 44 लाख से बढ़कर 55 लाख कैसे हो गया ? महोदय, इस व्यय पर मंत्रिमंडल ने घटनोत्तर स्वीकृति दे दिया है. अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें इनको कुछ पूरक पूछना है तो पूछ सकते हैं.

श्री सरयू राय : महोदय, यदि मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति किसी भी व्यय के पेमेंट की हो जाती है और वह पेमेंट फर्जी निकलता है तो घटनोत्तर स्वीकृति से फर्जीवाड़ा को नियमित नहीं किया जा सकता है. महोदय, एक ही व्यक्ति के द्वारा सुनिधि चौहान के संगीत के प्रोग्राम के लिए, 6 नवम्बर को जमशेदपुर के प्रोग्राम के लिए, क्या दिया गया और उसी व्यक्ति ने सुनिधि चौहान के एक दिन के प्रोग्राम के लिए तीन दिन बाद क्या देना तय किया ? यह मंत्री जी क्यों नहीं बता रहे है ? किस आधार पर 44 लाख रूपया राँची के एक दिन के प्रोग्राम के लिए उनको दिया गया है ? यह 44 लाख रूपये देना 9 नवम्बर को तय किया गया तो सवाल उठता है कि 6 नवम्बर को उन्हें क्या दिया गया है, यह उनके ध्यान में अवश्य रहा होगा. तब यह तो सामने आना चाहिए, सरकार को इस बारे में बताना चाहिए. दूसरा महोदय, सुनिधि चौहान और साथियों के एयर टिकट का भुगतान करने के बारे में न फाईल में ऑर्डर है, न एयर टिकट का भुगतान करने के बारे में कहीं अन्यत्र आदेश है. यदि ऐसा आदेश नहीं है तो इस मद में 7 लाख रूपया से अधिक का भुगतान कैसे और किसके आदेश से हो गया ? भोजन के लिए, उनके होटल रैडिसन ब्लू में ठहरने के

लिए और गाड़ी से भ्रमण करने के लिए तो आदेश है, पर एयर टिकट के लिए कहीं भी कोई ऑर्डर नहीं है. मैंने फाईल की कॉपी आपको दी है, उसमें जो चिट्ठी लगी है पेमेंट के ऑर्डर की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एयर टिकट का पेमेंट उन्हें करना है. सबसे अंत में प्रश्नोत्तर के साथ जो ब्यौरा लगा हुआ है, श्री जितवाहन उरांव का, जो उस समय विशेष कार्य पदाधिकारी थे, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है एयर टिकट का भुगतान करने के बारे में. महोदय,एक रात के प्रोग्राम के लिए वाहन मद में 58 हजार रूपये पेमेंट किया गया है, आखिर कैसे?

उत्तर देने के लिये खड़े संसदीय कार्य मंत्री थोड़ा असहज हो गये तो वाद–विवाद को ध्यान से सुन रहे सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक अपनी सीट पर खड़ा हो गये. सरकार की ओर से मेरे प्रश्न का उत्तर देने का मोर्चा उन्होंने स्वयं सम्हाल लिया. वास्तव में मेरा प्रश्न सरकार के जिस विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से संबंधित था, वह विभाग सरकार में मुख्यमंत्री के पास ही था. परंतु परम्परागत व्यवस्था के अधीन इसका उत्तर देने के लिये सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम को अधिकृत किया था. इसलिए सत्र के दौरान मंत्री जी थोड़ा असहज हुए, किंकर्त्तव्यविमुढ़ हुये तो मुख्यमंत्री उनकी सहायता में खड़ा हो गये.

मुख्यमंत्री के खड़ा होते ही सभा अध्यक्ष ने सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया. सदन संचालन को बाधित करने के लिये शोर–शराबा कर रहे विपक्ष के माननीय सदस्यों से उन्होंने अपील किया कि सदन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन है. सरकार का उत्तर देने के लिये सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपनी सीट पर खड़ा हैं, इसलिये वे सदन में शांति स्थापित करने में सहयोग करें. माननीय सभा अध्यक्ष की अपील का सार्थक परिणाम नहीं निकला तो आसन की अनुमति से मैंने अपना पूरक प्रश्न दोहराया. माननीय मुख्यमंत्री ने शोर–शराबा के बीच ही मेरे प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ कर दिया.

सभा अध्यक्ष की ओर मुखातिब होते हुये उन्होंने कहा कि महोदय, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है. अपने पूरक प्रश्न में सरकार के उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुये माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने की माँग कर रहे हैं. मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार इसकी जाँच कराने के लिये तैयार है. सदन यह निर्णय कर दे कि यह जाँच सदन की विशेष समिति से करायी जाय अथवा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से करायी जाय. सदन का जैसा निर्देश होगा

सरकार उसका पालन करने के लिये तैयार है. इसके बाद मैंने अपनी ओर से सुझाव दिया कि प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए प्रश्नगत मामले की जाँच सरकार एसीबी को सौंपे. सदन में विपक्ष की शोर–शराबा बढ़ते ही जा रहा था. माननीय सभा अध्यक्ष ने नियमन दिया कि मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और प्रश्नकर्ता सदस्य सरयू राय सदन की इस पाली की समाप्ति के तुरंत बाद मेरे कक्ष में आ जाएँ और बैठक कर निर्णय कर लें कि मामले की जाँच किससे कराई जाए.'' इसके बाद सभा अध्यक्ष ने सदन को भोजनावकाश तक के लिये स्थगित कर दिया. इस चर्चा के दौरान सदन की कार्यवाही का हू–ब–हू विवरण निम्नवत है :–

श्री हेमन्त सोरेन (मुख्यंमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की आवाज नहीं आ रही थी। इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सरयू राय जी फिर से पूरक सवाल पूछिये.

श्री हेमन्त सोरेन (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी से इस बारे में है क्या, यह जानना चाहता हूँ. चुकि इसमें प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि इसमें बड़ी अनियमितता हुई. और ये जवाब माननीय मंत्री जी को उनके प्रश्न का प्रशासनिक जवाब थमा दिया गया है. यही वजह है कि इस सवाल के जवाब देने में मंत्री जी को और जवाब से संतुष्ट होने में माननीय सदस्य श्री सरयू जी को दिक्कत है.

मैंने मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर सहमति जताया. इसके आगे उन्होंने जो कहा वह निम्नवत हैं :–

श्री हेमन्त सोरेन (मुख्यमंत्री) : महोदय, मैं सदन में यह कहना चाहूँगा कि मुझे भी इस विषय में अनियमिततायें दिखती हैं. सदन के समक्ष मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करती है और पूर्व की सरकार में रघुवर दास जी का जो कार्य रहा है वह सामने हैं. इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसकी जाँच करने के लिए तैयार है, चाहे वह विधान सभा की समिति के द्वारा हो या ए.सी.बी. के द्वारा यह सदन तय कर ले.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी हो गया ?

श्री सरयू राय : महोदय, आसन यह निर्धारित कर दे कि जाँच ए.सी.बी. से होगी या सदन की समिति करेगी.

अध्यक्ष : ठीक है, आप मेरे कार्यालय कक्ष में आयेंगे. माननीय मुख्यमंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी आयेंगे और हमलोग निर्णय कर लेंगे.

सदन में सभा अध्यक्ष का यह नियमन कौतुहल का विषय बन गया. विपक्ष के माननीय सदस्य यह जानने के लिये उत्सुक थे कि मेरे प्रश्न पर सरकार का उत्तर क्या हुआ ? सभा अध्यक्ष का नियमन क्या हुआ ? कारण कि सदन की कार्यवाही के समय विपक्ष के सदस्य व्यवस्थित नहीं थे. वे अपनी माँग को लेकर सदन के वेल में आ–जा रहे थे. उनका यह कृत्य सदन में भारी शोर–शराबा का कारण बना हुआ था. अपनी सीट पर बैठकर कान में माइक्रोफ़ोन लगाकर सुन रहे सदस्य ही सदन की कार्यवाही सुन पा रहा थे. विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी ही धुन में थे. वे मुख्यमंत्री को भी सुनने के लिये तैयार नहीं थे. सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष की लॉबी में मैंने सभाध्यक्ष के नियमन की जानकारी दी तब जाकर उन्हें इसकी गंभीरता का अहसास हुआ. मैंने विस्तार से उन्हें अपने इस प्रश्न की पृष्ठभूमि के बारे में और सभाध्यक्ष के नियमन की गंभीरता के बारे में बताया. इस प्रकरण का विस्तृत विवरण पुस्तक के अगले खंड–9 में देखा जा सकता है ।

तदुपरांत सभा अध्यक्ष के नियमन का अनुपालन करने के लिये मैंने उनके कार्यालय कक्ष की ओर प्रस्थान किया. सभाध्यक्ष के कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम पहले से मौजूद थे. संसदीय कार्य मंत्री होने के कारण वे बैठक में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये भी अधिकृत थे. मैंने बैठक में विलम्ब से पहुँचने के लिये औपचारिक क्षमा याचना की और बैठक की कार्रवाई आरम्भ करने का अनुरोध किया. मैंने प्रश्नगत विषय की पृष्ठभूमि और राज्य हित में इसकी गंभीरता के बारे में विस्तार से अवगत कराया. विचारोपरांत निर्णय हुआ कि मामले की जाँच एसीबी से कराना उचित होगा.

❖❖❖

खण्ड–9

पब्लिक मनी– प्राईवेट एजेंडा

पूर्व के खंडों में अंकित है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 की तैयारी की समीक्षा के लिये दिनांक 9 नवम्बर, 2016 को राँची में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. निर्णय हुआ कि स्थापना दिवस कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने के लिये सुप्रसिद्ध फिल्मी पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान का कार्यक्रम स्थापना दिवस समारोह की संध्या में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रखा जाय. इस संबंध में प्रासंगिक संचिका पर 11.11.2016 को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री जीतबाहन उरांव की टिप्पणी उल्लेखनीय है. संचिका पर उन्होंने इस बारे में लंबी टिप्पणी अंकित किया है. विभागीय सचिव को संबोधित इस लंबी टिप्पणी का प्रासंगिक अंश निम्नवत है :–

'दिनांक 09.11.2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किये जाने वाले गीत–संगीत कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. इस समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव उपस्थित थे. समीक्षा के क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम को और भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु यह निदेश दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान का गायन कार्यक्रम मुख्य समारोह (15.11.2016) की संध्या में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों के बाद रखा जाय. (देखें परिशिष्ट–9)

विशेष कार्य पदाधिकारी ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा है कि 'उक्त निदेश के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव द्वारा ''आर्चर एंटरटेनमेंट प्रा. लि.'' के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है. आर्चर एंटरटेनमेंट प्रा. लि. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय की अनुमानित राशि ₹ 44,27,500/– (चौवालिस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ) मात्र है. (देखें परिशिष्ट–10) **माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव द्वारा आर्चर एंटरटेनमेंट प्रा. लि. को शीघ्र एकमुश्त भुगतान करने का मौखिक निदेश दिया गया है.'** संचिका के प्रासंगिक पृष्ठ की छाया प्रति (परिशिष्ट–11) पर रक्षित है. अतएव विवेचित परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :–

क) प्रसिद्ध गायिका के गायन कार्यक्रम के आयोजन हेतु Archers Entertainment Pvt. Ltd. का मनोनयन के आधार पर चयन किया जा सकता है. जिसका भुगतान उपायुक्त, राँची द्वारा अविलम्ब किया जायेगा. इसके लिए उपायुक्त, राँची को निदेशित किया जा सकता है.

ख) उक्त गायन कार्यक्रम के मुख्य कलाकार एवं उनके सहयोगियों के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त, राँची को निदेश दिया जा सकता है।

ग) पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग को Archers Entertainment Pvt. Ltd. से समन्वय स्थापित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया जा सकता है।

विशेष कार्य पदाधिकारी ने संचिका पर सचिव को प्रस्ताव दिया कि सुनिधि चौहान के कार्यक्रम एवं इसपर होने वाले व्यय पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर लिया जाय. विभागीय सचिव ने यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजा और इसपर उनका आदेश प्राप्त कर लिया.

सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय की अनुमानित राशि 44,27,500/– (चौवालिस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की धन राशि का व्यय होने के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश हुआ था. पर इस पर वास्तविक व्यय हुआ कुल ₹ 55,22,281/– (55 लाख 22 हजार 281). राँची के उपायुक्त ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड सरकार को पत्रांक 921(ii)/नजा. द्वारा जो विपत्र भुगतान करने पर सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये भेजा, उसके अनुसार सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम पर हुआ कुल व्यय निम्नवत है :–

1.	सुनिधि चौहान गायिका	–	₹ 44,27,500
2.	सुनिधि चौहान एवं साथी के ठहरने पर व्यय	–	₹ 2,97,084
3.	सुनिधि चौहान एवं संलग्न कलाकारों के वाहन व्यवस्था	–	₹ 10,189
4.	सुनिधि चौहान एवं संलग्न कलाकारों के वाहन व्यवस्था	–	₹ 31,242
5.	सुनिधि चौहान एवं संलग्न कलाकारों के वाहन व्यवस्था	–	₹ 10,154
6.	सुनिधि चौहान एवं संलग्न कलाकारों के वाहन व्यवस्था	–	₹ 6,940
7.	सुनिधि चौहान एवं साथी कलाकारों के एयर टिकट पर	–	₹ 7,42,172
		कुल व्यय ₹ –	**55,22,281.00**

जिस समय सुनिधि चौहान का कार्यक्रम तय हुआ था, उस समय इन्हें मात्र उपर्युक्त क्रमांक–1 पर अंकित राशि ₹ 44,27,500/– ही देने की बात थी. इसके अतिरिक्त उनके साथियों के रहने, खाने–पीने और घुमने–फिरने की व्यवस्था करनी थी. सुनिधि चौहान के राँची आने और राँची से जाने के लिए उन्हें हवाई जहाज का भाड़ा देने का कोई आदेश संचिका पर या कहीं अन्यत्र नहीं है. (परिशिष्ट–12) इसके बावजूद सुनिधि चौहान एवं साथी कलाकारों को एयर टिकट पर ₹ 7,42,172/– का भुगतान किया गया और इस पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर भी ले लिया गया श्रीमती सुनिधि चौहान और उनके साथियों के लिए हवाई जहाज का टिकट किसी ''स्टार वैकेशंस'' नामक एजेंसी से लिया गया है. इसके लिए स्टार वैकेशंस को भुगतान दो किस्तों में किया गया है. आश्चर्य है कि श्रीमती सुनिधि चौहान का गायन कार्यक्रम शाम में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कुछ समय के लिये रखा गया था. परंतु उनके और उनके साथियों के उपयोग हेतु वाहनों की व्यवस्था के लिए चार ट्रेवेल्स एजेंसियों से गाड़ियाँ ली गईं, जिन पर हुआ व्यय उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 3,4,5 और 6 पर अंकित है. सुनिधि चौहान के एक दिन के कार्यक्रम के लिए चार ट्रेवल एजेंसियों से लिये गये वाहनों के लिये इन्हें कुल ₹ 58,525/– का भुगतान हुआ.

उपर्युक्त तालिका के क्रमांक–1 का भुगतान (₹ 44,27,500/–) आर्चर एंटरटेनमेंट प्रा. लि. को, क्रमांक–2 का भुगतान (₹ 2,97,084/–) होटल रेडिशन ब्लू को, क्रमांक–3 का भुगतान (₹ 10,189/–) सूर्या ट्रेवेल्स को, क्रमांक–4 का भुगतान (₹ 31,242/–) इकोनॉमिस्ट ट्रेवेल्स को, क्रमांक–5 का भुगतान (₹ 10,154/–) भदौरिया मोटर्स को, क्रमांक–6 का भुगतान (₹ 6,940/–) बी.के. ट्रेवेल्स को और क्रमांक–7 का भुगतान (₹ 7,42,172/–) स्टार वैकेशंस को किया गया. इस प्रकार सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम पर सरकार से स्वीकृत ₹ 44,27,500/– के स्थान पर कुल ₹ 55,22,281/– व्यय हुआ, जिसपर राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति बाद में प्राप्त की गई जो स्वीकृत राशि से ₹ 10,94,781/– (10 लाख 94 हजार 781 रूपया) अधिक है.

दिनांक 6 नवम्बर, 2016 को पवित्र छठ पर्व के अवसर पर श्रीमती सुनिधि चौहान का गायन कार्यक्रम जमशेदपुर के सिदगोड़ा सूर्य मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया था. इस समिति के संरक्षक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे. यह समिति सार्वजनिक रूप से दावा करती है कि इसके द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के व्यय का लेखा विधिवत रखा जाता है और इसका वार्षिक अंकेक्षण भी

कराया जाता है. तथाकथित सूर्य मंदिर समिति के जिम्मेदार पदाधिकारी ही बता सकते हैं कि 6 नवम्बर 2016 को इसके द्वारा आयोजित सुनिधि चौहान के गायन के लिये उन्हें और उनके साथियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया था ? विडम्बना है कि इस बारे में मेरे प्रश्न का जवाब देने से विधानसभा में वर्तमान सरकार भी कतरा गई.

यह संयोग है या सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है कि सुनिधि चौहान के जमशेदपुर कार्यक्रम के तीन दिन बाद 9 नवम्बर को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राँची में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें उनके वरीय निजी सहायक ने प्रस्ताव दिया कि आगामी 15 नवम्बर को आयोजित हो रहे राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के सांस्कृतिक कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में श्रीमती सुनिधि चौहान को भी बुलाया जाय और इसके लिए आर्चर इंटरटेनमेंट प्रा. लि. को अविलंब भुगतान किया जाय. यह प्रस्ताव मान लिया गया और तय हुआ कि इस अवसर के लिये पूर्व निर्धारित कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सुनिधि चौहान का कार्यक्रम रखा जायेगा. इस कार्यक्रम पर कुल ₹ 55,22,281/- व्यय हुआ. मात्र आठ दिन पहले दिनांक 6 नवम्बर 2016 को जमशेदपुर में आयोजित सुनिधि चौहान के निजी कार्यक्रम पर हुए व्यय और उसके बाद 15 नवम्बर 2016 को राँची में आयोजित श्रीमती सुनिधि चौहान के सरकारी कार्यक्रम पर हुये व्यय के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर इस मामले में उठने वाले सवालों का सही जवाब मिल जायेगा और पता चल जायेगा कि दोनों कार्यक्रमों पर हुए व्यय के भुगतान में कितना अंतर है और दोनों कार्यक्रमों पर हुए व्यय का भुगतान एक साथ हुआ है या अलग-अलग हुआ है ?

विधानसभा में मेरे प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन और सभाध्यक्ष के नियमन के उपरान्त सभाध्यक्ष कक्ष में दिनांक 7.9.2021 को बैठक हुई. बैठक में निर्णय लिया गया था कि इस मामले की जाँच एसीबी से करायी जाय. यह निर्णय हुए 23 दिन बीत गये और मामला जस-का-तस रह गया तो मैंने इस बारे में 30 सितंबर, 2021 को सभाध्यक्ष को एक पत्र भेजा. यह पत्र हू-ब-हू निम्नवत है :-

माननीय अध्यक्ष महोदय,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

विषय : दिनांक 06.09.2021 को विधान सभा में पूछे गये मेरे अल्पसूचित प्रश्न संख्या - अ.सू.- 09 के मामले में भवदीय के नियमन के संबंध में.

महाशय,

भवदीय को स्मरण होगा कि उपर्युक्त विषय में सदन में माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भवदीय का नियमन हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्यमंत्री और अधोहस्ताक्षरी भवदीय के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर विमर्श करेंगे कि मामले की जाँच एसीबी द्वारा की जाय अथवा सदन की समिति द्वारा की जाय. नियमन के अनुरूप माननीय संसदीय कार्यमंत्री और अधोहस्ताक्षरी भवदीय के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने विमर्श कर लिया है. आम सहमति से तय हुआ कि मामले की जाँच एफआईआर दर्ज कर एसीबी से कराई जाय.

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में सरकार को समुचित निर्देश करने की कृपा करना चाहेंगे.

सादर,

भवदीय
ह./–
(सरयू राय)

सभाध्यक्ष कार्यालय में मेरा पत्र पहुँचा तो विधानसभा के एक वरीय पदाधिकारी मेरे पास आये. उन्होंने बताया कि गत 7 सितंबर 2021 को माननीय सभाध्यक्ष के कक्ष में इस संबंध में हुई बैठक में मामले की जाँच एसीबी से कराने का निर्णय तो हो गया परंतु बैठक में किसी रिपोर्टर के उपस्थित नहीं रहने कारण बैठक की कार्यवाही तैयार नहीं हो सकी. फलत: यह निर्णय सरकार को संसूचित नहीं हो पाया. सदन में माननीय सभाध्यक्ष के नियमन का क्रियान्वयन करने के लिए पुन: एक बैठक करनी होगी, बैठक की कार्यवाही बनेगी और बैठक के निर्णय का विधिवत संसूचन सरकार को होगा. बैठक पुन: आयोजित होने में काफ़ी समय लग गया. एक माह बाद दिनांक 01.11.2021 को यह बैठक हुई. बैठक में सभाध्यक्ष, संसदीय कार्यमंत्री और प्रश्नकर्ता के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हुआ. बैठक का निर्णय झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव, श्री धनेश्वर राणा ने दिनांक 24.11.2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र द्वारा संसूचित कर दिया. झारखण्ड विधानसभा के संयुक्त सचिव द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र निम्नवत है :–

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,

महोदय, निदेशानुसार सूचित करना है कि माननीय सदस्य, श्री सरयू राय का अल्प सूचित प्रश्न संख्या–09 (छायाप्रति संलग्न), क्रमांक–03 पूछे जाने हेतु

दिनांक 06.09.2021 की कार्यसूची में अंकित था जो दिनांक 07.09.2021 के लिए स्थगित हुआ और उक्त तिथि को इस पर वाद–विवाद हुआ (कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न). इस परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 को 12.00 बजे मध्याह्न में सभा सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक हुई, जिसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम एवं माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य, श्री सरयू राय भी सम्मिलित हुए.

उक्त बैठक में विचार–विमर्श के दौरान इस विषय की जाँच एसीबी से कराये जाने पर विचार–विमर्श हुआ, क्योंकि यह मामला राज्य के बाहर का भी है. तदनुसार इस संबंध में आपको संसूचित किये जाने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है.

अत: अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सभा सचिवालय को सूसचित करने की कृपा की जाय.''

यह पत्र मुख्य सचिव के पास पहुँचा तो उन्होंने आवश्यक परामर्श के साथ इसे मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दिया. मुख्यमंत्री सचिवालय में एसीबी जाँच हेतु पहले से एक संचिका टॉफी, टी–शर्ट खरीद में अनियमितता की जाँच कराने हेतु संलिप्त थी. यह संचिका झारखंड स्थापना दिवस समारोह–2016 के अवसर पर अपने–अपने विद्यालयों के पोषण क्षेत्र में प्रभात फेरी में भाग लेने वाले स्कूली विद्यार्थियों के बीच वितरण के लिये टॉफ़ी और टी–शर्ट की खरीद में हुई अनियमितताओं की जाँच एसीबी से कराने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालक में पहले से लंबित थी. वहाँ पूर्व से प्रक्रियाधीन इस संचिका के साथ प्रासंगिक मामले की जाँच एसीबी से कराने का विधान सभा का नियमन भी इसमें जोड़ दिया गया. संचिका पर मुख्यमंत्री की सहमति भी प्राप्त हो गयी. इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु एसीबी मैन्युअल के प्रावधान के अनुरुप एक और प्रक्रिया आरम्भ होती थी. इस प्रक्रिया में भी मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेनी होती है. इस प्रक्रिया में काफी विलंब हुआ. यानी मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले का एसीबी जाँच कराने का आदेश होने से और मैन्युअल के अनुसार इसकी सूचना एसीबी के पास पहुँचने में काफी समय लग गया. काफी समय बाद इस पर मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त हुई. दिनांक 3 फरवरी 2022 को टॉफ़ी, टी–शर्ट की खरीद में अनियमितता के साथ ही इस अवसर पर श्रीमती सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम से जुड़ी अनियमितता की जाँच भी एसीबी से कराने का सरकार का निर्णय एसीबी को संसूचित हुआ. अंततः इस मामले की जाँच एसीबी से कराने का निर्णय हो गया. देखना है एसीबी इस मामले की जाँच और कारवाई में कितना समय लेता है. पूरी प्रक्रिया पर एक गीत की पंक्ति सटीक बैठती है कि 'हुज़ूर आते–आते बहुत देर कर दी'.

❖❖❖

खण्ड–10

टॉफी की संदेहास्पद आपूर्ति

15 नवम्बर 2016 को आयोजित होनेवाले झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 को भव्य बनाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहली बैठक 21 अक्टूबर 2016 को हुई. इस बैठक में हुये निर्णयों की अधिसूचना 25 अक्टूबर 2016 को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत हुई. इस आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में एक संचिका, संख्या– 04/म.म.स. (समारोह)–02/2015 (खंड–1), खोली गई. संचिका में विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने 21.10.2016 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन के बारे में विभागीय सचिव को प्रस्ताव दिया. अन्य बातों के अलावा प्रस्ताव में जिक्र था कि समारोह के अवसर पर राज्य के सभी मध्य विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी का कार्यक्रम होगा. प्रभात फेरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 लाख होगी. इन विद्यार्थियों को एक–एक टी–शर्ट और मिठाई का एक–एक पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा.

27.10.2016 को संचिका में विभागीय सचिव की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ कि दिनांक 15.11.2016 को सभी मध्य विद्यालयों के बच्चे अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालेंगे. प्रत्येक विद्यालय के 25 मेधावी लड़के और 25 मेधावी लड़कियों का चयन कर उनको प्रभात फेरी के पहले एक एक टी–शर्ट और प्रभात फेरी के बाद नास्ता (मिठाई का पैकेट) दिया जाना है. एक दिन अचानक बच्चों का नास्ता में मिठाई का पैकेट देने का निर्णय टॉफी में बदल गया. स्थापना दिवस समारोह की तिथि मात्र चार दिन दूर रह गयी तो 10.11.2016 को राँची के उपायुक्त ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा और कहा कि प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बच्चों को टॉफी/मिठाई का पैकेट उपलब्ध कराने का आदेश हुआ है. निदेशानुसार पाँच लाख टॉफी/मिठाई का पैकेट क्रय की जानी है. इस संबंध में कतिपय स्थानीय प्रतिष्ठानों से वार्ता की गई. वार्ता के क्रम में स्थानीय प्रतिष्ठानों ने इतने कम समय में टॉफी का पैकेट आपूर्ति करने से इंकार किया. इसी क्रम में लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर द्वारा इस कार्यालय में इस संबंध में प्रस्ताव एवं भाव पत्र प्राप्त हुआ. जिसमें उनके द्वारा तीन दिनों के अंदर पाँच लाख टॉफी का पैकेट ₹ 6.96 प्रति पैकेट की दर से 34,80,000/– (चौंतीस लाख

अस्सी हजार) एवं ₹ 12000/– (बारह हजार) परिवहन खर्च यानी कुल ₹ 34,92,000/– (चौंतीस हजार बानबे लाख) की लागत पर आपूर्ति करने पर अपनी सहमति दी है. प्रतिष्ठान का वाणिज्य–कर निबंधन संख्या– 20600808882 है.

आगे उपायुक्त, राँची ने लिखा कि समयाभाव एवं आपूर्ति किये जाने वाली टॉफी का पैकेट की संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुये निविदा के माध्यम से ससमय क्रय करने में कठिनाई है. अत: अगर मान्य हो तो 'लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर' से पाँच लाख टॉफी का पैकेट ₹ 34,92,000/– (चौंतीस लाख वानबे हजार) की लागत पर मनोनयन के आधार पर क्रय करने का आदेश देने की कृपा की जाए. उसी दिन यानी 11.11.2016 को ही उपायुक्त राँची के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री यानी मुख्यमंत्री का आदेश हो गया कि मनोनयन के आधार पर टॉफी का पाँच लाख पैकेट जमशेदपुर के 'लल्ला इंटरप्राईजेज' से क्रय कर लिया जाय. इस प्रकार प्रभात फेरी में भाग लेने वाले बच्चों के लिये नास्ता में मिठाई का पैकेट देने का पूर्व का निर्णय बदल गया और जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राईजेज से मनोनयन के आधार पर टॉफी का पाँच लाख पैकेट 34 लाख 92 हजार रूपये में खरीदने का आदेश हो गया. इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि एक पैकेट में कितनी टॉफी रहेंगी, किस ब्रांड की टॉफी रहेगी. यह भी नहीं देखा गया कि इतने कम समय में पाँच लाख टॉफी का पैकेट देने पर राजी होने वाले लल्ला इंटरप्राईजेज के पास यह काम करने की क्षमता है या नहीं. इतने कम समय में इतने बड़े काम को पूरा करने में राँची के बड़े व्यापारी तैयार नहीं हुये तो जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राइजेज के पास ऐसी कौन सी विशेष क्षमता है, इस पर गौर नहीं किया गया. यह भी जानने का प्रयास नहीं हुआ कि लल्ला इंटरप्राइजेज ने विगत दो–चार वर्षों में टॉफी का कितना बड़ा व्यवसाय किया है या नहीं किया है.

11 नवम्बर 2016 को आदेश हुआ और लल्ला इंटरप्राईजेज ने 13 अक्टूबर को टॉफी का 100 बैग जमशेदपुर में और 14 अक्टूबर को दो बार में (एक बार 500 बैग और एक बार 400 बैग) टॉफी के 900 बैग राँची में पहुँचा दिया. एक बैग में टॉफी के 500 पैकेट थे. ये बैग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के नोडल अफसर श्री रतन श्रीवास्तव ने प्राप्त किया. जमशेदपुर में की गई आपूर्ति की प्राप्ति भी राँची में ही इन्होंने ही दे दिया. यह प्राप्ति रसीद उन्होंने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के लेटर पैड पर टाइप कर के जमा कर दिया. यह आपूर्ति इन्होंने किससे प्राप्त की, टॉफी के बैग किस वाहनों से राँची लाये गये, उस वाहन के पास रोड परमिट एवं अन्य कागजात थे या नहीं, इसका कोई जिक्र प्राप्ति रसीद के साथ संलग्न नहीं है.

2018 में माननीय विधायक अरूप चटर्जी ने और माननीय विधायक प्रदीप यादव ने टॉफी की खरीद में अनियमितता होने के बारे में विधानसभा में सवाल किया था. उस समय सरकार ने जवाब दिया था कि टॉफी खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई है. इसके बाद 2020 में मैंने दो सवाल विधानसभा में किया. उन सवालों के जवाब में भी सरकार गंगा पी गई, कहा सब कुछ ठीक–ठाक है. लल्ला इंटरप्राईजेज ने टॉफी के व्यापार पर 14.50 प्रतिशत वैट का भुगतान कर दिया है. जबकि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जो सूचना मिल रही थी उसके अनुसार टॉफी की खरीद हुई ही नहीं. कागज पर ही खरीद दिखा दी गई. फर्जी रिसिविंग दिखा दी गई. सरकार से पूरा पैसा ले लिया गया. पैसा का सरकारी चेक लल्ला इंटरप्राइजेज के पास पहुँचा तो अगले दिन किसी ने पोस्ट पेड चेक द्वारा लल्ला इंटरप्राइजेज के प्रोप्राईटर से उतनी राशि का चेक ले लिया. यानी लल्ला इंटरप्राईजेज एक मुखौटा फर्म के रूप में काम कर रहा था. असली चेहरा किसी और का था. कौन था वह ? क्या तिलिस्म है सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को नाश्ता या मिठाई पैकेट देने का निर्णय अंत समय में बदलवा देने और उसकी जगह टॉफी का पैकेट करा देने के पीछे और इसकी खरीद भी लल्ला इंटरप्राइजेज से करने के पीछे?

मैंने वाणिज्य–कर विभाग के पोर्टल पर वर्ष 2016–17 में लल्ला इंटरप्राईजेज के व्यापार और वैट के भुगतान का विवरण देखा जिसे उन्होंने झारखंड सरकार को सौपा था. विवरण चौंकाने वाला था. लल्ला इंटरप्राइजेज ने वर्ष 2016–17 में टॉफी का व्यापार किया ही नहीं था और न टॉफी की खरीद–बिक्री पर टैक्स का भुगतान किया था. विधान–सभा में मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि लल्ला इंटरप्राइजेज ने सरकार को आपूर्ति करने के लिये पाँच लाख पैकेट टॉफी जुगसलाई के किसी माँ लक्ष्मी भंडार से खरीदा था. परंतु प्रासंगिक वर्ष में लल्ला इंटरप्राईजेज द्वारा दिये गये व्यापार विवरण में माँ लक्ष्मी भंडार से टॉफी खरीदने का उल्लेख ही नहीं था. टॉफी का पाँच लाख पैकेट खरीदना तो दूर लल्ला इंटरप्राइजेज ने इस वर्ष माँ लक्ष्मी भंडार से टॉफी का एक टुकड़ा भी नहीं खरीदा है. यदि इसने खरीदा है तो माँ लक्ष्मी भंडार से बिस्कुट खरीदा है. इस बिस्कुट को भी उस साल इसने किसी को बेचा नहीं है. पता नहीं इस बिस्कुट का उन्होंने किया क्या ? वास्तव में टॉफी की खरीद–बिक्री करना लल्ला इंटरप्राईजेज का धंधा नहीं रहा है. इसका मुख्य धंधा सैनिटरी प्रोडक्ट, बेबी गारमेंट, कॉस्मेटिक आदि के व्यवसाय का है.

2021 में जब मैंने विधान–सभा में तीसरा सवाल पूछा और सटीक प्रमाण पेश

किया तो सरकार को मानना पड़ा कि इस मामले में अनियमितता हुई है. लल्ला इंटरप्राइजेज ने टॉफी का व्यापार छुपाया है. सरकार ने विधानसभा को बताया कि अनियमितता करने के कारण वाणिज्य–कर विभाग ने लल्ला इंटरप्राइजेज पर ₹ 17 लाख 1 हजार 5 सौ रुपये का अर्थ दंड लगा दिया है. वाणिज्य–कर विभाग द्वारा लल्ला इंटरप्राइजेज पर 17 लाख 1 हजार 5 सौ रूपये का अर्थदंड (फाइन) लगाने का आदेश हू–ब–हू निम्नवत हैं :–

वाणिज्यकर संयुक्त उपायुक्त का कार्यालय, जमशेदपुर

आदेश

व्यवसायी लल्ला इंटरप्राइजेज, सिदगोड़ा, जमशेदपुर COSMETIC, STATIONERY GOOD, MOBILE PHONE, GIFT ITEMS, CHOCOLATES, TOFFEE, FMCG ITMS, MISTURES, KURKURE, CHIPS ETC के कारोबार हेतु निबंधित है.

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 70, दिनांक 20.02.2020 एवं पत्र संख्या–2047, दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से विभाग को यह मामला संज्ञान में लाया गया कि :–

1) झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने के लिए राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच चॉकलेट वितरण करने हेतु सिदगोड़ा, जमशेदपुर की एक व्यवसायी फर्म ''लल्ला इन्टरप्राईजेज'' से बिना निविदा के करीब 33 लाख रूपये की चॉकलेट खरीदी गयी थी, जिस पर वाणिज्य–कर (VAT) का भुगतान संबंधित फर्म ने नहीं किया है.

2) ''लल्ला इन्टरप्राईजेज'' द्वारा आपूर्ति किये गये चॉकलेट किस ब्रांड के थे और उन्हें कहाँ से खरीदा गया था, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है.

3) टॉफी के आपूर्ति के लिए जमशेदपुर से झारखण्ड के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करने के लिए वाणिज्य–कर विभाग ने विहित प्रपत्र में परिवहन हेतु आवश्यक कागजात आपूर्तिकर्ताओं को दिया या नहीं ?

इस सन्दर्भ में अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2020, दिनांक 20.02.2021 एवं दिनांक 23.02.2021 को जाँच किया गया. जाँचोपरान्त अनियमिततायें पायी गयीं, जिसके लिए झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 40(1) के अंतर्गत विहित प्रपत्र JVAT 302 के साथ Gist of accusation के साथ कारण बताओ सूचना निर्गत किया गया, जिसमें

दिनांक 19.03.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा बिना किसी दबाव के स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया.

दिनांक 17.03.2021 को व्यवसायी के प्राधिकृत अधिवक्ता श्री मनीष कुमार चौधरी सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं लिखित रूप से स्पष्टीकरण समर्पित किये. कारण बताओ सूचना में निम्नलिखित अनियमितताओं के लिए कंडिकावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

(1) संबंधित चॉकलेट की आपूर्ति के आलोक में व्ययसायी के द्वारा बिक्री बीजक एवं खरीद बीजक प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार चॉकलेट दर्शायी गयी है, परन्तु आपके द्वारा दाखिल विवरणी (तृतीय त्रैमास 2016–17) को Annexure-D के अनुसार सर्वश्री माँ लक्ष्मी भंडार, जुगसलाई जमशेदपुर टिन नं.– 20581100355 से बिस्कुट की खरीद दर्शायी गयी है. तदनुसार सर्वश्री माँ लक्ष्मी भंडार, जुगसलाई, जमशेदपुर के द्वारा दाखिल विवरणी (तृतीय त्रैमास 2016–17) के Annexure-B के अनुसार भी सर्वश्री लल्ला इन्टरप्राईजेज को बिस्कुट की ही बिक्री दर्शायी गयी है.

इस सन्दर्भ में व्यवसायी से पूछा गया कि विवरणी (तृतीय त्रैमास 2016–17) के Annexure-D में चॉकलेट की जगह बिस्कुट की प्रविष्टि क्यों की गयी है. इनके द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि विवरणी में चॉकलेट या कॉनफेक्शनरी का ऑपशन नहीं आने के कारण बिस्कुट अंकित कर दिया गया था. आपके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि बिस्कुट एवं चॉकलेट दोनों ही का कर दर 14.5% है एवं उसके अनुसार कर भुगतान कर दिया गया है.

इन बिन्दुओं पर विभाग द्वारा पोर्टल पर जाँच करायी गयी तो यह स्पष्ट हुआ है कि यदि कोई भी Commodity सूची में न हो तो उसे Other Unspecified commodity में जाकर वस्तु के नाम को अंकित किया जा सकता है. इसलिए आपका कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है.

इस संबंध में व्यवसायी के तरफ से प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि JVAT 200 के Annexure-D में Purchase Details में चॉकलेट या कॉनफेक्शनरी का ऑप्शन नहीं होने के कारण ऑफिस स्टॉफ के द्वारा गलती से बिस्कीट भर दिया गया है. इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों ही वस्तुओं बिस्कीट एवं चॉकलेट का कर दर 14.5% है. इसलिए राजस्व की क्षति नहीं हुई है.

इनके द्वारा दिये गये अधिवक्ता का कथन सत्य नहीं माना जा सकता. क्योंकि इनके द्वारा त्रैमासिक विवरणी न तो समय पर दाखिल किया गया और न ही संशोधित विवरणी दाखिल किया गया.

(2) व्यवसायी को राज्य स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर चॉकलेट आपूर्ति के लिए सरकारी विभाग से कब आदेश पत्र प्राप्त हुआ ? इस सन्दर्भ में इनके द्वारा आपूर्ति आदेश पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी.

इस सन्दर्भ में उपरोक्त बिन्दु पर अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि व्यवसायी के द्वारा उपायुक्त महोदय के नाम दिनांक 21.11.2016 को एक पत्र लिखा गया है जिसकी एक छायाप्रति निम्नवत है :–

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,
राँची, झारखण्ड.

विषय : स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर आपूर्ति किये गये टॉफी के भुगतान के सन्दर्भ में.

महाशय,

विनम्रतापूर्वक कहना है कि आपके कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र के ज्ञापांक–827(ii) नजा., दिनांक 11.11.2016 के आलोक में राज्य स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर पाँच लाख चॉकलेट की आपूर्ति ससमय राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, न्यू कॉपरेटीव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, राँची को उपलब्ध करा दी गयी है, जिसकी पावती पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है.

पाँच लाख पॉकेट चॉकलेट का कुल मूल्य ₹ 33,61,125/– मात्र (तैंतीस लाख, इकसठ हजार, एक सौ पच्चीस रूपया मात्र) है.

अत: श्रीमान से निवेदन यह है कि उपरोक्त रकम लल्ला इंटरप्राइजेज के नाम से हमारे बैंक खाता संख्या C/C-595530110000018, IFC- BKID0005955, बैंक ऑफ इंडिया, भालुबासा शाखा, जमशेदपुर में निर्गत करने की कृपा करेंगे।

भवदीय

(K. Agarwal)

उपरोक्त आवेदन में उल्लेखित कार्यालय के द्वारा निर्गत ज्ञापांक 827(ii) नजा., दिनांक 11.11.2016 व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया.

(3) व्यवसायी के द्वारा किन–किन वाहनों से माल का परिवहन किया गया एवं कितना फ्रेट (माल का भाड़ा) भुगतान किया गया इसकी जानकारी इनके द्वारा

उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही इस खर्च के लिए विपत्र उपस्थापित किया गया.

इस सन्दर्भ में अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि माल की आपूर्ति राँची से जमशेदपुर के लिए वाहन संख्या–JH01BR-4317 के माध्यम से किया गया, जिसका भाड़ा ₹ 12,000.00 है जो टैक्स इन्वाईस में उल्लेख किया गया है. इसकी माल की प्राप्ति Nodal Officer, JEPC, Ranchi द्वारा की गयी है. प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न है.

इस सन्दर्भ में भाड़ा रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सत्यापन हो सके कि इनके द्वारा भुगतान किया गया है.

(4) वैट पोर्टल में देखा गया कि व्यवसायी के द्वारा इतनी बड़ी राशि की माल के परिवहन के क्रम में सुगम 504P का व्यवहार नहीं किया गया है जो झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 42(2) का उल्लंघन है.

इस सन्दर्भ में अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि दुविधा की स्थिति एवं जानकारी का अभाव था कि सरकारी विभाग को माल की आपूर्ति हेतु सुगम P की आवश्यकता नहीं है. इसलिए सुगम P के बिना ही माल का परिवहन किया गया.

इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि व्यवसायी को अपने स्तर से माल के परिवहन के लिये स्वयं कम्प्यूटराईज्ड वैधानिक प्रपत्र सुगम 504P निर्गत कर सकते थे. किसी भी व्यवसायी के लिए राज्यान्तर्गत मालों के परिवहन के क्रम में ₹ 50,000.00 मूल्य या उससे उपर के माल का परिवहन में चाहे माल का आगमन या प्रस्थान हो वैधानिक प्रपत्र सुगम 504P का व्यवहार अनिवार्य है. ऐसा नहीं किये जाने पर झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 42(2) का उल्लंघन है. व्यवसायी द्वारा मेसर्स माँ लक्ष्मी भंडार (2016–17), गर्ल स्कूल रोड, रूँगटा अपार्टमेंट, जुगसलाई, जमशेदपुर, टिन– 20581100355 से चॉकलेट की खरीद के क्रम में वैधानिक प्रपत्र सुगम 504P का उपयोग नहीं किया गया है.

अत: झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमवाली 2006 के नियम 66 के अन्तर्गत उक्त नियम के उल्लंघन हेतु ₹ 5,000.00 अधिरोपित किया जाता है.

(5) व्यवसायी के द्वारा चॉकलेट की आपूर्ति के लिए Deputy Commissioner, Ranchi, Jharkhand के नाम से ₹ 33,61,125.00 का विपत्र संख्या A1, दिनांक 21.11.2016 निर्गत किया गया है जिसके आलोक में Bank

Statement के अनुसार व्यवसायी को दिनांक 24.01.2017 को ₹ 31,76,902.00 की प्राप्ति हुई है. जाँच के क्रम में अन्तर राशि ₹ 1,84,223.00 पाया गया. इस सन्दर्भ में व्यवसायी से पूछे जाने पर बताया गया कि 4% वाणिज्य–कर विभाग का TDS एवं 2% आयकर है.

वर्ष 2016–17 के कर–निर्धारण आदेश एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया जिसमें कर की संगणना के उपरान्त ITC के समायोजन के पश्चात भुगतेय राशि ₹ 1,65,290.00 संगणित की गयी, जिनका व्यवसायी के द्वारा कैश भुगतान किया गया. अभिलेख पर TDS के कटौती से संबंधित JVAT 400 प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि व्यवसायी द्वारा सरकारी विभाग को आपूर्ति किया गया है, जिस पर कर की भी कटौती की गयी है.

इस बिन्दु पर अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि JVAT 400 उपलब्ध नहीं है एवं JVAT 400 निर्गत करने हेतु विभाग को कई बार निवेदन किया गया. JVAT 400 उपलब्ध नहीं होने के कारण ITC Claim नहीं कर सके जिसके कारण विवरणी विलम्ब से दाखिल किया गया. जिसके लिए विभाग द्वारा कर निर्धारण के समय अर्थदण्ड आरोपित किया गया. इनके द्वारा बतलाया गया कि Deputy Commissioner, Ranchi, Jharkhand के द्वारा आपूर्ति के एवज में वास्ते ₹ 58,201/– का चेक संख्या 35774709947, दिनांक 22.12.2017 निर्गत किया गया है.

उपरोक्त सन्दर्भ में पूछा गया कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से TDS का पैसा मिल सकता है तो फिर आपको उसी विभाग से चॉकलेट की आपूर्ति पर किये गये कटौती का JVAT 400 क्यों नहीं प्राप्त हुआ एवं साथ ही तृतीय त्रैमासिक विवरणी में एक कॉलम संख्या–57 (Adjust the amount of Tax deducted at source as show & issued in JVAT400) में इनके द्वारा शून्य दिखलाई गयी है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यवसायी के द्वारा जानबूझ कर बिक्री को छुपाया गया है.

(6) वर्ष 2016–17 की कर देय बिक्री ₹ 3,99,87,854.59 दर्शायी गयी है, जिस पर व्यवसायी के द्वारा सकल लाभ ₹ 6,62,693.45 दर्शायी गयी है, अर्थात बिक्री पर 1.66% सकल लाभ दिखाया गया है. व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत बीजक के अनुसार टॉफी की खरीद वास्ते ₹ 22,09,900.00 (कर रहित)

एवं पैकिंग खर्च जैसे Toffee Packet Insert, Labels on Gumming Sheet (2000 Sheet Demy), Posters, Leaflet वास्ते ₹ 1,81,101.42 (कर रहित) अर्थात कुल ₹ 23,91,001.42 होता है. जबकि व्यवसायी के द्वारा चॉकलेट की कर देय बिक्री वास्ते ₹ 29,25,000.00 एवं इस पर 14.5% कर की राशि ₹ 4,24,125.00 दर्शायी गयी है. यदि बिक्री मूल्य से लागत मूल्य को घटाया जाय तो ₹ 5,33,998.58 लाभ होता है. अर्थात बिक्रय मूल्य से 18.26% सकल लाभ है.

दूसरी तरफ व्यवसायी के द्वारा आयकर विभाग को समर्पित Trading & Profit & Loss Account एवं Balance Sheet की माँग की गयी थी, जो व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत किया गया. जिसका अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि व्यवसायी के द्वारा Trading Account esa Gross Profit 26,84,427.45 दर्शाया गया है. जबकि वाणिज्य–कर विभाग को समर्पित Audited Trading Account में सकल लाभ ₹ 6,62,693.45 दिखाया गया है.

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आयकर विभाग को समर्पित Trading & Profit & Loss Account में damage Claims ₹ 25,97,187.14 दिखलाया गया था.

इनके इनकम टैक्स एवं वाणिज्य–कर विभाग के बिक्री के आँकड़े 3,99,87,854.59 प्रतिवेदित है. जबकि इनकम टैक्स में Damage Claims को दिखाकर लाभ बढ़ाया गया है. इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर बताया गया कि माल के Damage का Claims को इनकम के रूप में दिखाकर सकल लाभ को बढ़ाया गया है, अर्थात ₹ 26,24,427.45 है. यदि Damage Claims को भी घटाया जाये तो इनका सकल लाभ ₹ 87,240.31 एवं वाणिज्य–कर विभाग में सकल लाभ ₹ 6,62,693.45 दिखाया गया है। व्यवसायी के द्वारा विभिन्न विभागों में प्रदर्शित सकल लाभ में एकरूपता नहीं है. **इसका अर्थ है कि इनके द्वारा विवरणी में प्रतिवेदित आँकड़े अविश्वसनीय एवं अशुद्ध है.**

(7) जाँच के समय व्यवसायी से भंडार पंजी की माँग करने पर प्रस्तुत नहीं किया गया. आपके द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि छोटे व्यवसायी होने के कारण भंडार पंजी का संधारण नहीं करते है. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री बीजक में कुल 5,00,000 पैकेट चॉकलेट की आपूर्ति दर्शायी गयी

है, परन्तु प्राप्ति के हिसाब से कुल 6,53,400 पैकेट चॉकलेट है जिसमें 1,53,400 का अन्तर है, जिसका आपके द्वारा निर्गत बीजक प्रस्तुत नहीं किया गया है.

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये जवाब में उल्लेख किया गया है कि 1000 बैग टॉफी की आपूर्ति की गयी है, जिसमें 5,00,000 पैकेट टॉफी की है. जिसकी प्राप्ति Nodal Officer, JEPC, Ranchi, Mr. Ratan Shrivastava द्वारा की गयी है. प्राप्ति रसीद की छायाप्रति निम्नवत है.

Date	Bags	Packet each bag	Department and Receivers Name
13.11.2016	100	500	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (झारखण्ड के 24 जिला हेतु) Ratan Srivastava, Nodal Officer, JEPC, Ranchi
14.11.2016	500	500	
13.11.2016	400	500	
Total	**1000**		

अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि वास्तविक रूप से 5,00,000 पैकेट अर्थात 1000 बैग चॉकलेट की आपूर्ति की गयी है. 1,53,400 पैकेट के अन्तर के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि **विभाग के द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया था कि चाईबासा एवं सरायकेला जिलों में 1,53,400 पैकेट चॉकलेट वितरण करते हुए राँची को रसीद उपलब्ध करायेंगे.** इनका कथन विचारोपरान्त सही प्रतीत होता है, क्योंकि चॉकलेट की खरीदारी 24 जिलों हेतु किया गया है जो 5,00,000 पैकेट का एक भाग है.

(8) वर्ष 2016-17 का त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणी अत्यधिक विलम्ब से दाखिल किया गया है. संबंधित वर्ष के तृतीय त्रैमासिक विवरणी का विहित तिथि 25.01.2017, चतुर्थ त्रैमासिक विवरणी 25.04.2017 एवं वार्षिक विवरणी दिनांक 31.01.2018 तक दाखिल करना है. परन्तु व्यवसायी द्वारा तृतीय त्रैमासिक विवरणी तिथि 21.06.2017, चतुर्थ त्रैमासिक विवरणी 06.08.2017 एवं वार्षिक विवरणी दिनांक 30.05.2018 को दाखिल किया गया है. झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी को विहित समय पर सत्य, पूर्ण एवं सही रूप से विवरणी सम्यक रूप से दाखिल करना आवश्यक था. **परन्तु व्यवसायी के द्वारा सम्यक रूप से दाखिल नहीं किया जाना विवरणी में दिखायी गयी संव्यवहार सत्य, सही एवं पूर्ण प्रतीत नहीं होता है.**

प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2016–17 का विवरणी विलम्ब से दाखिल करने के लिए कर–निर्धारण के समय झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 30(4)(d) के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है. अधिवक्ता द्वारा विलम्ब से विवरणी दाखिल करने का एकमात्र कारण बताया गया कि ITC का Claim करने के लिये TDS सर्टिफिकेट का इन्तजार में विवरणी समय पर दाखिल नहीं किया जा सका.

व्यवसायी के तरफ से प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और न ही इनके द्वारा दिये गये तथ्य विवरणी सही है. उपर्युक्त बिन्दु के स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि व्यवसायी द्वारा झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 29(1) के अंतर्गत विवरणी में दिखायी गयी संव्यवहार को जानबूझकर कम दर्शाया गया है. व्यवसायी के द्वारा कर अपवंचना के मंशा से बिक्री को छुपाया गया है, जो राजस्व हित में उचित नहीं है. अत: ये छुपायी गयी राशि पर करारोपण के अलावा अर्थदण्ड के भागी है.

उल्लेखित छुपाई गयी बिक्री एवं अनियमिताओं के लिए कर एवं अर्थदण्ड की संगणना निम्न प्रकार से की जाती है :–

कर की दर	बिक्री राशि	आउटपुट कर देय
14.5%	₹ 29,25000.00	₹ 4,24,125.00

व्यवसायी को अधिनियम की धारा 40(1) के अन्तर्गत संगणित कर राशि ₹ 4,24,125.00 का तीन गुणा यानि ₹ 12,72,375.00 अर्थदण्ड अधिरोपित की जाती है.

भुगतेय कर की गणना निम्नवत की जाती है :–

देय कर की राशि	–	₹ 4,24,125.00
(+) धारा 40(1) के अंतर्गत संगणित कर राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड	–	₹ 12,72,375.00
(+) धारा 66 के अन्तर्गत अर्थदण्ड	–	₹ 5,000.00
भुगतेय राशि	–	**₹ 17,01,500.00**

इस प्रकार व्यवसायी को अर्थदण्ड सहित कुल कर की राशि ₹ 17,01,500.00 का भुगतान करने का दायित्व बनता है. यह अतिरिक्त मांग है. मांग पत्र निर्गत करें.

ह./-
(रतन लाल गुप्ता)
वाणिज्य-कर उपायुक्त
जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर
19.03.2021

संदर्भित आदेश के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग का मानना है कि लल्ला इंटरप्राईजेज ने टॉफी का व्यापार छुपाया. इसलिये टॉफी के व्यापार में वह जितना टैक्स देता उस पर नियमानुसार इससे तीन गुना अर्थ दंड लगाया गया. यहाँ पर प्रश्न एक व्यवसायिक फर्म द्वारा टॉफी का व्यापार छुपाने भर का नहीं है. प्रश्न है कि व्यापार हुआ या नहीं ? वस्तुतः न टॉफी की खरीद हुई, न सरकार को इसकी आपूर्ति की गई. टॉफी खरीद के बहाने तिकड़म रच कर सरकारी खजाना से अवैध तरीका से धन निकाल लिया गया. यह एक आपराधिक षडयंत्र का मामला है. लल्ला इंटरप्राइजेज तो मात्र एक मुखौटा है. कानून की प्रासंगिक धाराओं में कारवाई होने पर मुखौटा के पीछे के चेहरे बेनकाब होंगे. इनके भ्रष्ट आचरण उजागर होंगे. पता चल जायेगा कि फर्जी टॉफी आपूर्ति के एवज में सरकार ने जो भुगतान लल्ला इंटरप्राइजेज को किया है, इसके दो दिन बाद किसने उसके बैंक खाता से यह पैसा निकाल लिया.

आखिर क्या कारण है कि विधानसभा में बार-बार सवाल पूछे जाने पर सरकार ने हर बार यही कहा कि टॉफी की खरीद में अनियमितता नहीं हुई है । जब मैंने प्रमाण जुटा लिया और सरकार को यह बता दिया कि जिस व्यवसायी से टॉफी की आपूर्ति दिखाई गई है उसने तो उस वर्ष न टॉफी खरीदा है और न बेचा है, तब जाकर मेरे पाँचवें प्रश्न के जवाब में इन्होंने माना कि टॉफी खरीद में अनियमितता हुई है. अनियमितता के मद्देनजर लल्ला इन्टरप्राइजेज पर 17 लाख 1 हजार 5 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।

❖❖❖

खण्ड–11

टी–शर्ट आपूर्ति का फर्जीवाड़ा

दिनांक 02.11.2016 को राँची के उपायुक्त ने सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को एक पत्र लिखा. पत्रांक 776 (ii)/नजा. द्वारा प्रेषित इस पत्र में उपायुक्त, राँची ने लिखा है कि ''राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जायेगी एवं प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले बच्चों को एक–एक टी–शर्ट उपलब्ध कराने का सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है. निदेशानुसार पाँच लाख टी–शर्ट का क्रय किया जाना है. इसके लिये कतिपय स्थानीय प्रतिष्ठानों से वार्ता की गई. वार्ता के क्रम में स्थानीय प्रतिष्ठानों ने इतने कम समय में टी–शर्ट आपूर्ति करने से इंकार किया. लुधियाना, पंजाब का एक कुडु फैब्रिक्स है जो इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में टी–शर्ट देने के लिये तैयार है. कदमा, जमशेदपुर के प्रकाश शर्मा इसके प्रतिनिधि हैं. इन्होंने हमारे कार्यालय में इसके लिये एक प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव के साथ एक भाव पत्र भी है, जिसके अनुसार उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर पाँच लाख टी–शर्ट (विभाग द्वारा निदेशित स्लोगन अंकित करते हुये) की आपूर्ति करने पर सहमति दी गई है. 100 रूपये प्रति टी–शर्ट की दर से उस पर कुल पाँच करोड़ रूपये की लागत आयेगी. उनके द्वारा टी–शर्ट का एक सैम्पल भी दिया गया है. कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना ने इस हेतु दो करोड़ रूपया अग्रिम देने की माँग की है. समय के अभाव एवं आपूर्ति किए जाने वाली टी–शर्ट की बड़ी संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुये निविदा के माध्यम से समय सीमा के भीतर क्रय करने में कठिनाई है. अत: अगर मान्य हो तो कुडु फैब्रिक्स लुधियाना से पाँच लाख टी–शर्ट पाँच करोड़ रूपये की लागत पर मनोनयन के आधार पर क्रय करने तथा इन्हें अग्रिम में दो करोड़ रूपये का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए.''

विभागीय सचिव ने 3.11.2016 को उपायुक्त, राँची के उपर्युक्त पत्र के आधार संचिका में टिप्पणी अंकित किया और आदेश प्राप्त करने के लिये संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दिया. मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन इस पर अपना आदेश दे दिया. मुख्यमंत्री जी का आदेश मिलते ही मनोनयन के आधार पर कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना से पाँच करोड़ रूपये की लागत पर पाँच लाख टी शर्ट खरीदने और इसके लिये कुडु फैब्रिक्स को दो करोड़ रूपये का अग्रिम देने का रास्ता खुल गया.

कुडु फैब्रिक्स के भाव पत्र के अनुसार उसे गोल गला का पाँच लाख टी–शर्ट देना था, जिसपर झारखंड सरकार का नारा छपा रहेगा. ढाई लाख टी–शर्ट बच्चों के लिये अलग प्रकार का और ढाई लाख बच्चियों के लिये अलग प्रकार का होगा. बच्चों की टी–शर्ट सफ़ेद कॉलर वाली होगी और बच्चियों की टी–शर्ट रॉयल पिंक वाली. कुडु फैब्रिक्स द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को राँची में दिनांक 11.11.2016

तक 5 लाख टी–शर्ट की आपूर्ति कर देनी थी. इसके बाद 15 नवम्बर के पहले राज्य के सभी विद्यालयों में निर्धारित संख्या में टी–शर्ट पहुँचा देने का जिम्मा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् का था.

हमारे प्रश्न के जवाब में सरकार ने दिनांक 2.3.2020 को झारखंड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र से बताया कि शिक्षा परियोजना परिषद के रिकार्ड के मुताबिक कुडु फैब्रिक्स ने पाँच लाख टी–शर्ट की आपूर्ति किया. इसमें से दिनांक 12.11.2016 को 1,87,200 टी–शर्ट और 14.11.2016 को 2,29,200 टी–शर्ट राँची में तथा 13.11.2016 को जमशेदपुर में 26,000 टी शर्ट और उसी दिन धनबाद में 55,200 टी–शर्ट की आपूर्ति उन्होंने किया. टी–शर्ट के इन सभी बंडलों की प्राप्ति राँची मे हुई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल ऑफ़िसर रतन श्रीवास्तव ने अपने लेटर पैड पर इसकी प्राप्ति रसीद दी है.

उक्त प्राप्ति रसीद संदेहास्पद है. इसमें यह जिक्र नहीं है कि टी–शर्ट किसने किस प्रकार उपलब्ध कराया ? कुडु फैब्रिक्स द्वारा लुधियाना से भेजी गई टी–शर्ट की खेप यदि सड़क मार्ग से आई थी तो किस किस नम्बर के वाहनों से आई थी ? इनके पास कोई वाहन परमिट था या नहीं ? यदि टी शर्ट के ये बंडल रेल पथ से आये तो बिल्टी की पर्ची के साथ आवश्यक परिवहन परमिट था या नहीं ? रेलवे स्टेशन से झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची के कार्यालय में टी–शर्ट के बंडलों की यह खेप किन वाहनों से पहुँची थी ? टी–शर्ट की पूरी खेप 11 नवम्बर 2016 तक राँची में आनी थी मगर यह राँची, धनबाद और जमशेदपुर में 14 नवंबर 2015 तक क्यों उपलब्ध कराई गई ? धनबाद और जमशेदपुर में यह किस माध्यम से पहुँची ? वहाँ इसे किसने प्राप्त किया ? आदि सूचनाओं का उल्लेख प्राप्ति रसीद में नहीं हैं. इन सूचनाओं का जिक्र प्राप्ति रसीद के साथ नहीं होना और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के सामान्य लेटर पैड पर टाइप कर सभी जगहों की प्राप्तियों की रसीद एकमुश्त राँची में ही दे देना आपूर्ति के बारे में संदेह उत्पन्न करता है.

राज्य सरकार के अधिकारी न तो विधान सभा में इस मामले की सही तस्वीर रख रहे थे और न ही विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सामने इस मामले में तथ्यात्मक विवरण देने के लिये तैयार थे. मैंने स्वयं इस मामले में हुए घपले की छानबीन करने और अपने स्रोतों से सबूत जुटाने का फ़ैसला किया. मैंने पंजाब सरकार के लुधियाना और पटियाला के वाणिज्य–कर कार्यालयों से संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने इस बारे में आवश्यक विवरण झारखंड सरकार को भेज दिया है. मामला 2016 का है, इसलिये उस समय लुधियाना के कुडु फैब्रिक्स ने झारखंड सरकार को आपूर्ति किये गये टी–शर्ट के बारे में जो ब्यौरा लुधियाना के वाणिज्य–कर विभाग को दिया है और इस आपूर्ति पर वाणिज्य–कर के रूप में वैट का जितना भुगतान उसने पंजाब सरकार को किया है उसका मूल ब्यौरा उन्होंने

झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग को भेज दिया है. उनके कम्प्यूटर में संग्रहित यह ब्यौरा पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग के सहायक आयुक्त, लुधियाना ने अपर कराधान आयुक्त (जीएसटी), पटियाला को पत्रांक 226, दिनांक 28.04.2021 के माध्यम से भेजा है. इस सूचना को अपर कराधान राज्य आयुक्त, पंजाब ने पत्रांक PA/Addl.CST-1/1241, दिनांक 08.07.2021 द्वारा झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग के सचिव एवं आयुक्त को भेजा है.

आश्चर्य है कि यह ब्यौरा झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग ने विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सामने नहीं रखा. मैंने इससे झारखंड सरकार के वित्त एवं वाणिज्य–कर विभाग के मंत्री को अवगत कराया तब जाकर उन्होंने दिनांक 18.12.2021 को विधान सभा को इस बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया और बताया कि पंजाब सरकार के बिक्री कर विभाग ने पत्रांक PA/Addl.CST-1/1241, दिनांक 08.07.2021 के द्वारा सूचित किया है कि लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स ने 6 बीजकों द्वारा रेलमार्ग से तथा 5 बीजकों द्वारा सड़क मार्ग से टी–शर्ट की आपूर्ति की है। इस संबंध में पंजाब सरकार से विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु पुन: पत्राचार किया गया है. सूचना प्राप्त होने के उपरांत विधानसभा को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी.

टी–शर्ट की खरीद की जाँच के संबंध में कराधान आयुक्त, पंजाब के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सर्वश्री कुडू फैब्रिक्स, टिन– 03711004631 का सत्यापन ऑनलाईन ई.टी.टी.एस. पोर्टल द्वारा किया गया. टी–शर्ट की आपूर्ति में उपायुक्त, राँची को भेजे गए बीजकों से प्रपत्र–18 में अंतर्राज्जीय बिक्री दिखाई गई है तथा भुगतेय Central Sales Tax (CST) का भुगतान पंजाब सरकार को कर दिया गया है. चूंकि उपायुक्त, राँची द्वारा सर्वश्री कुडू फैब्रिक्स से सीधे टी–शर्ट की खरीद End consumer के रूप में की गई है, अत: झारखंड में वैट के अंतर्गत उक्त माल पर कर की देयता नहीं होगी.''

आश्चर्य है कि झारखंड सरकार ने पंजाब सरकार से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण नहीं किया. विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सामने इसे इस रूप में रखा, मानो सब कुछ जायज़ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. कुडु फ़ैब्रिक्स द्वारा भेजी गई टी–शर्ट झारखंड सरकार के पास पहुँच गई और इस पर टैक्स का भुगतान भी हो गया. विधानसभा समिति ने और राज्य सरकार ने भी वाणिज्य कर विभाग के इस मंतव्य को स्वीकार कर लिया होता और मामला रफा–दफा हो गया होता. यदि मैंने इस ब्यौरा का विश्लेषण कर सरकार को और विधानसभा समिति को तथ्य से अवगत नहीं कराया होता. यह विश्लेषण आँखें खोलना वाला है. इससे सिद्ध होता है कि राज्य की व्यवस्था के अंग बने सरकारी अधिकारी सरकार के भ्रष्टाचार एवं ग़लत निर्णयों पर लीपा–पोती करने और दोषियों को बचाने के लिये

किस हद तक जा सकते हैं. उन्हें कर दाताओं के खून पसीना की गाढ़ी कमाई से राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व का अपव्यय करने वालों एवं इनके भ्रष्ट कारनामों पर पर्दा डालने वालों को संरक्षण देने से रत्ती भर भी परहेज़ नहीं है. टी–शर्ट की आपूर्ति के संबंध में पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग को भेजे गये ब्योरा के अनुसार 5 बीजकों द्वारा टी–शर्ट की खेप सड़क मार्ग से और 6 बीजकों द्वारा रेल मार्ग से भेजी गयी है. सड़क मार्ग से भेजे गये टी–शर्ट का विवरण निम्नांकित तालिका में है :–

(क) पाँच बीजकों द्वारा सड़क मार्ग से टी–शर्ट परिवहन का विवरण (लुधियाना से धनबाद)

क्र.	परिवहनकर्ता	बीजक सं.	प्रेषण तिथि	मूल्य (रू.)
01	महादेव लॉजिस्टिक्स	579	11.11.2016	58,96,571
02	महादेव लॉजिस्टिक्स	580	11.11.2016	56,73,357
03	सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स	589	14.11.2016	54,40,842
04	सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स	596	15.11.2016	55,80,351
05	सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स	595	15.11.2016	57,94,264
			जोड़	**2,83,85,385**

कुडु फैब्रिक्स द्वारा पंजाब सरकार के वाणिज्य कर विभाग के लुधियाना कार्यालय को दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि इन्होंने सड़क मार्ग से उपर्युक्त तालिका में अंकित 5 बीजकों द्वारा टी शर्ट भेजा है. यह प्रेषण दो परिवहनकर्ताओं द्वारा किया गया है. एक परिवहनकर्ता है– महादेव लाजिस्टिक्स (रजि.), प्लॉट नं.–125, ट्रांसपोर्ट नगर, लुधियाना, पंजाब और दूसरा परिवहनकर्ता है– सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स, 24, द्वितीय तल, खन्ना मार्केट, तीस हजारी, दिल्ली. टी–शर्ट की यह खेप 11 नवम्बर 2016 को राँची पहुँचनी थी और राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 15 नवम्बर 2016 की सुबह इन्हें पहन कर विद्यार्थियों को अपने–अपने विद्यालय क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालनी थी. पर उपर्युक्त तालिका से अंकित विवरण के अनुसार सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स का एक ट्रक लुधियाना से चला है, 15 नवंबर को दोपहर बाद 6.40 बजे, दूसरा चला है, 15 नवम्बर को दोपहर बाद 4.20 बजे, तीसरा 14 फरवरी 2016 को ट्रक चला है शाम को 3.45 बजे. इनकी बिल्टी देखने से पता चलता है कि ये ट्रक लुधियाना से राँची के लिये नहीं बल्कि धनबाद के लिये चले हैं. इसके पूर्व 11 नवंबर 2016 को दो ट्रक से करीब ₹ 1.157 करोड़ की टी–शर्ट वहाँ से चले हैं. इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये ट्रक धनबाद से राँची कब पहुँचे, पहुँचे भी या नहीं पहुँचे. ये ट्रक राँची नहीं आये तो इनपर लदा माल किस प्रकार राँची

पहुँचा जिसे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के रतन श्रीवास्तव ने लुधियाना से ट्रक चलने से पहले ही प्राप्त कर लिया और राज्य भर के स्कूलों में बाँट भी दिया ?

इसी प्रकार रेल मार्ग से टी–शर्ट की जो खेप भेजी बताई गई है वह खेप लुधियाना रेलवे स्टेशन पर किस तिथि को पहुँची इसका उल्लेख तो पंजाब सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजे गए ब्यौरा में है. परंतु लुधियाना रेलवे स्टेशन से किस ट्रेन में लाद कर इन्हें राँची भेजा गया और यह राँची कब पहुँचा इसका विवरण नहीं है. लुधियाना से राँची के लिये कोई सीधी ट्रेन तो है नहीं कि जिसकी पार्सल बोगी में वहाँ माल लाद दिया और वह सीधे राँची रेलवे स्टेशन पहुँच गया. रेल मार्ग से 6 बीजकों द्वारा भेजी दिखाई गयी टी–शर्ट की खेप का विवरण निम्नांकित तालिका में है :–

(ख) छः बीजकों द्वारा रेल मार्ग (लुधियाना से राँची) से टी–शर्ट परिवहन का विवरण

क्र.	कहाँ से कहाँ तक	विपत्र सं.	प्रेषण तिथि	मूल्य (रू.)
01	लुधियाना से राँची	520	09.11.2016	14,40,088
02	लुधियाना से राँची	552	10.11.2016	8,64,053
03	लुधियाना से राँची	555	13.11.2016	15,36,094
04	लुधियाना से राँची	556	14.11.2016	14,40,088
05	लुधियाना से राँची	559	15.11.2016	9,80,058
06	लुधियाना से राँची	560	15.11.2016	9,60,058
			जोड़	**72,20,439**

कुल जोड़ (क) + (ख) = 2,83,85,385 + 72,20,439 = 3,56,05,824
(तीन करोड़ छप्पन लाख पाँच हजार आठ सौ चौबीस रूपये मात्र)

पंजाब सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजे गये ब्यौरा से स्पष्ट है कि कुडु फैब्रिक्स के माल गोदाम से राँची भेजे जाने वाला टी–शर्ट की दो खेप लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 15 नवम्बर, 2016 को पहुँचाई गई है. एक खेप 13 नवम्बर 2016 को और एक खेप 14 नवम्बर 2016 को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचाई गई है. इसके पूर्व 9 नवंबर 2016 को रु. 14,40,088 लाख के और 10 नवंबर 2016 को रु. 8,64,053 के टी–शर्ट लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचाये गये हैं. रेलवे के लुधियाना पार्सल ऑफिस ने इसे किस तिथि को प्राप्त किया है और किस ट्रेन से किस दिन राँची भेजा है इसका कोई जिक्र पंजाब सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजे गये विवरण में नहीं है. यदि माल लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 13, 14 और 15 नवम्बर को पहुँचा तो राँची कब भेजा गया या नहीं भेजा गया, यह कौन बतायेगा ?

कुडु फैब्रिक्स द्वारा भेजा गया टी–शर्ट का बंडल 13, 14 और 15 नवम्बर 2016 को लुधियाना स्टेशन पहुँचा तो इसे यह राँची कब पहुँचा होगा, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है. कम से कम 15 नवम्बर 2016 की सुबह तक तो नहीं ही पहुँचा पाया होगा. फिर रतन श्रीवास्तव ने इसे 12, 13, 14 नवम्बर 2016 को ही कैसे प्राप्त कर लिया और शिक्षा परियोजना परिषद ने 15 नवम्बर 2016 की सुबह के पहले इसे कैसे राज्य के स्कूलों तक पहुँचा दिया ?

यदि सड़क मार्ग और रेल मार्ग से भेजी गई टी–शर्ट राँची नहीं पहुँची तो जो टी–शर्ट झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बाँटी दिखाई गई वह कहाँ से आई, किस बाज़ार से खरीदी गई? इसके आगम–निर्गम पर वाणिज्य–कर का भुगतान हुआ या नहीं. मान लिया जाय की कुडु फ़ैब्रिक्स ने सड़क मार्ग और रेल मार्ग से टी–शर्ट भेज दिया. यह धनबाद और राँची पहुँच भी गया. तब सवाल उठता है कि राँची और धनबाद कब पहुँचा? कहाँ गया? सरकार के पास तो नहीं ही पहुँचा, फिर किस बाज़ार में गया? इसकी बिक्री पर झारखंड सरकार को टैक्स मिला या नहीं ? ये और ऐसे कई अन्य सवाल इस मामले में उठेंगे.

सुप्रीम फ्रेट कैरियर के नाम से बनाई गई बिल्टी के लेटर पैड पर जो मोबाईल नम्बर अंकित था उस पर मेरे कार्यालय से फोन किया गया. किसी ए.के. बुद्धिराजा ने फोन उठाया और कहा कि यह बिल्टी फर्जी है उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग का काम 2004 से पहले बंद कर दिया है. इस पर लिखा मेरे कार्यालय का पता भी 2004 से पहले का है. उसके बाद से मेरा कार्यालय भी वहाँ नहीं है. यह वार्तालाप उनकी सहमति से रिकार्ड किया गया जो हमारे पास मौजूद है. बिल्टी वाले दूसरे ट्रांसपोर्टर महादेव लॉजिस्टिक के लेटर पैड पर अंकित चार मोबाइल नम्बरों पर फोन किया गया तो एक ने अपना रिकार्ड चेक कर बताया कि इन तिथियों को मेरा कोई भी ट्रक राँची या धनबाद नहीं गया है. एक फोन बंद मिला. बाकी दो फोन उठाने वालों ने बताया कि उनका कोई संबंध ट्रांसपोर्टिंग से नहीं है.

पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से जो ब्यौरा झारखंड सरकार के वाणिज्य–कर विभाग को मिला है उसका जोड़–घटाव करने पर पता चलता है कि कुडु फैब्रिक्स को भेजनी थी 5 करोड़ रूपये मूल्य की टी–शर्ट पर उसने भेजी है केवल 3.56 करोड़ रूपये की टी–शर्ट. इतना ही पर उसने पंजाब सरकार को वैट का भुगतान किया है. शेष 1.44 करोड़ रूपये की टी–शर्ट का क्या हुआ? ये टी–शर्ट सरकार को कुडू फैब्रिक्स को दिये गये पैसों की वसूली के लिये झारखंड सरकार ने क्या कारवाई की है? मिली या नहीं मिली? मिली तो किस माध्यम से? नहीं मिली तो बँटी कैसे?

❖❖❖

खण्ड–12

विधानसभा समिति का प्रतिवेदन

पंचम झारखण्ड विधानसभा के द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 02.03.2020 को मेरे प्रश्नों (म–01 एवं वाणि–01) का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. कारण कि विधान सभा व्यवस्थित नहीं थी, शोर–शराबा में डुबी हुई थी. मेरे इन प्रश्नों के लिखित उत्तरों पर विधान सभा में बहस नहीं हो पाई. हल्ला–हंगामा के चलते विधान सभा का प्रश्न काल स्थगित हो गया. सरकार के उत्तर पर पूरक प्रश्नों के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया. मेरा प्रश्न अनागत हो गया. ये प्रश्न और इनके उत्तर खंड 5 पर स्थित है. विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि मेरे अनागत प्रश्न के संदर्भ में उठने वाली जिज्ञासा का समाधान करायें, सरकार से इसका सही उत्तर मुझे दिलायें. माननीय सभा अध्यक्ष ने मेरे पत्र को कार्रवाई के लिये विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के पास भेज दिया. यह पत्र निम्नवत है.

पत्रांक : आ.का.(वि.स.)/01/104/20 दिनांक : 13.11.2020

माननीय अध्यक्ष,
झारखण्ड विधान सभा, राँची.

विषय : पंचम झाखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–वाणि–01 का उत्तर वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा और तारांकित प्रश्न संख्या–म–01 का उत्तर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड सरकार द्वारा भ्रामक तरीके से दिये जाने तथा तथ्यों को विधान सभा से छुपाने के संबंध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों का वाणिज्य कर विभाग एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) सदन पटल पर रखे गये लिखित उत्तरों की प्रतियाँ संलग्न हैं. विपक्ष के हंगामा के कारण सदन स्थगित हो जाने से प्रश्नोत्तर काल में इन प्रश्नों पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकी. फलत: पूरक प्रश्नों के माध्यम से तथ्यों को सदन के समक्ष लाने का मौका मुझे नहीं मिला.

संक्षेप में निवेदन है कि झारखण्ड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वर्ष

2016 में राज्य भर के विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकालने के समय हर विद्यालय के 25 छात्रों और 25 छात्राओं के बीच टॉफी और टी–शर्ट बाँटने का निर्णय हुआ था. इस हेतु इन वस्तुओं की खरीद आनन–फानन में मनोनयन के आधार पर की गई. सर्वश्री लल्ला इन्टरप्राईजेज, जमशेदपुर द्वारा टॉफी की और लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स द्वारा प्रिन्टेड टी–शर्ट की खरीद की गई. परन्तु लल्ला इन्टरप्राईजेज ने वाणिज्य–कर विभाग को प्रासंगिक वर्ष के क्रय–विक्रय का जो विवरण सौंपा गया है, उसमें उस वर्ष कहीं भी चॉकलेट की खरीद या बिक्री नहीं दिखाई गई है. परन्तु वाणिज्य कर विभाग ने अपने उत्तर में विधान सभा को सूचित किया है कि **''वाणिज्य–कर अंचल, जमशेदपुर के पदाधिकारियों द्वारा मामले की जाँच की गई है. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा विवरणियाँ दाखिल करते हुए देय वैट का भुगतान किया गया है. ऐसी स्थिति में किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है''.**

व्यवसायिक फर्म लल्ला इन्टरप्राईजेज, सिदगोड़ा, जमशेदपुर ने वर्ष 2016 में माह अक्टूबर से मार्च के बीच अपनी कुल खरीद और बिक्री का जो विवरण वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध कराया है, उसमें न तो टॉफी की खरीद दिखाया है और न ही टॉफी का बिक्री दिखाया है. फिर इसने किस प्रकार काल्पनिक खरीद–बिक्री पर वैट के रूप में 14.50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया है ? यदि लल्ला इन्टरप्राईजेज ने 14.50 प्रतिशत वैट का भुगतान किया है तो शेष 85.50 प्रतिशत राशि का क्या हुआ ? यह राशि कहाँ गई, किस प्रकार व्यय हुई है ? क्या खरीद या बिक्री किये बिना केवल देय वैट का भुगतान कर दिया गया है या वस्तुत: टॉफी की आपूर्ति भी की गई है ? इसकी गहन छानबीन आवश्यक प्रतीत होती है.

इसी प्रकार टी–शर्ट की खरीद मनोनयन के आधार पर लुधियाना की फर्म 'कुडू फैब्रिक्स' से की गई है. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के लेटर पैड पर दिनांक 14.11.2016 को इसकी प्राप्ति रसीद दे दी गई है जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है. टी–शर्ट की प्राप्ति दिनांक 12, 13 एवं 14 नवम्बर, 2016 को राँची, धनबाद और जमशेदपुर में दिखाई गई है, जबकि 15 नवम्बर 2016 को प्रात: प्रभात फेरी के समय टी–शर्ट पहनकर छात्रों को विद्यालय परिसर में उपस्थित होना था और उन्हें टॉफी दी जानी थी. ऐसी ही स्थिति झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा दी गई टॉफी की प्राप्ति रसीद के बारे में भी है. प्रभातफेरी के बाद टॉफी कब, कैसे और किन–किन विद्यालयों तक पहुँचाई गई यह छानबीन का विषय है.

इसकी छानबीन होनी चाहिए कि लुधियाना में निर्मित पाँच लाख टी–शर्ट किस माध्यम से राँची भेजी गई ? टी–शर्ट के लिये लुधियाना से राँची और टॉफी के लिए जमशेदपुर से झारखण्ड के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने विहित प्रपत्र में परिवहन हेतु आवश्यक कागजात आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया या नहीं ? इसकी जानकारी वाणिज्य–कर विभाग और मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) द्वारा सदन में दिये गये उत्तर में नहीं दी गई है. प्रतीत हो रहा है कि इस बारे में इन्होंने तथ्य छुपाया है और सदन को गुमराह किया है. लगता है कि टी–शर्ट और टॉफी की खरीद नहीं की गई है और इसकी फर्जी आपूर्ति दिखा दी गई है.

अनुरोध है कि भ्रामक उत्तर द्वारा विधान सभा को गुमराह करने और मनोनयन के आधार पर बड़ी खरीद करने में अनियमितता बरतने की जाँच करने हेतु समुचित कार्रवाई करने का निर्देश करेंगे.

सादर,

भवदीय

ह./–

(सरयू राय)

अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने मेरे पत्र के आधार पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण माँगा और निर्देश दिया कि वे समिति को इस बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करायें. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने दिनांक 11.01.2021 को एक प्रतिवेदन विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेजा. समिति द्वारा यह प्रतिवेदन दिनांक 19.01.2021 को मंतव्य हेतु मुझे भेजा गया. इसपर मैंने अपना मंतव्य दिनांक 25.01.2021 को समिति को भेज दिया. विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के संयुक्त सचिव को प्रेषित मेरा मंतव्य निम्नवत है.

पत्रांक : आ.का.(वि.स.)/02/13/2021 दिनांक : 25.01.2021

प्रेषित,

श्री धनेश्वर राणा

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची.

विषय : अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक में सरकार के प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराये गये कागजात पर मंतव्य.

संदर्भ : पत्र संख्या- अना.प्र.क्रि.सं.-03/2020-107, वि.स., दिनांक 19.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में मुझे उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का सरसरी तौर पर अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रथम दृष्टया ये दस्तावेज बनावटी प्रतीत हो रहे हैं. इन्हें विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भ्रमित करने और तथ्यों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से रचा गया है. निम्नांकित बिन्दुओं की ओर समिति के माननीय सभापति एवं माननीय सदस्यगण का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :-

1. 15 नवम्बर 2016 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी में भाग लेने वाले राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के बीच वितरण के लिये निर्धारित संख्या एवं मात्रा में टी-शर्ट एवं टॉफी आपूर्ति करने की योजना में अनियमितताओं का अम्बार है जिन्हें तोपने-ढकने का निष्फल प्रयास आँकड़ों को तोड़-मोड़ कर इन दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है.
2. प्रदेश स्तर से जिलों में एवं जिलों से प्रखंडों के विद्यालयों में प्रासंगिक सामग्रियों के वितरण के लिये स्कूलों की संख्या के संबंध में जो आँकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें अंकित स्कूलों की संख्या में 8970 का अंतर है. प्रदेश स्तर पर संकलित आँकड़ों के अनुसार राज्य में 41,326 विद्यालय हैं जहां टी-शर्ट/टॉफी के बंडल वितरण के लिये भेजा गया है. जबकि प्रखंड स्तर से जो आँकड़े आये हैं उनमें ऐसे स्कूलों की संख्या मात्र 31,916 है जहां टी-शर्ट और टॉफियाँ बाँटी गई है.
3. अनियमितता का यह आलम तो सरसरी तौर पर आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त नतीजों पर आधारित हैं. इसके विस्तार में जाकर गहन छानबीन करने से चौंकाने वाले नतीजे सामने आयेंगे.
4. आपूर्तिकर्ताओं से राज्य स्तर पर प्राप्त की गई सामग्रियों की प्राप्ति रसीदें संदेहास्पद हैं. एक ही अधिकारी ने राँची, जमशेदपुर, धनबाद में टी-शर्ट एवं टॉफियों के बंडल प्राप्त किया है और झारखंड शिक्षा परियोजना के लेटर पैड पर टाईप करके दे दिया है, जो संभव भी नहीं है और नियमानुकूल भी नहीं है.

5. दस्तावेजों के अवलोकन से पता चल रहा है कि सरकार ने टी–शर्ट आपूर्तिकर्ता के साथ आपूर्ति का स्थान, समय, भुगतान की शर्तों आदि के बारे में नियमानुकुल एग्रीमेंट तो किया है, परंतु इसका अनुपालन नहीं हुआ है. आपूर्तिकर्ता को हर हाल में इन सामग्रियों को 11 नवम्बर 2016 तक राँची में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के यहाँ पहुँचाना था. परंतु आपूर्ति 11 नवम्बर को नहीं हुई. 12 नवम्बर को 156 बंडल और 14 नवम्बर को 191 बंडल टी–शर्ट की आपूर्ति राँची में हुई दिखाया गया है. 13 नवम्बर को धनबाद में 46 बंडल और जमशेदपुर में 26 बंडल की आपूर्ति हुई है, जिसे राँची में ही प्राप्त हुआ दिखाया गया है.

6. टॉफी के आपूर्तिकर्ता के साथ तो लगता है कि आपूर्ति संबंधी कोई करार ही नहीं हुआ. आपूर्ति इनके मनमर्जी पर छोड़ दी गई. इन्होंने रांची में टॉफी के 900 पैकेट्स 14 नवम्बर को दिया है. इसके अतिरिक्त 13 नवम्बर को इन्होंने जमशेदपुर में 100 बैग टॉफी दिया है जिसे राँची में प्राप्त दिखाया गया है.

7. आपूर्ति की प्राप्ति के समय प्राप्तकर्ता द्वारा टी–शर्ट की प्रामाणिकता की जाँच के बारे में और टॉफी की मात्रा एवं प्रकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

8. इस कार्यक्रम के सूत्रण, निरूपण एवं क्रियान्वयन से शिक्षा विभाग को अलग रखा गया. राँची के उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना ने सामग्रियाँ प्राप्त की, शिक्षा मंत्री/शिक्षा सचिव की पहल या निर्देश से नहीं. कार्यक्रम स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच टी–शर्ट/टॉफी वितरण का था, पर नोडल डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग को नहीं बल्कि कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग को बनाया गया, जो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है. केवल आपूर्ति की प्राप्ति एवं वितरण की प्रक्रिया में ही शिक्षा विभाग को शामिल किया गया है.

9. टी–शर्ट एवं टॉफी खरीद पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति बाद में ली गई. यह कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के उर्वर मस्तिष्क की उपज थी, जिसके सूत्रण, निरूपण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन दोनों ने अपनी मुट्ठी में कर रखा था.

10. सदन पटल पर दिनांक 02.03.2020 को मेरे प्रश्न का भ्रामक उत्तर सरकार ने दिया, जिसके आलोक में मैंने माननीय सभा अध्यक्ष से विभाग को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने का आग्रह किया. परन्तु अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के समक्ष सरकार ने मेरी जिज्ञासा वाले बिन्दुओं पर मौन साध लिया

है. मसलन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टॉफी के आपूर्तिकर्ता का 'वैट टैक्स' संबंधित विभाग ने स्वीकार कैसे कर लिया जबकि उसने सरकार को टॉफी बेचा ही नहीं ? प्रासंगिक अवधि में यानी वर्ष 2016–17 में, उसके क्रय–विक्रय के वार्षिक लेखा–जोखा में, जिसे उसने ही वाणिज्य कर विभाग को दिया है, कहीं भी टॉफी की बिक्री का उल्लेख नहीं है. खाद्य पदार्थ के रूप में उसने किसी 'माँ लक्ष्मी भंडार' से करीब आधा दर्जन बार बिस्कुट खरीदा है, पर इसे भी किसी को बेचा नहीं है. उसका मुख्य व्यापार 'कॉस्मेटिक्स और बेबी गारमेन्ट्स' का है, टॉफी–बिस्कुट का नहीं. उसके अन्य वर्षो के व्यवसायिक विवरण की जाँच इस संदर्भ किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है.

वस्तुत: इस व्यवसायी द्वारा सरकार को टॉफी की आपूर्ति करना या सरकार के अधिकारियों द्वारा इससे टॉफी की आपूर्ति लेना सुनियोजित फर्जीवाड़ा है. स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर सरकार के अधिकारियों ने टॉफी आपूर्ति के लिए इस व्यवसायी का ही चयन क्यों किया ? आपूर्ति आदेश देते समय इसकी क्षमता की जाँच क्यों नहीं कराया ? कॉस्मेटिक्स या बेबी गारमेन्ट्स बेचने वाले व्यवसायी से टॉफी खरीदने का सौदा करने के पीछे क्या रहस्य है ? इसकी जाँच सक्षम जांच एजेन्सी से होनी चाहिये.

11. टॉफी या टी–शर्ट की आपूर्ति करने वाले तथाकथित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त करने का एक संदेहास्पद कागजात बना लिया गया है, जिसपर आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि का प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपने मुख्यालय से राँची एवं अन्य स्थान तक आपूर्ति किन वाहनों से की ? वाहनों की पंजीयन संख्या क्या है ? वे किस राज्य में पंजीकृत हैं ? उन्होंने इन सामग्रियों के राज्य से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर से राज्य के अंदर आने–जाने और प्रासंगिक सामग्रियों के परिवहन का वैधानिक कागजात प्राप्त किया है या नहीं ? क्या बिना वैधानिक कागजात के ही उन्होंने इन सामग्रियों की आपूर्ति स्थान–स्थान पर किया है ? क्या इसे आवश्यक एवं आपात आपूर्ति मान कर सरकार ने इन वैधानिक औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया है और इनसे प्राप्त होने वाले टैक्स पर आपूर्तिकर्ता को छूट दे दिया है ? वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस बारे में चुप्पी साध लेना संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है.

12. एक जिज्ञासा यह भी है कि सरकार ने इसका आंतरिक या बाह्य अंकेक्षण कराया है या नहीं ? यदि कराया है तो इसका फलाफल क्या है ?

13. यदि सीएजी ने इसका अंकेक्षण किया है तो उसकी जानकारी सरकार दे.

महाशय, उपर्युक्त विवरण के आलोक में सादर अनुरोध है कि इस विषय की गहन जाँच करायें. सरकार की किसी सक्षम वाह्य एजेंसी से इसकी जाँच कराना श्रेयस्कर होगा. कारण कि इसमें हुई अनियमितताओं एवं सरकारी खजाना को हुये नुकसान को छुपाने की कोशिश सरकार और सरकार के कतिपय अधिकारी कर रहे हैं ?

मेरे विचार से इसमें व्यापक फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ. अनुरोध है कि समिति इस पर विचार करने की अगली तिथि निर्धारित करे तो उसमें मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर प्रदान करे.

सादर,

भवदीय
ह./–
(सरयू राय)

समिति की ओर से विधान सभा सचिवालय ने मेरा उपर्युक्त मंतव्य दिनांक 27.01.2021 को स्पष्टीकरण प्रतिवेदन के लिये संबंधित विभागों को बिन्दुवार भेज दिया. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के संयुक्त सचिव ने मेरी आपत्तियों का बिन्दुवार उत्तर विधान सभा के संयुक्त सचिव को दिनांक 23.02.2021 को भेजा, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–6 पर देखा जा सकता है. इस मामले में नोडल डिपार्टमेंट होने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव को मेरी आपत्तियों एवं विधान सभा सचिवालय की पृच्छाओं का समेकित उत्तर देना चाहिये था, जिसके साथ वाणिज्य–कर विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का मंतव्य/उत्तर भी संलग्न रहना चाहिये था. परंतु ऐसा नहीं करके इन्होंने स्थान–स्थान पर अंकित कर दिया कि वांछित उत्तर प्रतिवेदन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा वाणिज्य–कर विभाग, झारखंड से अपेक्षित है. वस्तुत: जिस तरह का उत्तर इस विभाग ने विधान सभा में दिया था, उसी तरह का उत्तर इन्होंने विधान सभा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी दे दिया.

विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की अगली बैठक 25.02.2021 को विधान सभा के समिति कक्ष में बुलायी गई. इस बैठक में उपस्थित रहने के लिये मुझे भी सूचना भेजी गई और कहा गया कि वाणिज्य–कर विभाग के विरूद्ध मेरे शिकायत पत्र पर समिति मुझसे विचार–विमर्श करेगी. इस बैठक में

संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी उपस्थित रहने का निर्देश सभा समिति ने दिया. वाणिज्य–कर विभाग के अधिकारी 25.02.2021 की बैठक में समिति के समक्ष उपस्थित हुये. इनके साथ समिति का गहन विचार–विमर्श वांछित बिन्दुओं पर हुआ. समिति ने विमर्श के आलोक में वाणिज्य–कर विभाग को लिखित प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. वाणिज्य कर विभाग की ओर से राज्य–कर आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2021 को विधान सभा कार्यालय में उपलब्ध कराया. इस प्रतिवेदन में कहा गया कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार ने टी–शर्ट खरीद मामले की जाँच के लिये वाणिज्य कर आयुक्त, पंजाब सरकार को पत्र द्वारा अनुरोध किया है. साथ ही टॉफी खरीद में अनियमितता करने और खरीद छुपाने के लिये 'लल्ला इंटरप्राईजेज, सिदगोडा, जमशेदपुर' पर ₹ 17,01,500/– (यानी सत्रह लाख, एक हजार, पाँच सौ रूपये) का अर्थ दंड लगाया गया है. राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा को प्रेषित पत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु हू–ब–हू नीचे दी जा रही है.

<u>राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार का पत्र</u>

पत्रांक–वा.कर/वि.मं./01/2020/995 (अनु.)/राँची/दिनांक 31.03.2021

प्रेषक,

अखिलेश शर्मा
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त.

सेवा में,

श्री धनेश्वर राणा
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची.

विषय : झारखण्ड विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में.

प्रसंग : आपका पत्रांक 521, दिनांक 12.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के प्रश्न पर अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति द्वारा दिनांक 25.02.2021 को हुए विचार–विमर्श के क्रम में वाणिज्य–कर विभाग से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि टी–शर्ट की खरीद की जाँच के लिये वाणिज्य–कर आयुक्त, पंजाब को पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है. पत्र की छायाप्रति संलग्न है. (परिशिष्ट–4)

टॉफी/कैंडी की आपूर्ति के जाँचोपरांत जमशेदपुर अंचल में कार्रवाई प्रारंभ की गयी और दाखिल विवरणियों एवं लेखापुस्त में विसंगतियां, कैंडी की बिक्री छिपाई गयी मानते हुए तथा राज्यान्तर्गत मालों के परिवहन हेतु रोड परमिट नहीं व्यवहार करने के कारण JVAT Act 2005 की धारा 40 एवं JVAT Rules 2006 के नियम 66 के तहत अर्थदंड सहित कुल कर रू. 17,01,500/– अधिरोपित किया गया है. राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), जमशेदपुर प्रमण्डल, जमशेदपुर का पत्रांक–327, दिनांक 19.03.2021 सभी अनुलग्नक सहित की छायाप्रति संलग्न. (परिशिष्ट–5)

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह./–
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त
31.03.2021

उपर्युक्त पत्र से स्पष्ट है कि वाणिज्य–कर विभाग ने टी–शर्ट और टॉफी की खरीद में प्राथमिक जांचोपरांत अनियमितता होना स्वीकार किया किया है. इनकी यह स्वीकृति दिनांक 29.02.2020 को विधान सभा में मेरे प्रश्न के दिये गये लिखित उत्तर के विपरीत है. कारण जो भी हो, इन्होंने पूर्व की भाँति इस बार तथ्य पर पर्दा नहीं डाला. वाणिज्य–कर विभाग के अधिकारियों ने समिति से निवेदन किया कि विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति करीब होने के कारण विभाग के अधिकारी अति व्यस्त हैं. इसलिये उन्हें सात अप्रैल 2021 तक का समय दिया जाय. समिति ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया. इनकी सुविधानुसार समिति की अगली बैठक 13.04.2021 को रखी गई. कोरोना की दूसरे चरण की भयावहता को देखते हुये माननीय सभापति, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के निदेशानुसार यह बैठक तत्काल स्थगित कर दी गई, फलस्वरूप जाँच भी रूक गई है.

अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने इस बीच कई बैठकें की. एक बैठक में मुझे भी बुलाया. विभिन्न बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया.

उनसे प्रासंगिक सवाल पूछे. झारखंड सरकार के अधिकारियों ने समिति के सामने टी–शर्ट की आपूर्ति और वितरण के बारे में कई दस्तावेज प्रस्तुत किये. समिति ने इनका विश्लेषण किया. तदुपरांत विभागीय अधिकारियों से सवाल–जवाब किया परन्तु अधिकारीगण समिति के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये.

उन्होंने बताया कि इस बारे में पंजाब सरकार से सूचना माँगी गई है. कुडु फैब्रिक्स ने पंजाब सरकार को वैट का भुगतान कर दिया है. टी–शर्ट की कुछ खेप 5 बीजकों द्वारा सड़क मार्ग से भेजी गई है. कुछ खेप 6 बीजकों द्वारा रेल मार्ग से आई हैं. इन्हें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्राप्त किया है और अपनी व्यवस्था से विद्यालयों में पहुँचाया है. परंतु सरकारी अधिकारी अपने जवाब से समिति को संतुष्ट नहीं कर पाये. समिति ने विचारोपरांत मामले में अबतक दो अंतरिम प्रतिवेदन विधान सभा अध्यक्ष को भेजा है. एक प्रतिवेदन दिनांक 17 मार्च 2021 को और दूसरा प्रतिवेदन 21 दिसंबर 2021 को. ये दोनों प्रतिवेदन अंतरिम प्रतिवेदन हैं. अंतिम प्रतिवेदन के लिये जाँच अभी जारी है.

17 मार्च 2021 को पंचम विधान सभा के बजट सत्र में सौंपे गये पहले अंतरिम प्रतिवेदन में समिति का मंतव्य और निष्कर्ष निम्नवत है :–

''राज्य स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर प्रभातफेरी के निमित्त वितरित टी–शर्ट एवं चॉकलेट की हुई खरीददारी की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय.

दिनांक 21 दिसंबर 2021 को सदन के शीत सत्र में समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतरिम प्रतिवेदन में समिति का मंतव्य और निष्कर्ष निम्नवत है :–

''दिनांक 30.09.2021 की बैठक में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पदाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श हुआ.

सर्वप्रथम माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा सदन में 15 नवम्बर, 2016 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टी–शर्ट एवं टॉफी वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के आलोक में प्रश्न पूछा गया था. इस पर विस्तार से चर्चायें हुई जिसमें प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य, श्री सरयू राय भी उपस्थित थे. इन्होंने विस्तार से विषयवस्तु को समिति के समक्ष रखा और कई तकनीकी प्रश्नों को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा जिसका उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया. इस आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक 2228, दिनांक 22.10.2021 द्वारा प्रश्नावली भेजकर विभाग से जानकारी माँगी गयी, लेकिन उसका कोई उत्तर विभाग से प्राप्त

नहीं हुआ. विभाग द्वारा उत्तर उपलब्ध नहीं कराना कई शंकाओं को उत्पन्न करता है और विभिन्न गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है. चुकि जिस दिन प्रभातफेरी की गयी उसी दिन लुधियाना में कथित टी–शर्ट की डिलिवरी दिखायी गयी. इससे समिति यह मानती है कि मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, वाणिज्य–कर विभाग एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी प्रतिवेदन फेक है''

विधान सभा पटल पर प्रस्तुत अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के दोनों अंतरिम प्रतिवेदनों में अंकित समिति के मंतव्य और निष्कर्ष स्वत: स्पष्ट हैं. इनकी विशेष विवेचना की आवश्यकता नहीं है. टी–शर्ट और टॉफी की खरीददारी में अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराने का प्रतिवेदन विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति द्वारा 17 मार्च 2021 को सभा पटल पर रखा गया. इस अनुशंसा का कार्यान्वयन राज्य सरकार ने करीब साढ़े नौ महीना बाद किया, जब मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रभात फेरी के निमित्त विपरित टी–शर्ट और टॉफी की खरीददारी की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी) से कराने का आदेश 3 फरवरी 2022 को दिया. इस तरह राज्य हित के गंभीर मामले में विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति में की गई अनुशंसा को सरकार ने सही माना और इसकी जाँच ए.सी.बी. को सौंप दिया और विधायिका के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया.

सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी विधानसभा की 5 सदस्यीय अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सभापति हैं. चंद्रवंशी जी एकीकृत बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. आप श्री रघुवर दास के नेतृत्व में बनी पूर्ववर्ती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे. अन्य सदस्यों में एक श्रीमती नीरा यादव हैं. जो पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं. एक सदस्य श्री मनीष जायसवाल हैं जो हज़ारीबाग़ से भारतीय जनता पार्टी के वरीय विधायक हैं. समिति के बाक़ी दो सदस्य–एक श्री मथुरा प्रसाद महतो और दूसरे श्री समीर कुमार महंती झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं. यानी विधानसभा के अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से दो झारखंड की उस पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिसके कार्यकाल में टॉफ़ी–टी–शर्ट खरीद में घपला हुआ था.

❖❖❖

उपसंहार

2G स्पेक्ट्रम घोटाला मुकदमा (2012) में दिये गये फैसला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ''देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार देश की जनता का है.'' बाद के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कई निर्णयों का आधार बना. राज्यों के संसाधनों का उपयोग जनहित एवं राज्यहित में करने की प्रक्रियायें नये सिरे से परिभाषित हुईं. इसके पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं राज्यों के निगरानी तंत्र केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा राज्य के संसाधनों के उपयोग की प्रक्रियाओं के बारे में परिपत्र जारी करते रहते थे, अब भी करते हैं. ये परिपत्र सरकारों के कार्य विभागों की निविदा आदि प्रक्रियाओं के लिये मार्गदर्शिका होते हैं. संविधान के अनुच्छेद–14 मे विहित समान अवसर की अवधारणा भी राज्यों द्वारा संसाधनों के उपयोग एवं संवितरण की प्रक्रिया में अधिकाधिक समरूपता स्थापित करने का निर्देश देती है.

राज्य सरकारों के वित्त प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिये सरकार की अपनी वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता तथा बजट मैनुअल बने हुए हैं. इनके एवं अन्य विधि सम्मत नियमों–निर्देशों के आलोक में भारत का महालेखा परीक्षक (सीएजी) सरकारों के आय–व्यय का लेखा एवं लेखा परीक्षण (अंकेक्षण) करता है. इसकी टिप्पणियों पर विधान सभा की लोक–लेखा समिति विचार करती है. भारतीय संविधान के अनुसार जनता से टैक्स के रूप में वसूली गई एक–एक पाई का व्यय सरकार को नियमानुसार जन हित, देश हित, राज्य हित में करना चाहिए. इसकी देख–रेख के लिए वित्त विभाग के अधीन भारी–भरकम शासन व्यवस्था बनाई गई है. राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री, विभागीय सचिव, वित्त आयुक्त, निदेशक, बजट पदाधिकारी आदि अनेक अधिकार संपन्न पदों का सृजन किया गया है. वित्त व्यवस्था को सुचारु एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थायें बनाई गई हैं.

इतना सब अंकुश होने के बावजूद राज्य सरकारों के आय–व्यय संधारण में अनियमितताओं एवं घपलों–घोटालों की घटनायें होते रहती हैं. ऐसा तभी होता है जब शासन–प्रशासन के शीर्ष पर काबिज निहित स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में सरकारें नियमों की अवहेलना करती हैं, अपवाद अथवा आपदा की परिस्थिति में शासन व्यवस्था को चलाने के लिये नियमावलियों में किये गये विशेष प्रावधानों का दुरूपयोग करती हैं और मनमाना व्यय करती हैं. केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों की वित्त

व्यवस्था किसी आपात स्थिति में भी सुचारू रूप से चले, इसमें कोई व्यतिक्रम या व्यवधान न हो इसके लिये कतिपय विशेष प्रावधान भारत के संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों में किया हुआ है. परंतु जब सत्ता और शासन के शीर्ष पर काबिज निहित स्वार्थी तत्व ऐसे विशेष प्रावधानों के अनुरूप बने नियमों–कानूनों का दुरूपयोग करने पर उतारू हो जाते हैं, तब उनकी ऐसी कारगुजारियाँ घपलों–घोटालों के रूप में सामने आती हैं. ऐसा तब होता है जब सत्तासीन समूह राज्य के संसाधनों पर अपना विशेष अधिकार समझने लगता है. इसके लिये नियमों–कानूनों को मनमाना तोड़ने–मरोड़ने लगता है. जनता के अधिकारों का हनन करने लगता है.

झारखंड सरकार की वित्तीय नियमावली में सुचारू वित्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये अनेक नियम हैं, सरकार की संचित निधि से व्यय करने के स्पष्ट प्रावधान हैं. विधान सभा से सरकार अपने सभी विभागों के लिये एक वर्ष का बजट पास कराती है. विभागों के विभिन्न शीर्षो के बजट आवंटन में छोटे–बड़े सभी मदों के लिय व्यय का प्रावधान निर्धारित रहता है. किसी मद में आवंटित व्यय से कम खर्च हुआ तो साल के अंत तक संबंधित विभाग शेष बची राशि को संचित निधि में लौटा देता है, उसका प्रत्यर्पण कर देता है. किसी मद में आवंटन से अधिक व्यय करने की स्थिति पैदा हो जाती है तो सरकार आकस्मिकता निधि से ऐसे आवश्यक व्यय हेतु राशि अग्रिम लेती है और बाद में अनुपुरक बजट के माध्यम से उसकी प्रतिपूर्ति करती है. इस दौरान यह देखा जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा किसी मद में किया गया व्यय वाकई अधिकाई व्यय है या कपटपूर्ण व्यय है, यानी सही व्यय है या नाजायज व्यय है. यदि अधिकाई व्यय उचित व्यय है तब तो विधान सभा के अगले सत्र में सरकार अनुपुरक माँग पेश करती है और विधान सभा इस अधिकाई व्यय की प्रतिपूर्ति कर देती है. यदि व्यय कपटपूर्ण है तब अनियमितता का मामला बनता है, इसकी जाँच होती है और इसमें से घपला–घोटाला निकलता है तो दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होती है. बिहार–झारखंड का बहुचर्चित 'पशुपालन घोटाला' अधिकाई व्यय बनाम कपटपूर्ण व्यय का ज्वलंत उदाहरण है. इसमें हुए अधिकाई व्यय को कपटपूर्ण व्यय साबित करने और घोटाले की सीबीआई जाँच कराने के लिये हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा था. यदि सरकारें अपने स्तर पर ही कपटपूर्ण व्यय की जाँच करा लें और कारवाई कर दें तो घोटालों की भ्रूण हत्या की जा सकती है. पर सरकारें हैं कि मानती नहीं.

सरकार की वितीय नियमावली में, कार्यपालिका नियमावली में बजटोपरांत

आवंटित धन को राज्य की संचित निधि से निकालने और खर्च करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं. विभागीय स्तर पर सचिव को, मंत्री को, तदुपरांत मुख्यमंत्री को एक सीमा तक धन अपने स्तर पर व्यय करने की शक्ति प्रदत्त है. उस सीमा से अधिक व्यय करने की शक्ति मंत्रिपरिषद में सन्निहित है. मुख्यमंत्री अपने स्तर से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी व्यय करने का आदेश दे सकते हैं. इस संबंध में वित्तीय नियमावली के कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनका उपयोग सरकारें खासकर सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में करते हैं. वित्तीय नियमावली सरकार को या सरकार के किसी विभाग को इजाजत नहीं देती कि उस आवंटित व्यय को वह संचित निधि से मनमाना तरीका से निकाले और उसका व्यय मनमर्जी से करे. सरकार के धन का व्यय निविदा के माध्यम से होता है. सरकार के संबंधित विभाग प्रासंगिक कार्यों के निष्पादन के लिये नियमानुसार निविदायें प्रकाशित करते हैं और निविदा शर्तों के अनुरूप योग्य पाये जाने वाले निविदादाता को न्यूनतम दर पर कार्य आवंटित करते हैं.

परंतु विशेष परिस्थिति में, आपात स्थिति में या किसी आकस्मिक स्थिति में बिना निविदा निकाले मनोनयन के आधार पर किसी कार्य को आवंटित करने का अपवाद स्वरूप एक रास्ता भी वित्तीय नियमावली में है. नियमावली में प्रावधान है कि आपात स्थिति में सरकार को कोई व्यय करने की मजबूरी हो गई, इतना समय नहीं है कि निविदा प्रकाशित की जा सके और इस बीच यह व्यय करना भी जरूरी है तो मंत्रिपरिषद की स्वीकृति लेकर या मंत्रीपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह व्यय कर सकते हैं और यथाशीघ्र मंत्रिपरिषद से ऐसे हुए व्यय की स्वीकृत करा सकते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में अनुपुरक बजट के माध्यम से विधान सभा से करा ली जाती है. इस प्रकार ऐसे व्यय का नियमितिकरण हो जाता है. यह एक नीतिगत प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया के अधीन नीतिगत निर्णय का प्रावधान सरकार की कार्यपालिका नियमावली में है. पर इस संदर्भ में प्रश्न केवल नीति का नहीं अपितु नीयत का भी है. ऐसी नीति अपनाने के पीछ नीयत क्या है? आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का प्रावधान नियमावली में करने के पीछे उद्देश्य क्या है ? सरकार पूरे वित्तीय वर्ष की जरुरत के मुताबिक आय–व्यय का बजट बनाती है । उसे विधान सभा से पारित कराती है । यदि किसी वित्तीय वर्ष में अचानक कोई ऐसी जरुरत आ गई जिसका अनुमान बजट तैयार करने के समय योजनाकारों द्वारा नहीं लगाया जा सका–जैसे, बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, आगजगी, महामारी,

युद्ध या आंतरिक उपद्रव या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी मेहमान के कार्यक्रम आदि. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बजट का प्रावधान नहीं होने के कारण इसके लिये आवश्यक निधि की अग्रिम निकासी आकस्मिक निधि से की जाती है.

क्या 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन उपर्युक्त श्रेणियों की तरह का कार्यक्रम था ! इसके लिए तो बजट में पहले से 1 करोड़ रुपये की राशि आवंटित थी. मान लिया जा सकता है कि समारोह का समय नजदीक आने पर तत्कालीन सरकार को लगा कि यह आयोजन भव्य होना चाहिये, जिसके लिए पूर्व निर्धारित बजट आवंटन पर्याप्त नहीं है. ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा आकस्मिक निधि से अतिरिक्त ₹ 10 करोड़ का आवंटन लेने और इसे व्यय करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल कर मनोनयन के आधार पर कार्य एजेंसियाँ तय करने का औचित्य नीति के रूप में सही ठहराया जा सकता है. परन्तु इस नीतिगत प्रक्रिया में सरकारी तिजोरी से अग्रिम निकाले गये ₹ 10 करोड़ का व्यय करने की जो प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनायी गयी उसका औचित्य संदेह के घेरे में हैं और निर्णयकर्त्ताओं की नीयत में खोट का द्योतक है.

आजकल मंत्रिपरिषद में निहित इस आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल अक्सर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में करने लगे हैं. जिस प्रकार का व्यय का अपवाद या आपात स्थिति में करने का प्रावधान वितीय नियमावली में किया गया है अब वह व्यय अक्सर मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप होने लगा है. अधिकाई व्यय और कपटपूर्ण व्यय के बीच की सीमा रेखा का अक्सर उल्लंघन होने लगा है. वित्तीय नियमावली के नियम–245 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरूपयोग कर सरकारें नियमावली की धारा–235 को शिथिल कर देती हैं और जिस काम को निविदा के माध्यम से कराने की बाध्यता है, उसे मनोनयन के आधार पर मनोनुकूल व्यक्ति या संस्था के माध्यम से कराने का अधिकार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री स्वयं ले लेते हैं. झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन में ऐसा ही हुआ है. 2016 और 2017 झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के नाम पर विविध प्रकार के कार्यो और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये झारखंड की तत्कालीन सरकार, जो स्वयं को 'डबल इंजन' की सरकार होने का दावा करती थी, ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश से इसी भाँति सरकारी खजाना यानी राज्य की तिजोरी में संचित निधि से ₹ 10 करोड़ से अधिक धनराशि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रिम निकाला. मनोनयन के आधार पर

नियुक्त मनोनुकूल व्यक्तियों एवं संस्थानों के माध्यम से काम कराने के नाम पर व्यय किया. इस प्रक्रिया में राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के आयोजन को भव्य बनाने के नाम पर आकस्मिक निधि से ₹ 10 करोड़ अग्रिम निकालने में नीयत की खोट सामने आया.

वित्तीय नियमावली के नियम–235 के प्रावधान को शिथिल कर आकस्मिक निधि से अग्रिम धन को मनमर्जी से व्यय के लिये सरकार में एक विशेष संचिका खोली गई. इस संचिका में विभिन्न स्तरों पर एक ही प्रकार की टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं. नीचे से सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी ने प्रस्ताव बढ़ाया है कि समय सीमा के भीतर अमुक कार्य निष्पादित करने के लिये निविदा प्रकाशित करने का समय नहीं है. समय अल्प होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान यह कार्य करने में समर्थ नहीं है. केवल एक अमुक व्यक्ति या संस्था ही ऐसी है जो इतने अल्प समय में यह काम पूरा करने के लिये तैयार है. इसलिये यह काम इनसे करा लिया जाय. इस काम को करने में जो व्यय होगा उसका विवरण इन्होंने एक भाव पत्र के साथ संलग्न किया है, जिस पर वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त की जा सकती है. यह संचिका पवन वेग से दौड़ी है. एक ही दिन में इस पर प्रशाखा पदाधिकारी एवं विभाग तथा सरकार में यथाउपलब्ध अधिकारियों यथा अवर सचिव, उप सचिव,संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, सचिव, विकास आयुक्त, मुख्य सचिव, मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री की टिप्पणियाँ एवं हस्ताक्षर लेकर अधिसूचना का प्रारूप तैयार करने के लिये संबंधित संचिका प्रशाखा में लौट आयी है. अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की सहमति लेकर उसी दिन अधिसूचना भी निर्गत हो गई है. आखिर काम मनोनयन के आधार पर जो होना है !

कहा जा सकता है कि आकस्मिक निधि से ₹ 10 करोड़ अग्रिम लेने में और इसका व्यय करने के लिये वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करने में मान्य नियमों का अनुपालन हुआ है. इस प्रक्रिया की घटनोत्तर स्वीकृति मत्रिपरिषद ने भी दे दिया है, तब इसमें घपला क्या हुआ? अनियमितता कहाँ हुई ? वस्तुतः अनियमिततायें इसके आगे शुरु होती है. अनियमितता हुई हैं इस धन का व्यय करने के लिए मनोनीत की गई कार्यकारी एजेंसियों का चयन करने में. इन एजेंसियों को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में सरकारी धन का व्यय निविदा के आधार पर करने की प्रक्रिया में निर्धारित मानदंडों के आधार पर खरा उतरने वाले अपेक्षाकृत सक्षम एजेंसी का चयन होता है. बात जब ऐसी एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर

करने की आती है तो निर्णय चयनकर्त्ताओं के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, तब यह परखना अनिवार्य हो जाता है कि मनोनयन पर चयनित ऐजेंसी या एजेंसियाँ इस काम के लिये सक्षम हैं या नहीं ? उदाहरण के लिए राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर 2016 के मात्र चार दिन पहले, 11 नवंबर 2016 को लल्ला इंटरप्राइजेज का मननियन 5 लाख पैकेट टॉफी की आपूर्ति करने के लिये हुआ और सरकार ने इसके लिए आदेश दिया. जमशेदपुर की इस फर्म का चयन इस आधार पर किया गया कि कोई भी दूसरी एजेंसी इतने कम समय में 5 लाख पैकैट टॉफी की आपूर्ति करने के लिये तैयार नहीं है. यह निर्णय करते समय पड़ताल नहीं की गयी कि यह फर्म यह आपूर्ति करने में सक्षम है या नहीं ? इसके पहले इसने ऐसा काम किया है या नहीं ? इस पर भी विचार नहीं हुआ कि लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स से ₹ 5 करोड़ की टी–शर्ट इतने कम समय में मंगवा लेने की पेशकश वाकई गंभीर है या इसके पीछे किसी ने साजिश रची है. आदित्यपुर, जमशेदपुर में प्रतीक फैबनिट नामक होजियरी का कारखाना चलाने वाले प्रकाश शर्मा किस हैसियत से कुडू फैब्रिक्स, लुधियाना के प्रतिनिधि बन गये और इतने कम समय में 5 लाख टी–शर्ट की आपूर्ति करने की हामी भर दी और इसके लिये ₹ 2 करोड़ का अग्रिम भी इन्होंने कुडू फैब्रिक्स के बैंक खाता में डलवा दिया.

पंजाब सरकार द्वारा को इस संबंध में झारखंड सरकार भेजे गये आधिकारिक दस्तावेजों से पता चल गया कि इस मामले में कुडू फैब्रिक्स ने भी फर्जीवाड़ा किया है. टी–शर्ट लदे उसके ट्रक 15 नवंबर 2016 को दोपहर बाद लुधियाना से धनबाद के लिये चले दिखाये गये हैं, जबकि उन्हें राँची के लिये चलना चाहिये था और इस पर लदे टी–शर्ट के बंडलों को 11 नवम्बर 2016 को ही राँची पहुँच जाना चाहिए था. इसी तरह इसके टी–शर्ट के बंडल 15 नवंबर 2016 को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे बताये गये हैं. जब कि इन्हें 11 नवम्बर 2016 को ही राँची पहुँचना था । किस ट्रेन से ये पार्सल राँची पहुँचे इसका पता नहीं है. जिन दो परिवहनकर्त्ताओं– सुप्रीम फ्रंट कैरियर और महादेव लॉजिस्टिक के ट्रकों से टी–शर्ट के बंडल लुधियाना से धनबाद भेजे गये हैं, उनका कहना है कि उस दिन उनका कोई ट्रक लुधियाना से धनबाद नहीं गया है. सुप्रीम फ्रंट कैरियर का ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टिंग का धंधा उन्होंने 2004 के पहले ही बंद कर दिया था. किसी ने उनका पैड छपवाकर फर्जीवाड़ा किया है. कुडू फैब्रिक्स ने पंजाब सरकार को जो दस्तावेज इस संबंध में सौंपा है उससे पता चलता है कि इसने मात्र ₹ 3.65 करोड़

कीमत की टी–शर्ट आपूर्ति किया है. जबकि झारखंड सरकार ने उनसे करीब ₹ 5 करोड़ की टी–शर्ट प्राप्त करने की रसीद दिया है और भुगतान किया है. इसमें से ₹ 2 करोड़ का भुगतान अग्रिम है. शेष का भुगतान झारखंड परियोजना परिषद के श्री रतन श्रीवास्तव द्वारा टी–शर्ट के बंडल प्राप्त करने की रसीद दिये जाने के बाद उनके बैंक खाता में जमा कर दिया गया है? क्या अब भी इस बारे में सवाल शेष रह जाता है कि इसमें फर्जीवाड़ा, घपला, घोटाला नहीं हुआ है ? अब एक ही सवाल बचता है जिसका जवाब आना बाकी है कि यह फर्जीवाड़ा किया किसने और इस फर्जीवाड़ा को संरक्षण किसने दिया? यह जवाब तो एसीबी की जाँच के बाद ही सामने आयेगा.

विडंबना है कि टॉफी के पैकेट और टी–शर्ट के बंडल की खरीद–बिक्री और इनका 15 नवंबर 2016 के दिन तक राँची पहुँचने का संदेहास्पद साबित हो गया है, परंतु झारखंड शिक्षा परियोजना के नोडल ऑफिसर रतन श्रीवास्तव ने इनकी प्राप्ति 12, 13 और 14 नवम्बर 2016 को ही कर लिया है. इन्हें राज्य के सुदुरवर्ती विद्यालयों तक रातों रात पहुँचा देने की रिपोर्ट भी स्कूली शिक्षा विभाग को दे दिया है. सवाल उठता है कि कुडू फैब्रिक्स के सभी टी–शर्ट 15 नवंबर 2016 तक राँची पहुँचे ही नहीं और लल्ला इंटरप्राईजेज ने टॉफी के पैकेटों की खरीद–बिक्री किया ही नहीं तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के रतन श्रीवास्तव ने जिस टी–शर्ट और टॉफी की प्राप्ति रसीद दे दिया और जिसका वितरण पूरे राज्य के स्कूलों में कर दिया गया. वे टी–शर्ट के बंडल और टॉफी के पैकेट आये कहाँ से? या इन सामग्रियों का वितरण किये बिना ही विभिन्न जिलों से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के चुनिन्दा अभियंताओं और झारखंड शिक्षा संकुल कर्मियों के माध्यम से इनके विवरण का फर्जी प्रमाणपत्र जमा करा दिया गया.

अब रही बात श्रीमती सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम की. इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा उन्हें जरुरत से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया, जिसका जिक्र इस पुस्तक के प्रासंगिक खंडों में मौजूद है. 9 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके वरीय आप्त के प्रस्ताव पर श्रीमती सुनिधि चौहान को स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में बुलाने का निर्णय हुआ. इसके पहले 6 नवंबर 2016 को उनका प्रोग्राम जमशेदपुर में हुआ था. इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ही थे. 9 नवंबर 2016 की मीटिंग में सुनिधि चौहान का कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस समारोह हेतु तय करते

समय और इसके लिये उन्हें दिये जाने वाले राशि के भुगतान का निर्णय करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी अवश्य रही होगी कि तीन दिन पहले 6 नवंबर 2016 को छठ पर्व की रात जमशेदपुर में हुए सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के लिए उनके संरक्षण में चलने वाली तथाकथित सूर्य मंदिर समिति ने उन्हें कितना भुगतान किया. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने या उनके वरीय आप्त सचिव ने यह भी पता किया होगा कि उस अवधि में मुंबई से बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती सुनिधि चौहान कितना भुगतान लेती हैं. ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद भी उनके वरीय आप्त सचिव ने मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हुयी मिटिंग में प्रस्ताव रखा होगा कि श्रीमती सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के लिए आर्चर इंटरटेनमेंट नामक संस्था को 44 करोड़ 27 लाख 500 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके अतिरिक्त उनके संगियों के खाने–पीने, ठहरने– घुमने–फिरने के व्यय की भी व्यवस्था करनी होगी. जाँच पूरा हुई तो पता चल जायेगा कि जमशेदपुर को हुये 6 नवंबर 2016 के कार्यक्रम और 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर राँची में हुए उनके कार्यक्रम के भुगतान के बीच अंतर्संबंध क्या है? क्या मुख्यमंत्री ने सरकारी खजाना से ही जमशेदपुर में हुए अपने निजी कार्यक्रम का भी भुगतान करा दिया? यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा होना निहायत ही गलत है, भ्रष्ट आचरण है, पब्लिक मनी–प्राइवेट एजेंडा के तहत राज्य के खजाना की लूट है, तिजोरी की चोरी का ज्वलंत उदाहरण है.

स्पष्ट है कि वर्ष 2016 और 2017 के राज्य स्थापना दिवस समारोह के नाम पर किये गये व्यय में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ, राज्य सरकार में इस भ्रष्टाचार को छुपाने के पर्याप्त प्रयास हुए. विधानसभा को भी गुमराह किया गया, परंतु विधानसभा समिति की जाँच में गलती पकड़ ली गई. क्लीन चिट देने के षड्यंत्र का पर्दाफास हो गया. वर्तमान सरकार ने भी अनियमितता होना मान लिया. सजिश सामने आ गई. अब जाँच एसीबी के पाले में है. सत्ताशीर्ष पर बैठे शक्तिशाली लोग अनियमितता करने में चाहे जितनी सावधानी बरत लें, भ्रष्ट कारनामों को छुपाने की चाहे जितनी जुगत कर लें, एक न एक दिन उसकी बदनीयत का पर्दाफाश हो ही जाता है. शायर इकबाल अजीम ने ऐसी स्थिति का बखान निम्नवत किया है–

''कातिल ने किस सफाई से धोयी है आस्तीन,
उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है.''

❖❖❖

परिशिष्ट

जिलावार टी–शर्ट की वितरण विवरणी

क्र. सं.	जिला	विद्यालय संख्या	विभिन्न तिथियों को वितरित किये गये टी–शर्ट (वर्ष–2016)			
			12 नवम्बर	13 नवम्बर	14 नवम्बर	कुल
01	बोकारो	1778	0	17000	7000	24000
02	चतरा	1903	12000	0	7000	19000
03	धनबाद	1882	0	18200	0	18200
04	गिरिडीह	3477	0	20000	0	20000
05	हजारीबाग	1641	15000	0	12000	27000
06	कोडरमा	755	0	0	17000	17000
07	रामगढ़	721	0	0	15000	15000
08	देवघर	2128	20000	0	0	20000
09	दुमका	2508	25000	0	0	25000
10	गोड्डा	1802	17000	0	0	17000
11	जामताड़ा	1203	15000	0	0	15000
12	पाकुड़	1061	15000	0	0	15000
13	साहेबगंज	1511	17000	0	0	17000
14	पलामू	2711	15000	0	10000	25000
15	लातेहार	1282	12000	0	9500	21500
16	गढ़वा	1553	17000	0	9500	26500
17	गुमला	1861	5000	0	17000	22000
18	राँची	2607	2200	0	30000	32200
19	लोहरदगा	657	0	0	20000	20000
20	खूँटी	1043	0	0	16000	16000
21	सिमडेगा	1147	0	0	17000	17000
22	पूर्वीसिंहभूम	2055	0	16000	10000	26000
23	पश्चिमीसिंहभूम	2289	0	0	22000	22000
24	सरायकेला–खरसाँवा	1751	0	10000	10200	20200
	कुल	**41326**	187200	81200	229200	497600

जिलावार टॉफी पैकेट की वितरण विवरणी

क्र. सं.	जिला	विद्यालय संख्या	विभिन्न तिथियों को वितरित किये गये टॉफी पैकेट (प्रति बैग 500 पीस)		
			13 नवम्बर	14 नवम्बर	कुल
01	बोकारो	1778	0	40	40
02	चतरा	1903	0	40	40
03	धनबाद	1882	0	50	50
04	गिरिडीह	3477	0	60	60
05	हजारीबाग	1641	0	40	40
06	कोडरमा	755	0	35	35
07	रामगढ़	721	0	35	35
08	देवघर	2128	0	40	40
09	दुमका	2508	0	50	50
10	गोड्डा	1802	0	40	40
11	जामताड़ा	1203	0	40	40
12	पाकुड़	1061	0	40	40
13	साहेबगंज	1511	0	40	40
14	पलामू	2711	0	50	50
15	लातेहार	1282	0	40	40
16	गढ़वा	1553	0	40	40
17	गुमला	1861	0	40	40
18	राँची	2607	0	60	60
19	लोहरदगा	657	0	40	40
20	खूँटी	1043	0	40	40
21	सिमडेगा	1147	0	40	40
22	पूर्वीसिंहभूम	2055	35	0	35
23	पश्चिमीसिंहभूम	2289	35	0	35
24	सरायकेला–खरसाँवा	1751	30	0	30
	कुल		100	900	1000

परिशिष्ट–3

पत्रांक : 375/BIS/21 दिनांक : 25.06.2021

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार, रांची ।

विषय : झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 एवं 2017 के अवसर पर हुए टॉफी, टी–शर्ट, गीत–संगीत, साज–सज्जा घोटाला की जाँच एसीबी अथवा सीबीआई से कराने के संबंध में.

महाशय,

मेनहर्ट घोटाला से अधिक गंभीर है उपर्युक्त विषयक टॉफी, टी–शर्ट, गीत–संगीत, साज–सज्जा का यह घोटाला. इस घोटाला के सभी केन्द्रीय पात्र जमशेदपुर से जुड़े हैं. यह घोटाला वर्ष 2016 और 2017 में 15 नवम्बर को हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन में स्कूली बच्चों के बीच टॉफी– टी शर्ट बाँटने और गीत–संगीत की महफिल सजाने तथा राँची शहर की साज–सज्जा से संबंधित हैं. इस घोटाला की जाँच विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति कर रही है. इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका पर सुनवाई चल रही है.

समय कम होने का बहाना बनाकर राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 की सुबह प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बच्चों को देने के लिये एक प्रिंटेड टी–शर्ट और टॉफी का एक पैकेट बिना निविदा निकाले मनोनयन के आधार पर खरीदा गया था. टॉफी की खरीद सिदगोडा, जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राईजेज से और टी शर्ट की खरीद कदमा, जमशेदपुर के प्रकाश शर्मा के माध्यम से कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना से दिखाई गई.

प्रारम्भिक जाँच में पता चला कि वर्ष 2016–17 में लल्ला इंटरप्राईजेज ने न तो एक भी टॉफी खरीदा और न ही बेचा, परंतु एक साजिश के तहत सरकार से 35 लाख रूपये का चेक ले लिया और उस पर बिक्री कर (वैट) का करीब 4 लाख रूपये का भुगतान कर दिया. वाणिज्य कर विभाग ने टॉफी की बिक्री छुपाने के लिये लल्ला इंटरप्राईजेज पर 17 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना लगा दिया है.

कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना के स्थानीय एजेंट कदमा, जमशेदपुर निवासी प्रकाश शर्मा के माध्यम से 5 करोड़ रूपये की टी शर्ट की खरीदी लुधियाना के कुडु फैब्रिक्स से दिखाई गई है. पर झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिये रोड परमिट नहीं दिया है. टी शर्ट की इतनी बड़ी खेप लुधियाना से राँची, जमशेदपुर, धनबाद सड़क मार्ग से आई या रेल मार्ग से आई इसकी सूचना वाणिज्य कर विभाग

को नहीं है. पर भुगतान पूरा हो गया है. अब झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने पंजाब सरकार से इस बारे में जानकारी माँगा है.

15 नवम्बर 2016 को पूर्व निर्धारित मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच एक घंटा के लिये फिल्मी पार्श्व गायिका श्रीमती सुनिधि चौहान का गीत कार्यक्रम रखा गया. 9 नवम्बर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव ने सुनिधि चौहान को बुलाने का प्रस्ताव रखा जिसपर करीब 44 लाख रूपया का खर्च बताया. प्रस्ताव स्वीकृत हो गया. परंतु इसपर कुल भुगतान हुआ 55 लाख रूपया से अधिक.

इसके तीन दिन पहले 6 नवम्बर 2016 को छठ पर्व पर सूर्य मंदिर परिसर, जमशेदपुर में सुनिधि चौहान का गीत कार्यक्रम हुआ था. तत्कालीन मुख्यमंत्री ही उस समय तथाकथित सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक थे. सरकार ने तो 15 नवम्बर के सुनिधि चौहान के एक घंटा के प्रोग्राम के लिये 55 लाख रूपया से अधिक का भुगतान किया. पर सवाल है कि सूर्य मंदिर समिति ने उन्हें कितने का भुगतान किया? या सरकार ने ही दोनों कार्यक्रमों का भुगतान कर दिया.

इसके अतिरिक्त राँची शहर में एक दिन के सजावट पर बिजली विभाग ने 15 नवम्बर 2016 को 4 करोड़ रूपया से अधिक खर्च दिखाया है. यह खर्च 2017 में करीब 2 करोड़ रूपया है. 2016 के कार्यक्रम में कुल खर्च करीब 9.50 करोड़ रूपया दिखाया है, जबकि यही खर्च 2017 के राज्य स्थापना दिवस पर करीब 12 करोड़ रूपया से अधिक दिखाया गया है. 2017 में प्रभात फेरी के लिये टॉफी की खरीद माँ लक्ष्मी भंडार, जुगसलाई से और टी–शर्ट की खरीद आदित्यपुर के प्रतीक फैबनिट से की गई.

मामले की जाँच कर रही विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त आवश्यक सूचनाओं की जाँच कर रही है. ये सूचनायें याचिकाकर्ता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखी जाने वाली हैं. कायदे से राज्य को बदनाम करने वाले इस घोटाले की जाँच एसीबी के हवाले की जानी चाहिये. टी–शर्ट खरीद का मामला दो राज्यों से संबंधित है तो इस घोटाला की जाँच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है.

सविनय अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में शीघ्र समुचित कारवाई करने की कृपा करेंगे.

सधन्यवाद,

भवदीय

ह./–

(सरयू राय)

OFFICE OF TAXATION COMMISSIONER, PUNJAB(-31).

To

The Secretary-cum-Commissioner,
Department of Commercial Taxes,
Jharkhand.

No. PA/Addl.CST-1/ 1241
Date: 08/7/2021

Subject - **Regarding verification of Bills of M/s Kudu Fabricss (TIN 03711004631).**

Kindly find enclosed herewith a copy of letter No. 226 dated 29.04.2021 received from ACST, Ludhiana-3 on the subject cited above.

It is submitted that the data of M/s Kudu Fabrics (TIN 03711004631) was verified online at ETTSA Portal. The details regarding sale bills sent is reflecting in the interstate sales of the firm in the form VAT-18 (Interstate sales) and the due tax has already been paid / adjusted.

The data of ICC was checked and it is found that the goods of six invoices has been sent by Railway and the details are attached as an Enclosure-1 to this letter. Further, it is submitted that the goods of five invoices were sent by road and the Bill and GR are attached as an enclosure-11 to this letter.

Encl letter No. 226 dated 29.04.2021

Addl. Commissioner of State Tax-1 (Inv)
Punjab.

Office of Asstt. Commissioner State Tax, Ludhiana-3
Mini Secretariat, Ferozepur Road, Near Bharat Nagar Chowk, Ludhiana-141001

To

Addl. Taxation Commissioner (GST)
Patiala, Punjab

No. 226 **/ dated** 28/4/21

Subject: **Regarding verification of Bills of M/s Kudu Fabrics (TIN 03711004631).**

In reference to the subject cited above, it is to inform you that the data of M/s Kudu Fabrics (TIN 03711004631) was verified online at ETTSA Portal. The details regarding sale bills sent by you is reflecting in the interstate sales of the firm in the form VAT-18 (Interstate sales) and the due tax has already been paid/adjusted.

The data of ICC was checked and it is found that the goods of six invoices has been sent by Railways and the details are attached as an Enclosure I to this letter. Further, it is submitted that the goods of five invoices were sent by road and the Bill and GR are attached as an enclosure II to this letter.

This is for your kind information please.

Assistant Commissioner of State Tax,
Ludhiana-3

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 191, दिनांक 27.01.2021 के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
1.	15 नवम्बर 2016 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी में भाग लेने के लिये राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र–छात्राओं के बीच वितरण के लिये निर्धारित संख्या एवं मात्रा में टी–शर्ट एवं टॉफी आपूर्ति करने की योजना में अनियमितताओं का अम्बार है जिन्हें तोपने–ढ़कने का निष्फल प्रयास आँकड़ों को तोड़–मोड़ कर इन दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है.	उत्तर प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं.
2.	प्रदेश स्तर से जिलों में एवं जिलों से प्रखंडों के विद्यालयों में प्रासंगिक सामग्रियों के वितरण के लिये स्कूलों की संख्या के संबंध में जो आँकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें अंकित स्कूलों की संख्या में 8970 का अंतर है. प्रदेश स्तर पर संकलित आँकड़ों के अनुसार राज्य में 40,886 विद्यालय हैं जहां टी–शर्ट/टॉफी के बंडल वितरण के लिये भेजा गया है. जबकि प्रखंड स्तर से जो आँकड़े आये हैं उनमें ऐसे	स्कूली शिक्षा एवं सारक्षरता विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेश के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को विद्यालयवार मेधावी छात्र/छात्राओं की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया. झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा ही

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
	स्कूलों की संख्या मात्र 31,916 है जहां टी–शर्ट और टॉफियाँ बाँटी गई है.	टी–शर्ट एवं टॉफी वितरण की कार्रवाई की गई है. अत: वांछित उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड से अपेक्षित है.
3.	अनियमितता का यह आलम तो सरसरी तौर पर आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त नतीजों पर आधारित हैं. इसके विस्तार में जाकर गहन छानबीन करने से चौंकाने वाले नतीजे सामने आयेंगे.	उत्तर प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं.
4.	आपूर्तिकर्ताओं से राज्य स्तर पर प्राप्त की गई सामग्रियों की प्राप्ति रसीदें संदेहास्पद हैं. एक ही अधिकारी ने राँची, जमशेदपुर, धनबाद में टी–शर्ट एवं टॉफियों के बंडल प्राप्त किया है और झारखंड शिक्षा परियोजना के लेटर पैड पर टाईप करके दे दिया है, जो संभव भी नहीं है और नियमानुकूल भी नहीं है.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन पूर्व में ही समिति को उपलब्ध कराया जा चुका है.
5.	दस्तावेजों के अवलोकन से पता चल रहा है कि सरकार ने टी–शर्ट आपूर्तिकर्ता के साथ आपूर्ति का स्थान, समय, भुगतान की शर्तो आदि के बारे में नियमानुकुल एग्रीमेंट तो किया है, परंतु इसका अनुपालन नहीं हुआ है. आपूर्तिकर्ता को हर	

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
	हाल में इन सामग्रियों को 11 नवम्बर 2016 तक राँची में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के यहाँ पहुँचाना था. परंतु आपूर्ति 11 नवम्बर को नहीं हुई. 12 नवम्बर को 156 बंडल और 14 नवम्बर को 191 बंडल टी शर्ट की आपूर्ति राँची में हुई और 13 नवम्बर को धनबाद में 46 बंडल और जमशेदपुर में 26 बंडल की आपूर्ति हुई, जिसे राँची में ही हुआ दिखाया गया है.	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद से प्राप्त वांछित दस्तावेज की प्रति पूर्व में ही समिति को उपलब्ध कराया जा चुका है.
6.	टॉफी के आपूर्तिकर्ता के साथ तो लगता है कि आपूर्ति संबंधी कोई करार हुआ ही नहीं. आपूर्ति इनके मनमर्जी पर छोड़ दी गई. इन्होंने रांची में टॉफी के 900 पैकेट्स 14 नवम्बर को दिया है. इसके अतिरिक्त 13 नवम्बर को इन्होंने जमशेदपुर में 100 बैग टॉफी दिया है जिसे राँची में प्राप्त दिखाया गया है.	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद से प्राप्त वांछित दस्तावेज की प्रति पूर्व में ही समिति को उपलब्ध कराया जा चुका है.
7.	आपूर्ति के प्राप्ति के समय प्राप्तकर्ता द्वारा टी–शर्ट की प्रामाणिकता की जाँच के बारे में और टॉफी की मात्रा एवं प्रकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है.	वांछित उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड से अपेक्षित है.
8.	इस कार्यक्रम के सूत्रण, निरूपण एवं क्रियान्वयन से शिक्षा विभाग को अलग रखा गया. राँची के उपायुक्त के निर्देश	(i) झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (यथासंशोधित) की प्रथम

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
	पर झारखंड शिक्षा परियोजना ने सामग्रियाँ प्राप्त की शिक्षा मंत्री/शिक्षा सचिव की पहल या निर्देश से नहीं. कार्यक्रम स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच टी–शर्ट/टॉफी वितरण का था, पर नोडल डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग को नहीं बल्कि कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग को बनाया गया, जो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है. केवल आपूर्ति की प्राप्ति एवं वितरण में ही शिक्षा विभाग को शामिल किया गया.	अनुसूची में विभागों एवं उसके कार्य दायित्वों की सूची के अनुसार ''राजकीय समारोह का आयोजन'' मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) को आवंटित है. तदनुसार झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह का आयोजन इस विभाग द्वारा किया जाता है. (ii) स्कूली छात्र–छात्राओं के प्रभात फेरी का आयोजन प्रत्येक वर्ष स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ही किया जाता है. उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में प्रभात फेरी में सम्मिलित होने वाले स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच टी–शर्ट एवं टॉफी वितरण से संबंधित अपेक्षित कार्रवाई स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की गयी.
9.	टी–शर्ट एवं टॉफी खरीद पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति बाद में ली	कार्यक्रम के आयोजन हेतु अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
	गई. प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के उर्वर मस्तिष्क की उपज थी, जिसके सूत्रण, निरूपण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन दोनों ने अपनी मुट्ठी में कर रखा था.	में कार्यो के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेन्सी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के अधीन शिथिल कर कार्य निष्पादन हेतु वित्त विभाग की सहमति वित्त मंत्री के स्तर से तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया। कार्योपरांत मनोनयन के आधार पर चयन के प्रस्ताव, कराये गये कार्यो एवं उन पर व्यय हुई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद के दिनांक 28.12.2016 को हुई बैठक में प्रदान की गयी है.
10.	सदन पटल पर दिनांक 02.03.2020 को मेरे प्रश्न का भ्रामक उत्तर सरकार ने दिया, जिसके आलोक में मैंने माननीय सभा अध्यक्ष से विभाग को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने का आग्रह किया. परन्तु अनागत प्रष्न क्रियान्वयन समिति के समक्ष सरकार ने मेरी जिज्ञासा वाले बिन्दुओं पर मौन साध लिया है. मसलन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टॉफी के आपूर्तिकर्ता का 'वैट टैक्स'	(i) दिनांक 02.03.2020 को श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स. द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म.–01 का उत्तर प्रतिवेदन प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक –JEPC/571, दिनांक 29.02.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
	संबंधित विभाग ने स्वीकार कैसे कर लिया जबकि उसने सरकार को टॉफी बेचा ही नहीं. प्रासंगिक अवधि में उसके क्रय–विक्रय के वार्षिक लेखा–जोखा में, जिसे उसने ही वाणिज्य कर विभाग को दिया है, कहीं भी टॉफी की बिक्री का उल्लेख नहीं है. खाद्य पदार्थ के रूप में उसने किसी 'माँ लक्ष्मी भंडार' से करीब आधा दर्जन बार बिस्कुट खरीदा है, पर इसे भी किसी को बेचा नहीं है. उसका मुख्य व्यापार कॉस्मेटिक्स और बेबी गारमेन्ट का है, टॉफी–बिस्कुट का नहीं. उसके अन्य वर्षो के व्यवसायिक विवरण की जाँच इस संदर्भ किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है. वस्तुत: इस व्यवसायी द्वारा सरकार को टॉफी की आपूर्ति करना या सरकार के अधिकारियों द्वारा इससे टॉफी की आपूर्ति लेना सुनियोजित फर्जीवाड़ा है. स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर सरकार के अधिकारियों ने इस व्यवसायी का ही चयन क्यों किया? इसकी क्षमता की जाँच क्यों नहीं कराया? कॉस्मैटिक या बेबी गारमेन्ट्स बेचने वाले से टॉफी खरीदने का सौदा करने के पीछे क्या रहस्य है? इसकी जाँच सक्षम जांच एजेन्सियाँ से होनी चाहिये.	सामग्री एवं विभाग में पूर्व से उपलब्ध अभिलेख के आधार पर तैयार कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदनोपरांत उत्तर प्रतिवेदन विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया गया है. (ii) प्रश्नगत शेष बिन्दुओं पर उत्तर प्रतिवेदन वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड से अपेक्षित है.

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
11.	टॉफी या टी–शर्ट की आपूर्ति करने वाले तथाकथित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त करने का एक संदेहास्पद कागजात बना लिया गया है, जिसपर आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि का प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपने मुख्यालय से राँची एवं अन्य स्थान तक आपूर्ति किन वाहनों से की, वाहनों की पंजीयन संख्या क्या है, वे किस राज्य में पंजी.त हैं, उन्होंने इन सामग्रियों के राज्य से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर से राज्य के अंदर आने–जाने और प्रासंगिक सामग्रियों के परिवहन का वैधानिक कागजात प्राप्त किया है या नहीं ? क्या बिना वैधानिक कागजात के ही उन्होंने इन सामग्रियों की आपूर्ति स्थान स्थान पर किया है ? अथवा आवश्यक एवं आपात् आपूर्ति मान कर सरकार ने इन वैधानिक औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया है और इनसे प्राप्त होने वाले टैक्स पर आपूर्तिकर्ता को छूट दे दिया है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस बारे में चुप्पी साध लेना संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है.	वांछित उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड से अपेक्षित है.

क्र.	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तर प्रतिवेदन
12.	एक जिज्ञासा यह भी है कि सरकार ने इसका आंतरिक या बाह्य अंकेक्षण कराया है या नहीं? यदि कराया है तो इसका फलाफल क्या है ?	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में क्रय किये गये टी-शर्ट एवं चॉकलेट पर महालेखाकर द्वारा लगायी गयी आपत्ति निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-40/2017-18 की कंडिका-2 (प) के संदर्भ में जिला नजारत उपसमाहतर्त्ता, राँची द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-ए.एम.जी.-III/नि.प्र.-40/2017-18 /513, दिनांक 25.11.2020 द्वारा संबंधित कंडिका का निपटारा कर दिया गया है. संबंधित पत्र/निरीक्षण प्रतिवेदन समिति को पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है.
13.	यदि सीएजी ने इसका अंकेक्षण किया है तो उसकी जानकारी सरकार दे.	उपर्युक्त कंडिका-12 के उत्तर प्रतिवेदन में अंकित है. सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित पत्र/निरीक्षण प्रतिवेदन पुन: संलग्न है.

विश्वासभाजन
ह./-
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
23.02.2021

परिशिष्ट–7

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक–वा.कर/वि.मं./04/2021/785 (अनु.)/राँची/दिनांक 16.03.2021

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन, भा.प्र.से.
वाणिज्य–कर आयुक्त
झारखण्ड, राँची.

सेवा में,

आयुक्त (कराधान),
उत्पाद एवं कराधान विभाग,
चण्डीगढ़, पंजाब.

विषय : सर्व श्री कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना, TIN - 03711004631 के बीजक के सत्यापन के संबंध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सर्वश्री कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना, TIN - 03711004631 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 4.67 करोड़ के T-Shirt की आपूर्ति राँची उपायुक्त को कुल 13 बीजकों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा की गई थी. झारखण्ड विधानसभा में उक्त आपूर्ति के संबंध में प्रश्न किया गया है, जिसके कारण उक्त बीजकों का सत्यापन कर के भुगतान एवं माल परिवहन के संदर्भ में व्यवहृत अनुज्ञा पत्र (Road Permit) का सत्यापन किया जाना आवश्यक है.

अत: अनुरोध है कि संलग्न बीजकों को शीघ्रताशीघ्र सत्यापन करा कर एवं उनसे संबंधित कर के भुगतान एवं व्यवहृत अनुज्ञापत्र (Road Permit) के संबंध में सूचित करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक – यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह./–
वाणिज्य–करआयुक्त
16.03.2021

परिशिष्ट–8

पत्र संख्या– 327/जमशेदपुर, दिनांक– 19.03.2021

प्रेषक,

राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र.)
जमशेदपुर प्रमण्डल, जमशेदपुर.

सेवामें,

श्री अखिलेश शर्मा,
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त
झारखण्ड, राँची.

विषय : माननीय स.वि.स., श्री सरयू राय द्वारा पंचम झारखण्ड विधान सभा द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 02.03.2020 को पूछे गये तारांकित प्रश्न की विस्तृत जाँच एवं कार्रवाई करते हुए दिनांक 03.04.2021 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग : मुख्यालय का पत्रांक सं.–वा.कर/वि.मं./01/2020 652/ राँची/ दि. 03.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि गठित समिति के द्वारा दिनांक 03.03.2021 एवं दिनांक 10.03.2021 को बैठक की गयी जिसमें जाँच की बिन्दु से संबंधित अंचल, जमशेदपुर अंचल, नागरीय अंचल एवं सिहभूम अंचल, जमशेदपुर के प्रभारी से अनुरोध किया गया कि संबंधित व्यवसायी को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत कर सम्यक जाँचोपरान्त आदेश पारित कर समिति को सूचित करें । राज्य–कर उपायुक्त, जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 123, दिनांक 19.03.2021 के द्वारा आपको पारित आदेश एवं मांग पत्र की प्रति प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है. जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर के द्वारा सर्व श्री लल्ला इन्टरप्राईजेज, दिन नं.– 20600808882, सी.सी. 8, मेन रोड सिदगोडा, जमशेदपुर के लिए अवधि 2016–17 हेतु झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 40(1) एवं नियम 66 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए ₹ 17,01,500/–का कर एवं शास्ति आरोपित कर अतिरिक्त माँग सृजित किया गया ।

समिति के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें अंचल द्वारा व्यवसायी को दिये गये विहित प्रपत्र JVAT 302 में सूचना के साथ संलग्न पेज Gist of accusation के आधार पर सुनवाई की गयी एवं सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि रू. 29,25,000/– की टॉफी की बिक्री की प्रविष्टि लेखा पुस्तक में एवं विभागीय पोर्टल पर दाखिल विवरणियों में नहीं पायी गयी. इसके फलस्वरूप अंचल द्वारा बिक्री छुपाव एवं अलेखापित पाये जाने के कारण झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 40(1) के अंतर्गत कर एवं शास्ति आरोपित की गयी है । साथ ही बिक्री के क्रम में परिवहित किये गये सामग्री में JVAT 504P के उपयोग नहीं करने के कारण झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 42(2) के उल्लंघन के विरूद्ध नियम 66 के अंतर्गत भी शास्ति आरोपित कर अतिरिक्त माँग सृजित की गयी है । पारित आदेश एवं निर्गत माँग को समिति द्वारा नियमानुकूल पाया गया । पारित उक्त आदेश एवं निर्गत माँग पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह./–
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र.)
जमशेदपुर प्रमण्डल, जमशेदपुर
19.03.2021

परिशिष्ट–9

पत्रांक–04 / म0म0स0 (समारोह)–02 / 2015(खण्ड–1) 1422 /

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

प्रेषक,

जितबाहन उराँव,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
पयर्टन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांक 11 नवम्बर, 2016ई0।

विषय :– **झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहन के गायन कार्यक्रम आयोजन हेतु मनोनयन के आधार पर चयनित ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का आयोजन कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 को और भव्य व आकर्षक बनाने हेतु दिनांक– 09.11.2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निदेश दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहन का गायन कार्यक्रम मुख्य समारोह (15 नवम्बर, 2016) की संध्या में पयर्टन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों के बाद रखा जाय।

2. तद्‌लोक में प्रसिद्ध गायिका के गायन कार्यक्रम के आयोजन हेतु ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. को मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है (ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. से प्राप्त भाव पत्र संलग्न)।

3. उक्त ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. से समन्वय स्थापित कर पयर्टन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रम के बाद गायन कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

11/11/16

(जितबाहन उराँव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या–04 / म0म0स0 (समारोह)–02 / 2015(खण्ड–1) 1422 / राँची, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / उपायुक्त, रांची / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

Archers
entertainment private limited

INVOICE	
To, Cabinet Co-ordination Department, Government of Jharkhand, Project Building, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand.	Invoice No: AEPL/MUM/2016-17/INV/041 Date: 09th November, 2016 Event: Sunidhi Chauhan Nite Event Date: 15th November 2016

Particulars	Amount (Rs)
Towards charges for the Artiste Fees	38,50,000
Total	
Add: Service Tax applicable @14%	5,39,000
Add: Swatch Bharat Cess @ 0.5%	19,250
Add: Krishi Kalyan Cess @ 0.5%	19,250
Grand Total: Rupees Forty Four Lakhs Twenty Seven Thousand Five Hundred Only	44,27,500

Payment Terms:
100% due immediately.
Service Tax Category:- Event Management
Service Tax No:- AAICA2161RSD001
PAN NO:- AAICA2161R, TAN NO:- MUMA36711D,
RTGS Details:- Account Name: Archers Entertainment Pvt. Ltd., Bank: HDFC Bank Ltd., Branch: Khar (West) – Mumbai, Account Number : 00022320003144, RTGS Code : HDFC0000002

E. & O.E	
1)Cheques/Draft should be Drawn in favour of "Archers Entertainment Pvt. Ltd." 2)18% p.a. interest shall be charged if payment is not made within 21 days. 3)All disputes are subject to Mumbai Jurisdiction. Mailing Address: Attn: Hari Ayyappan - Director Archers Entertainment Pvt. Ltd. 1,Dunhill Apts, Ground floor,26 Waroda Rd, Off Hill Rd, Bandra-(W) Mumbai-400 050	For Archers Entertainment Pvt. Ltd. (Stamp: Archers Entertainment Pvt. Ltd. AEPL Mumbai) Authorized Signatory

entertainment beyond imagination

ARCHERS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
Dunhill Apts, Shop No.1, Ground Floor, 26 Waroda Road, Off Hill Road,
Bandra (West), Mumbai - 400 050 (022) 306 78311. www.archers.in

पूर्व पृष्ठ से कार्यालय टिप्पणी।

2. तदनुसार कार्यालय टिप्पणी की कंडिका–2, 3, 4, 5 के परिप्रेक्ष्य में कंडिका–6 की उप कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी का अनुमोदन अपेक्षित है।

1/11/16

(भीम रविदास)

सचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ से कार्यालय टिप्पणी।

2. दिनांक 09.11.2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किये जाने वाले गीत–संगीत कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं माननीय मुख्य मंत्री के सचिव उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम को और भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु यह निदेश दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान का गायन कार्यक्रम मुख्य समारोह (15.11.2016) की संध्या में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों के बाद रखा जाय।

3. उक्त निदेश के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव द्वारा Archers Entertainment Pvt. Ltd. के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है (पृ0 30–27/प0)। Archers Entertainment Pvt. Ltd. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रु0 44,27,500/– (चौवालीस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ) मात्र है। साथ ही उक्त भाव पत्र में अविलम्ब भुगतान की शर्त्त भी अंकित है। माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव द्वारा Archers Entertainment Pvt. Ltd. को शीघ्र एक मुश्त भुगतान करने मौखिक निदेश दिया गया है।

4.पृष्ठ 31/प0 पर रक्षित उपायुक्त, रांची के पत्रांक–816(11)/नजा०, दिनांक 10.11.2016 द्वारा राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्कूली छात्रों को प्रभात फेरी के उपरांत टॉफी/मिठाई का पैकेट उपलब्ध कराने हेतु लल्ला इंटरप्राइजेज, जमशेदपुर से मनोनयन के आधार पर क्रय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रासंगिक पत्र में उल्लेख है कि टॉफी/मिठाई के पैकेट के क्रय हेतु कतिपय स्थानीय प्रतिष्ठानों से वार्त्ता की गई। वार्त्ता के क्रम में स्थानीय प्रतिष्ठानों ने इतने कम समय में टॉफी का पैकेट आपूर्ति करने से इंकार किया। इसी क्रम में लल्ला इंटरप्राइजेज, जमशेदपुर द्वारा उपायुक्त, रांची को इस संबंध में प्रस्ताव एवं भाव पत्र समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा तीन दिनों के अंदर पांच लाख

(कृ.पृ.उ)

टॉफी का पैकेट रूपया 6.96 प्रति पैकेट की दर रु0 34,80,000.00 (चौतीस लाख अस्सी हजार) एवं 12,000/— (बारह हजार) परिवहन खर्च कुल राशि रु0 34,92,000/— (चौतीस लाख वानवे हाजर) की लागत पर आपूर्ति करने पर अपनी सहमति दी है। प्रतिष्ठान का वाणिज्य कर निबंधन संख्या 2000808882 है।

5. उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में मुख्य शीर्ष—2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष—800 —अन्य व्यय, उप शीर्ष—11 — झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई "59—अन्य व्यय" में मूल उपबंध 1,00,00,000/— (एक करोड़) मात्र था। झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के भव्य आयोजन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रु0 10,00,00,000/— (दस करोड़) मात्र की राशि प्राप्त हुई है। अर्थात प्रासंगिक ईकाई में कुल उपबंध रु0 11,00,00,000/— (ग्यारह करोड़) मात्र है। साथ ही समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निष्पादन हेतु उपयुक्त एंवं सक्षम संस्था/एजेन्सी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्राधिकृत किया गया है।

6. अतएव विवेचित परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :—

क) प्रसिद्ध गायिका के गायन कार्यक्रम के आयोजन हेतु Archers Entertainment Pvt. Ltd. का मनोनयन के आधार पर चयन किया जा सकता है। जिसका भुगतान उपायुक्त, रांची द्वारा अविलम्ब किया जायेगा। इसके लिए उपायुक्त रांची को निदेशित किया जा सकता है।

ख) उक्त गायन कार्यक्रम के मुख्य कलाकार एवं उनके सहयोगियों के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त, रांची को निदेश दिया जा सकता है।

ग) पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल—कूद एवं युवा कार्य विभाग को Archers Entertainment Pvt. Ltd. से समन्वय स्थापित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया जा सकता है।

घ) राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्कूली छात्रों को प्रभात फेरी के उपरांत टॉफी/मिठाई का पैकेट उपलब्ध कराने हेतु रु0 34,92,000/— (चौतीस लाख वानवे हाजर) मात्र की लागत पर लल्ला इंटरप्राइजेज, जमशेदपुर का मनोनयन के आधार पर चयन किया जा सकता है।

अतएव उपर्युक्त कंडिका—6 के (क), (ख) (ग) एवं (घ) में अंकित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य (विभागीय) मंत्री

कृपया अनुमोदनार्थ

11.11.16

(जितबाहन उरांव) 11/11/16

पत्रांक–04 / म0म0स0 (समारोह)–02 / 2015(खण्ड–1) 1423 /

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

प्रेषक,

जितबाहन उराँव,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उपायुक्त, रांची।

राँची, दिनांक 11 नवम्बर, 2016ई0।

विषय :– **झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहन के गायन कार्यक्रम आयोजन हेतु मनोनयन के आधार पर चयनित ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. को भुगतान करने एवं गायन कार्यक्रम के कलाकारों हेतु आवास, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 को और भव्य व आकर्षक बनाने हेतु दिनांक– 09.11.2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निदेश दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहन का गायन कार्यक्रम मुख्य समारोह (15 नवम्बर, 2016) की संध्या में पयर्टन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों के बाद रखा जाय।

2. तद्नुलोक में प्रसिद्ध गायिका के गायन कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 44,27,500 / – (चौवालीस लाख सताईस हजार पाँच सौ) मात्र की लागत पर ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. को मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है (ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. से प्राप्त भाव पत्र संलग्न)।

3. उक्त ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. को रू0 44,27,500 / – (चौवालीस लाख सताईस हजार पाँच सौ) मात्र का भुगतान अविलम्ब किया जाय। भाव पत्र के अनुसार उक्त राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से किया जा सकता है। RTGS के माध्यम से भुगतान हेतु संबंधित विवरणी भाव पत्र में अंकित है।

4. उक्त ARCHERS ENTERTAINMENT PVT. LTD. के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था होटल रैडिसन ब्लू, रांची में सुनिश्चित की जाय।

तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

11/11/16

(जितबाहन उराँव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या–04 / म0म0स0 (समारोह)–02 / 2015(खण्ड–1) 1423 / राँची, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / सचिव, पयर्टन, कला, संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग / महाप्रबंधक, होटल रैडिसन ब्लू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

- 1991 से 1993 तक बिहार राज्य द्वितीय सिंचाई आयोग का सदस्य और जल नीति निर्धारण उपसमिति का अध्यक्ष.
- 1989 से 1993 तक मासिक पत्रिका 'कृषि बिहार' का सम्पादन.
- 1993 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता. प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं वनांचल प्रभारी का दायित्व.
- 1998 से 2004 के बीच बिहार विधान परिषद् का सदस्य, संसद में स्थापित जे.पी. की आदमकद प्रतिमा निर्माण समिति का संयोजक, खनन में स्थानीय लोगों की सहभागिता के लिए गठित भारत सरकार की तीन सदस्यीय समिति का सदस्य.
- 2004 से दामोदर बचाओ आंदोलन, जल जागरूकता अभियान, स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान, सेव सारंडा कैम्पेन, नेचर फाउण्डेशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सक्रियता.
- 2005 से 2009 तक जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से झारखण्ड विधानसभा का भाजपा सदस्य, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष.
- 2011–13 राष्ट्र व्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रियता. अभियान की 13 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का सदस्य.
- 2013–15 उषा मार्टिन मजदूर यूनियन का अध्यक्ष.
- 2014 – जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक निर्वाचित.
- 2015–2019 झारखण्ड सरकार में संसदीय कार्य विभाग एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री.
- 2019 दिसम्बर ..... सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र
- ..... सभापति, सामान्य प्रयोजन समिति, झारखण्ड विधानसभा

''राज्य स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर प्रभातफेरी के निमित्त वितरित टी–शर्ट एवं चॉकलेट की हुई खरीददारी की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय.

(अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा : 17–3–2021)

♦♦♦

महोदय, मुझे भी इस विषय में अनियमिततायें दिखती हैं. सरकार इसकी जाँच करने के लिए तैयार है, चाहे वह विधान सभा की समिति के द्वारा हो या ए.सी.बी. के द्वारा यह सदन तय कर ले.

(विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन : 7–9–2021)

♦♦♦

सर्वप्रथम माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा सदन में 15 नवम्बर, 2016 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टी–शर्ट एवं टॉफी वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के आलोक में प्रश्न पूछा गया था. इस पर विस्तार से चर्चायें हुई जिसमें प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य, श्री सरयू राय भी उपस्थित थे. इन्होंने विस्तार से विषयवस्तु को समिति के समक्ष रखा और कई तकनीकी प्रश्नों को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा जिसका उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया. इस आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक 2228, दिनांक 22.10.2021 द्वारा प्रश्नावली भेजकर विभाग से जानकारी माँगी गयी, लेकिन उसका कोई उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ. विभाग द्वारा उत्तर उपलब्ध नहीं कराना कई शंकाओं को उत्पन्न करता है और विभिन्न गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है. चुकि जिस दिन प्रभातफेरी की गयी उसी दिन लुधियाना में कथित टी–शर्ट की डिलिवरी दिखायी गयी. इससे समिति यह मानती है कि मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, वाणिज्य–कर विभाग एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी प्रतिवेदन फेक (फर्जी) है.

(अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा : 21–12–2021)